लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४८, १९६०/१८८२ (शक)

[२८ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६० / ७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४८ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड ४८—अंक ११ से २०—७ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६०/७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

अंक ११—सोमवार, २८ नवम्बर, १९६०/७ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १२६१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३ से ५००, ५१८ और ५०१ १२६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०२ से ५१७ और ५१९ से ५२६ . . १२८७—१२९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४५ से ९१३, ९१५ से ९३४। . . १२८९—१३४४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३४५

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०–६१ के बारे में विवरण १३४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३४५—४८

(१) स्टैनवैक द्वारा शुल्क संरक्षण का अध्यपर्ण

(२) कानपुर में युद्धास्त्र कारखानों के आंशिक रूप से बाद हो जाने का समाचार

समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड ७९ से ९७ और ९९ से १८१ . . . . . १३४८—७४

नालागढ़ समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा १३७४- —७९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३८०—८५

अंक १२—मंगलवार, २९ नवम्बर, १९६० / ८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५३२, ५३४ से ५३६, ५३९, ५४१ और ५४२ . १३८७—१४०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३७, ५३८, ५४० और ५४३ से ५६६ . १४०९—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से १०१३ . . . १४२४—५८

राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बा में वक्तव्य . . १४५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५९

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), १९६०–६१ के बारे में विवरण . १४५९

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के उत्तर की शुद्धि .	१४६०
समवाय (संशोधन) विधेयक-संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड १८१ से १९०, १९२ से २०३, २०५ से २१५, १९१, २०२ और २०४	१४६०—७९
प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१४७९—९३
दैनिक संक्षेपिका	१४९४—९९
अंक १३—बुधवार, ३० नवम्बर १९६०/९ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७१ और ५७३ से ५७६ .	१५०१—२२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१५२२—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७, ५७२ और ५७७ से ६०४ .	१५२६—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या १०१४ से १०९० और १०९२ से १०९८	१५३९—७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१५७८—७९
राज्य सभा से सन्देश	१५७९
ब्रिटिश संविधि—(भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	१५७९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन . . .	१५७९
रेलवे अभिसमय समिति का प्रतिवेदन . .	१५७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान रेल सम्पर्क सम्बन्धी समझौता .	१५८०—८१
कांगो की घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . .	१५८२—८६
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंड ५ क, ९८ और १ . . .	१५८६—१६०४
पारित करने का प्रस्ताव . .	१६०४
सिन्धु पानी करार के बारे में चर्चा . .	१६०५—२६
दैनिक संक्षेपिका .	१६२७—३३

विषय	पृष्ठ
अंक १४—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९६० / १० अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६०९, ६११, ६१२ और ६१४ . .	१६३५—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१३, ६१५ से ६३४ .	१६५६—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०९९—११६८ .	१६६६—९४
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	१६९४—९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	१६९५—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
१३ नवम्बर, १९६० को भाखड़ा बांध में हुई दुर्घटना . .	१६९६—९७
भारत पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य . .	१६९७—९८
गैर-प्रनुसूचित संचालकों के प्रति नीति के बारे में वक्तव्य .	१६९८—९९
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	१६९९—१७१३
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१७१३—२७
कार्य मंत्रणा समिति—	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन .	१७२७
दैनिक संक्षेपिका . .	१७२८—३३
अंक १५—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६० / ११ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ से ६४५	१७३५—५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ और ६४६ से ६७९ . . .	१७५५—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से १२५२ . .	१७७०—१८०८
स्थगन प्रस्ताव—	
बेरूबाड़ी का पाकिस्तान को हस्तांतरण और अर्जित राज्यक्षेत्र (विलय) विधेयक का राज्य विधान मंडलों को निर्देश .	१८०८—१२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१८१२–१३
सभा का कार्य .	१८१३–१४, १८१४–१५
कार्य मंत्रणा समिति––	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन . .	१८१४
निवारक निरोध (जा ी रखना) विधेयक––	
विचार करने का प्रस्ताव	१८१५––३४
ग़ैर सरका ी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन	१८३४
सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . .	१८३४––४४
निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बा ं में संकल्प . .	१८४४––५१
दैनिक संक्षेपिका	१८५२––५८
अंक १६––सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६० / १४ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८०, ६८१, ६८३ से ६८६, ६८८, ६९०, ७०३, ६९४ से ६९९, ७०१ और ७०२ . .	१८५९––८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१८८३––८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ७०० और ७०४ से ७१८	१८८५––९४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १२६२, १२६४ से १३२८ और १३३०	१८९४––१९२६
स्थगन प्रस्ताव––	
भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी	१९२६–२७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९२८
राज्य सभा से सन्देश	१९२८
निरसन तथा संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	१९२८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१९२९
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक––	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१९२९
अधिमान-प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक––	
प्रवर समति का प्रतिवेदन .	१९२९

विषय	पृष्ठ
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य	१९२९
गुरुद्वारा रकाबगंज के निकट घटनाओं के बारे में वक्तव्य पाकिस्तान को बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकारके बीच हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . . .	१९२९—५१
खंड २ तथा १ .	१९५१—५५
पारित करने का प्रस्ताव	१९५५—५९
सभा का कार्य	१९६०
अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेलवे) १९६०–६१	१९६०—६६
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	१९६६—७१
दैनिक संक्षेपिका .	१९७२—७९
अंक १७—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९६०/१५ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७१९, ७२०, ७२२ से ७२८ और ७३० से ७३२	१९८१—२००५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२९ तथा ७३३ से ७४३ .	२००५—११
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १४०५ . .	२०११—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२०४१–४२
विधेयक-पुरस्थापित—	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक	२०४२
(२) प्रसूति लाभ विधेयक . . .	२०४२
रेलवे अभिसमय समिति प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	२०४३—७२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६०–६१ .	२०७३—७६
कृषि-जन्य पदार्थों के निम्नतम मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२०७७—८४
दैनिक संक्षेपिका	२०८५—८९
अंक १८—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९६०/१६ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ से ७४७ और ७४९ से ७५२ . .	२०९१—२११०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ तथा ७५३ से ७७८ . .	२११०—२१

विषय सूची

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०६ से १४९६ . .	२१२१—६३
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
(१) एक भारतीय गांव पर कथित पाकिस्तानी हमला	२१६३–६४
(२) गैर सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के संयंत्र	२१६५—६७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२१६४–६५
तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर की शुद्धि	२१६७–६८
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक-पुरस्थापित	२१६८–६९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०–६१ .	२१६९—९२
चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात के बारे में प्रस्ताव . .	२१९२—२२१५
पश्चिमी बंगाल के लिये पी० एल० ४८० निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२२१५—१८
दैनिक संक्षेपिका	२२१९—२५
अंक १९—गुरुवार, ८ दिसम्बर १९६०/१७ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ७८२, ७८४, ७८५, ७८७ और ७८९ से ७९२ । . . .	२२२७—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८३, ७८६, ७८८ और ७९३ से ८०४ .	२२४९—५६
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९७ से १५५८ . .	२२५६—८३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२२८४
राज्य सभा से सन्देश	२२८४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
राष्ट्रमंडल में गणराज्य बनने का दक्षिण अफ्रीका का निर्णय .	२२८४–८५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक-पुरस्थापित . .	२२८५
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के बारे में . .	२२८५–८६
वायदे के सौदे (विनियम) संशोधन विधेयक —	
विचार करने का प्रस्ताव . .	२२८१—२३००
भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	२३००–२३०१
खंड १ और २ . .	२३०१
पारित करने का प्रस्ताव . .	२३०१
भारत में खेल कूद के बारे में प्रस्ताव	२३०२—१७
दैनिक संक्षेपिका	२३१९—२३

विषय	पृष्ठ
अंक २०—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९६०/१८ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०५ से ८०७, ८०९ से ८११, ८१३ से ८१५ और ८१७ से ८१९	२३२५—४९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . .	२३४९—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१२, ८१६ और ८२० से ८२९ . .	२३५१—५७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५५९ से १६२० . .	२३५७—८३
स्थगन प्रस्ताव—	
कांगो में भारतीय सैनिक दल	२३८३—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३८४—८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान व्यापार वार्ता	२३८५—८६
सभा का कार्य . . .	२३८७
विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६०—पारित .	२३८७—८८
वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२३८८—२४०५
खंड २ से २२ और १ . .	२३९९—२४०५
पारित करने का प्रस्ताव .	२४०५
सदस्य की गिरफ्तारी	२४०५
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक (श्री तंगामणि का) पुरस्थापित .	२४०५
नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक—अस्वीकृत—	
विचार करने का प्रस्ताव	२४०६—११
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	२४११—१६
दैनिक संक्षेपिका	२४१७—२२

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LS III—1623(Ai)LSD—30-12-60—115.

लोक-सभा

सोमवार, २८ नवम्बर, १९६०

७ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री रामराव नारायणराव (जालना)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सिन्धु घाटी जल सन्धि पर व्यय

+

†*४९३. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्धु घाटी जल सन्धि के बारे में हुई बातचीत पर भारत द्वारा कुल कितना धन व्यय किया गया;

(ख) विश्व बैंक ने इसमें से कितना धन दिया; और

(ग) व्यय की गयी धन-राशि में विदेशी मुद्रा कितनी थी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) सितम्बर, १९६० के अन्त तक लगभग ६० लाख रुपये खर्च हो चुके थे।

(ख) विश्व बैंक ने इस बारे में कुछ भी रुपया नहीं दिया है। पर हां, विश्व बैंक ने सिन्धु घाटी सम्बन्धी बातचीत के दौरान नियुक्त अपने कर्मचारियों पर लगभग १२ लाख डालर खर्च किये हैं।

†मूल अंग्रेजी में

1454(Ai)LSD—1

(ग) लगभग २५ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा थी।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** वाशिंगटन में इस बातचीत को जारी रखने पर कुल कितना धन खर्च हुआ है ?

†**श्री हाथी :** पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों और वैधानिक परामर्शदाता पर किया गया कुल खर्च ३४,५९,००० रुपये था और विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमण्डलों पर २४ लाख रुपये खर्च किये गये थे ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या पूर्वी भारत की नदियों के सम्बन्ध में पाकिस्तान से झगड़ा निपटाने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ?

†**श्री हाथी :** इस संबंध में दो बैठकें हुई थीं और आंकड़ों का आदान प्रदान किया गया है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** क्या सिन्धु घाटी जल सन्धि के सम्बन्ध में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिये पाकिस्तान ने भी उतनी ही रकम दी है ?

†**श्री हाथी :** उन्होंने अपनी ओर से खर्च किया होगा। वे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

†**श्री चन्तामणि पाणिग्रही :** क्या यह सच है कि नहरी पानी के झगड़े के निपट जान के बाद पाकिस्तान ने गंगा बांध के निर्माण का विरोध किया है ?

†**श्री हाथी :** यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता, परन्तु आंकड़ों का आदान प्रदान किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्य तो वे स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं।

†**श्री त्यागी :** क्या यह सच है कि सन्धि हो जाने के बाद भी कर्मचारी अभी तक काम मे नियुक्त हैं ?

†**श्री हाथी :** सभी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्योंकि अन्य काम अभी पूरा करना है ।

†**डा० विजया आनन्द :** इस सन्धि से भारत को वास्तव में कितना वित्तीय लाभ हुआ है ?

†**श्री हाथी :** वित्तीय लाभ ? लाभ यह हुआ है कि विवाद निपट गया है ।

पालम हवाई अड्डे का उपाहार-गृह

+

†*४९४. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री इन्द्र जीत गुप्त :

क्या **परिवहान तथा संचार** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे के उपाहार-गृह के कुप्रबन्ध तथा वहां घटिया किस्म की आहार–सामग्री मिलने के कारण बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों ने वहां से चीजें आदि लेना बन्द कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार को होने वाली आय में इस कारण कितनी कमी हो गयी है; और

(ग) भोजन-व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**असैनि उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) से (ग). पालम के हवाई अड्डे पर वर्तमान ठेकेदार द्वारा संभरित की जाने वाली आहार-सामग्री की घटिया किस्म के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था एयर लाइन्स के प्रतिनिधि बोर्ड, नई दिल्ली तथा कुछ अन्य संस्थाओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए अब शीघ्रातिशीघ्र नये ठेके के लिये नये टेण्डर मांगने का फैसला किया गया है। परन्तु शीघ्र ही हवाई अड्डे में किये जाने वाले कुछ पुनर्नवीकरण के कार्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान ठेकेदार की अवधि को कुछ समय के लिये और बढ़ाना पड़ेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: क्या यह सच है कि बी० ओ० ए० सी० के स्वच्छता पदाधिकारी जब वहां आये तो उन्होंने यह कहा था कि उस उपाहार-गृह की रसोई के कमरे में बहुत कुछ कमियां हैं और वह विमान यात्रियों के लिये भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता, और यदि हां, तो सरकार उस उपाहार-गृह की रसोई को सुधारने के संबंध में क्या क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : वहां पर एक नवीन रसोई घर बनाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किये जा रहे हैं। वर्तमान ठेके की अवधि को बढ़ाने का यही तो मुख्य उद्देश्य है कि जब रसोई का नवीकरण हो जाये तो नये ठेकेदार उसे देख सके और टेण्डर दे सकें।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव**: क्या सरकार उस उपाहार-गृह को ठेके पर चलाने की अपेक्षा विभाग की ओर से चलाने का विचार रखती है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी, नहीं।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्यों नहीं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : क्योंकि इस समय ऐसा करना अच्छा नहीं समझा गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि कलकत्ते के दमदम हवाई अड्डे के उपाहार-गृह के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की शिकायतें आयी हैं और असैनिक उड्डयन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने इस सम्बन्ध में ३६ पृष्ठों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यदि उस से कोई शिकायत हुई तो मैं अवश्य जांच कराऊंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु उस का सम्बन्ध तो पालम से है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह मैं जानता हूं, परन्तु बम्बई, कलकत्ता और पालम तीनों के ठेके के पुनर्नवीकरण का सम्बन्ध है, पालम तो दिल्ली में है और इसकी स्थिति का हमें ज्ञान है, परन्तु कलकत्ते के ठेके की शिकायतों के बावजूद भी जून में अवधि बढ़ा दी गयी।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक अलग प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : वर्तमान ठेकेदार की अवधि को कितना और बढ़ा दिया गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : उसकी अवधि को छः मास तक बढ़ा देने का विचार है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : माननीय मंत्री ने बताया है कि वर्तमान ठेकेदार की अवधि को बढ़ा देना पड़ेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अवधि कितने समय के लिये बढ़ायी जायेगी और वास्तव में उसके विरुद्ध शिकायतें क्या क्या थीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : माननीय उपमंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि उसकी अवधि को ६ मास के लिये बढ़ाना पड़ेगा । शिकायतों के सम्बन्ध में भी उन्होंने बता दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा से यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि भोजन सामग्री घटिया किस्म की है । परन्तु अब कुछ अन्य व्यक्तियों ने बताया है कि भोजन सामग्री बढ़िया किस्म की है । फिर भी अब सरकार ने फैसला कर लिया है कि ६ मास की अवधि के विस्तार के बाद वर्तमान ठेका समाप्त कर दिया जायेगा और नये रसोई घर के अनुसार नये टेण्डर मांग जायेंगे । वर्तमान ठेकेदार को भी टेण्डर भेजने की अनुमति होगी ।

†**श्री जयपाल सिंह** : सामान्यतया ये ठेके कितनी अवधि के लिये दिये जाते हैं । क्या ये एक वर्ष के लिये होते हैं या कि कलकत्ता आदि के समान तीन वर्षों के लिये ? कलकत्ते के उस ठेके का तीन और वर्षों के लिये नवीकरण कर दिया गया है ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : सामान्यतया ठेका तीन वर्षों के लिये होता है और सामान्य नीति यह है कि यदि उसकी सेवा सन्तोषजनक हो और कोई शिकायत न हो, तो उसकी अवधि को तीन वर्षों तक के लिये और बढ़ा दिया जाता है । अन्यथा नये टेण्डर मांगे जाते हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब कि भारत सरकार की नीति तो नैशनलाइजेशन के पक्ष में है, जैसा कि रेलवेज में किया जा रहा है, तो क्या कम्यूनिकेशन्ज मिनिस्ट्री में कोई दूसरी नीति का अवलम्बन किया जा रहा है कि राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : माननीय सदस्य गलत बात समझ रहे हैं, राष्ट्रीयकरण की नीति तो अच्छी है, और हम सभी उसके लिये यत्न कर रहे हैं, परन्तु भोजन व्यवस्था के कार्य में राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : रेलों में तो भोजन व्यवस्था कार्य विभागीय आधार पर प्रारम्भ कर दिया गया है । जब राष्ट्रीयकरण योजना के अधीन रेलों में यह कार्य विभागीय आधार पर हो सकता है, तो परिवहन तथा संचार मंत्रालय में भिन्न नीति को क्यों अपनाया जा रहा है ? .....

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति, अब अगला प्रश्न ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : रेलवे मंत्रालय और परिवहन तथा संचार मंत्रालय की नीतियों में अन्तर क्यों है ? जब भारत सरकार की नीति एक है तो इन दोनों मंत्रालयों में इतना अन्तर क्यों है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य बिना मेरी बात सुने स्वयं ही बोलते जाते हैं, इस मामले का सम्बन्ध उस नीति से है जिस पर चर्चा करने की अनुमति मैं प्रश्न काल में नहीं दे सकता । "प्रक्रिया के नियम" के नियम संख्या ४१ में स्पष्टतया लिखा हुआ है कि व्यापक नीति के प्रश्नों के बारे में प्रश्नकाल में चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

दिल्ली की वृहद योजना

+

†*४६५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की वृहद योजना (मास्टर प्लान) को क्रियान्वित करना कब शुरू किया जायेगा ; और

(ख) इसको पूरा करने के कौन कौन से प्रक्रम हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विररण रखा जाता है ।

विवरण

दिल्ली के लिये अभी तक अन्तिम रूप से कोई भी वृहद योजना तैयार नहीं की गयी है। ८ जुलाई, १९६० को दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा एक प्रारूप वृहद योजना प्रकाशित की गयी थी ताकि जनता से उसके सम्बन्ध में आपत्तियां तथा सुझाव प्राप्त किये जा सकें और उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम योजना बनायी जा सके । वृहद योजना को कार्यान्वित करने का प्रश्न दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा योजना को अन्तिम रूप से तैयार कर लेने और भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे देने के बाद ही उत्पन्न होगा । इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति यह है कि इस प्रारूप योजना के सम्बन्ध में प्राप्त सुझाव और आपत्तियां दिल्ली विकास प्राधिकार के विचाराधीन हैं । इन सुझावों आदि पर प्राधिकार द्वारा स्थापित एक बोर्ड विचार करेगा जोकि अभ्यावेदन, आपत्तियां अथवा सुझाव देने वाले व्यक्तियों के तर्क सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट प्राधिकार को भेजेगा । उसके उपरान्त प्राधिकार बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद एक अन्तिम योजना तैयार करेगा और मंजूरी के लिये उसे भारत सरकार के पास भेज देगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण में बताया गया है कि जनता से कुछ सुझाव और आपत्तियां पूछी गयी हैं। अभी तक क्या क्या सुझाव और आपत्तियां की गयी हैं ?

†**श्री करमरकर** : दिल्ली विकास प्राधिकार को भेजे गये सुझावों तथा आपत्तियों के बारे में मुझे इस समय ज्ञान नहीं है परन्तु मुझे यही पता है कि इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव आये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : बृहद योजना को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा । क्योंकि पहले उन सुझावों और आपत्तियों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा, फिर दिल्ली विकास प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया जायेगा और फिर भारत सरकार द्वारा उस पर विचार किया जायेगा। यह योजना अन्तिम रूप से कब तक तैयार हो जायेगी ?

†**श्री करमरकर** : आशा है कि वह अन्तिम रूप से लगभग एक वर्ष के अन्दर अन्दर तैयार हो जायेगी ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली के लिये मास्टर प्लैन बन रही है वैसे हिन्दुस्तान में कहां कहां के लिये मास्टर प्लैन बन रही है ।

श्री करमरकर : हम लोग तो अभी दिल्ली के लिये मास्टर प्लैन बना रहे हैं, और जगहों के लिये रियासतें बनायेंगी ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली के लिये जो मास्टर प्लैन बन रही है, उस में कुछ इस प्रकार की गड़बड़ियों की शिकायतें माननीय स्वास्थ्य मंत्री को पहुंची हैं जिन से कारपोरेशन के सदस्य सम्बन्धित हैं ? यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्री करमरकर : गड़बड़ी मालूम हो रही है, इस तरह की कमप्लेन्ट्स आई हैं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन सी गड़बड़ियों की शिकायतें आप के पास पहुंची हैं ।

श्री करमरकर : मेरे पास कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं है ।

†**श्री रांधा रमण** : क्या भारत सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकार को उस सम्बन्ध में कोई संकेत दिया है कि अन्तिम वृहद योजना में कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होना चाहिये, उसके लिये क्या क्या संसाधन उपलब्ध होंगे और योजना की कार्यान्विति के लिये किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी ?

†**श्री करमरकर** : इस समस्या की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक वास्तविक क्षेत्र का सम्बन्ध है, हम दिल्ली विकास प्राधिकार से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उस के बारे में विचार करना प्रारम्भ करेंगे। शेष बातों के सम्बन्ध में भी अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वर्तमान सीमा को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव है ; यदि हां तो सीमा को कितना बढ़ाया जायेगा ।

श्री करमरकर : संभवतः माननीय सदस्य दिल्ली की सीमाओं के संबंध में पूछ रहे हैं। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है दिल्ली की सीमाओं को बढ़ाने के संबंध में कोई योजना नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी हाल ही में भारत सरकार की ओर से एक बयान छापा गया है जिसमें लिखा गया है कि दिल्ली से ५० मील दूर तक कोई बड़ा कारखाना खोलने की इजाजत नहीं दी जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मास्टर प्लैन में यह बात भी शामिल है कि बड़े

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग दिल्ली से ५० मील के फासले के अन्दर नहीं खोले जायेंगे, और यदि नहीं खोले जायेंगे, तो दूसरे राज्यों की सीमा आ जाने पर सरकार इसके लिये क्या करेगी ?

†**श्री करमरकर** : इस बारे में मुझे नोटिस चाहिये ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या भारत सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकार को उन रियायतों के बारे में जो दी जायेंगी या मास्टर प्लान के अन्तर्गत दिल्ली के विकास सहकारी आवास संस्थाओं तथा भावी संस्थाओं की जो स्थिति होगी उसके बारे में कोई निदेश दिये हैं ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक मुझे मालूम है हमने कोई निदेश नहीं दिये हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या माननीय मंत्री सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि इस मास्टर प्लान में खुले खेलने के मैदानों के उपबन्ध की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक मुझे मालूम है, संभव सीमाओं के अन्तर्गत, मास्टर प्लान के निर्माताओं ने दिया है.....

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या वह बता सकते हैं कि कितने एकड़ भूमि है ?

†**श्री करमरकर** : मुझे उत्तर पूरा करने दीजिये । एकड़ों आदि के बारे में पूर्व सूचना मांगने के पूर्व मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मास्टर प्लान के निर्माताओं के अन्य समस्याओं के साथ साथ इस समस्या की ओर भी ध्यान दिया है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं राज्य खेल परिषद् का सदस्य हूं । हमें कई बार बताया गया है कि इतनी भूमि उपलब्ध है, अब माननीय मंत्री इस सभा में आकर हमें बताते हैं कि प्लान अन्तिम रूप में तैयार हो चुकी है, जिसका यह अर्थ है कि हम खेलों या स्कूलों और कालेजों के लिये ऐसे किसी काम के विकास के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, फिर शेष जनता का क्या है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले पर पर्याप्त विचार किया गया है और यदि विचार किया गया है, तो प्रति हजार व्यक्तियों के लिये मास्टर प्लान में कितना दिया जा रहा है ?

†**श्री करमरकर** : यह वास्तव में कार्रवाई के लिये सुझाव है । मैं यह उपयुक्त समय पर संबद्ध प्राधिकार को भेज दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य निम्न सुझाव की वांछनीयता पर विचार कर सकते हैं । तीसरे पंच वर्षीय योजना के बारे में माननीय सदस्यों की पांच पृथक २ समितियां बनाई गई थीं और उन्होंने योजना पर पूरी चर्चा की थी, और मैं समझता हूं कि जो चर्चायें हुईं तथा पटल पर जो खुली बातचीत हुई, उससे वे भी पूर्णतः सन्तुष्ट हैं ।

इसी प्रकार, जहां तक मास्टर प्लान का संबंध है, माननीय मंत्री क्यों मास्टर प्लान को नहीं लेते और दिल्ली के विकास में दिलचस्पी रखने वाले सदस्यों के साथ क्यों इस के बारे में चर्चा नहीं करते ?

†**श्री करमरकर** : मैं उस अवसर का स्वागत करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि ऐसा किया जायेगा तो माननीय सदस्यों को खेलने के लिये बहुत सा मैदान मिल जायेगा ।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मास्टर प्लैन के मातहत सरकार ने कुछ जमीन कब्जे में की है, इस आश्वासन पर कि लोगों को सस्ते दामों पर जमीन दी जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या हाउसिंग के लिये जमीन देने के सिलसिले में यह योजना बनाई गई है ।

श्री करमरकर : अभी तक यही कार्रवाई हुई है कि लैंड ऐक्विजिशन ऐक्ट के सेक्शन ४ के मातहत एक नोटिफि के शन इश्यू हुआ है। अभी कोई ऐक्विजिशन नहीं हुआ है। अभी हम सोच रहे हैं कि क्या सुविधायें दी जानी हैं लो कास्ट हाउसिंग और हाई कास्ट हाउसिंग का ध्यान रख कर।

†**श्री बांगशी ठाकुर** : दिल्ली में गन्दी बस्तियों के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उन की हालत यह मास्टर प्लान किस प्रकार सुधारेगी ?

†**श्री करमरकर** : पहले तो, उन्हें स्वयं बहुत कुछ काम करना होगा। विचार है कि गन्दी बस्तियों को साफ कर दिया जाये और जहां कहीं संभव हो, उन्हें पहले की अपेक्षा उत्तम स्थान दिया जाये ।

†**श्री अजितसिंह सरहदी** : क्या इमारत निर्माण कार्यों में सुविधा लाने और दिल्ली में मकानों के निर्माण की रुकावट को हटाने के लिये, एतराजों के निपटारे में शीघ्रता लाने के लिये क्या कोई निदेश जारी किये जा रहे हैं ?

†**श्री करमरकर** : मैं समझता हूं कि दिल्ली विकास प्राधिकार आपत्तियों पर शीघ्रता पूर्वक विचार करने के लिये और तब हमें अपना प्रतिवेदन देने के लिये अपना भरसक प्रयत्न कर रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि माननीय मंत्री सहमत हैं, अधिक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति देने की बजाये, मास्टर प्लान को यहां लाकर उस पर चर्चा की जानी चाहिये ।

†**श्री करमरकर** : जी, हां। मैं उसे पुनः यहां लाऊंगा। पिछली बार केवल दो संसद सदस्यों ने देखा था, परन्तु इस बार आशा है कि यह उत्तम होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सब माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी होनी चाहिये। मैं बुलेटिन में भी एक कंडिका जा ी करूंगा। माननीय मंत्री तिथि दे सकते हैं या इसे दफ्तर को दे सकते हैं और तब सदस्य हाल में इकट्ठे होकर इस पर चर्चा कर सकते हैं ।

†**श्री करमरकर** : मैं इस व्यवस्था का स्वागत करूंगा ।

हड़तालियों की सेवावधि में वृद्धि

+

†*४९६. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग के महानिदेशक ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को ये हिदायतें भेजी हैं कि जिन लोगों ने आम हड़ताल में भाग लिया था, उनकी सेवावधि में वृद्धि न की जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह बात हड़तालियों के प्रति सरकार की नीति के अनुरूप हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री सा० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि डाक तथा तार के महा निदेशक ने अधीनस्थ पदाधिकारियों को हिदायतें दी हैं कि जो लोग ५५ वर्ष की आयु के हो रहे हैं और जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था, उनकी नौकरी बढ़ाई नहीं जायेगी, और क्या अब उन आदेशों का विखंडन किया गया है ?

†**डा० प० सुब्बारायन**: माननीय सदस्य और मैं जानते हैं कि हड़ताल में भाग लेना खतरनाक काम है यदि कोई खतरनाक काम करता है तो उसे उसके परिणामों को भी स्वीकार करना चाहिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : भाग (क) के उत्तर में, माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है "नहीं" । साथ ही मेरे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उसने कहा है कि यह खतरनाक चीज है आदि । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को, जिन्हें साधारणतया नौकरी में विस्तार मिलने वाला था, उन्हें केवल इस कारण नौकरी का विस्तार नहीं दिया गया कि उन्होंने हड़ताल में भाग लिया था ?

†**डा० प० सुब्बारायन** : यह सरकार के स्वविवेक का मामला है कि वह नौकरी में विस्तार दे या न दे । इसलिये ऐसे सब मामलों में इस स्वविवेक का प्रयोग किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नौकरी में विस्तार सरकार के स्वविवेक का मामला है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ कर्मचारियों को विशेषकर मद्रास मंडल में दिये कुछ दंड निर्धारित की गई नीति के अनुसार नहीं हैं, क्योंकि लगभग ३८ व्यक्ति मद्रास मंडल में नौकरी से निकाल दिये गये हैं और मदुराई में ४३ व्यक्तियों को बहुत सख्त दंड दिया गया है ? ये केवल कुछ एक उदाहरण हैं ।

†**डा० प० सुब्बारायन** : माननीय सदस्य का अनुमान गलत है । यदि वह अब सूची को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कम से कम दंड दिये गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक बात के बारे में सूचना चाहता हूं । मैं इस सन्देह में हूं कि इन सब प्रश्नों की अनुमति दी जाये या न दी जाये । माननीय मंत्री इसे मानते हैं । क्या वह कुछ लोगों से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हैं ? कर्मचारी हड़ताल करते हैं जो असफल रहती है । सरकार कदम उठाती है और हड़ताल को रोक देती है । तदुपरांत हड़ताली आकर कहते हैं कि 'हमें सब लाभ मिलने चाहियें, जैसे कि हड़ताल हुई ही नहीं।' क्या इन सब प्रश्नों की यहां अनुमति दूं ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री मेरी सहायता नहीं करते ।

†**डा० प० सुब्बारायन** : मैं कहूंगा कि आप इस प्रश्न की अनुमति न देते, क्योंकि यह केवल विभागीय मामला है । जो कुछ सामने आता है मैं उन सब चीजों पर पुनर्विचार करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे विभागीय पहलू की चिंता नहीं, क्योंकि संसद को इस मामले पर विचार करने का अधिकार है। यह कर्मचारियों के लिये जीवन और मरण का मामला है। परन्तु क्या विधि को अपने हाथ में लेने और हड़ताल करने का किसी कर्मचारी को अधिकार है? निस्सन्देह, यदि यह न्यायोचित है, तो यह बात भिन्न है। तब क्या वह सरकार को वे सब लाभ देने के लिये वाध्य कर सकता है, जो उसे उस अवस्था में प्राप्त होते यदि हड़ताल न हुई होती ? क्या सरकार को इन मामलों में कोई अधिकार नहीं है ?

†**डा० प० सुब्बारायन** : मैं भी इसी विचार का समर्थक हूं। मैं इसके लिये आपका कृतज्ञ हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थिति क्या है ? कर्मचारी हड़ताल करते हैं। क्या उन्हें सरकार से सब कुछ वापिस मांगने का अधिकार है जैसे कि कोई हड़ताल हुई ही नहीं ? और क्या मैं ऐसे सब प्रश्नों की अनुमति दूं और इस प्रकार इस मामले पर सभा का समय खर्च होने दूं . . . (**अन्तर्बाधाएं**) शांति शांति । मेरी हालत यह है। मैं केवल स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । सच यह है कि मैं नहीं जानता कि किस चीज़ की अनुमति दूं और किस की अनुमति न दूं। इसीलिये मैं ने यह प्रश्न पूछा है । निस्संदेह, मैं किसी न्यायोचित चर्चा को बन्द करना नहीं चाहता। यदि उन्हें हड़ताल करने का हक है और जब वे वापिस काम पर आते हैं, उन्हें उसी अवस्था में रखे जाने का हक है, जैसा कि हड़ताल हुई ही नहीं, तो क्या मैं उस विषय में यहां प्रश्नों की अनुमति दूं ? मैं केवल उन्हीं प्रश्नों की अनुमति दे सकता हूं जिन के लिये सरकार उत्तरदायी है । सरकार इस के लिये उत्तरदायी नहीं । अब कर्मचारी ऐसी चीज़ का दावा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसे सरकार स्वीकार करने को बाध्य नहीं है । मैं इन प्रश्नों की अनुमति नहीं दे रहा।

इसलिये मुझे पता लगाना चाहिये कि स्थिति क्या है । मुझे कहां तक जाना चाहिये और मुझे कहां तक कंडयूट पाइप के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिये जिस के द्वारा सरकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ?

†**श्री साधन गुप्त** : इस हड़ताल का बहुत बड़ा महत्व है, और इस से लोगों के मनों को बड़ी बैचैनी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न सरल है । कमचारी हड़ताल करते हैं जो असफल रहती है । तदुपरान्त वे वापिस आकार सब वेतन और अन्य सुविधाएं वापिस करने की मांग करते हैं जैसा कि हड़ताल हुई ही नहीं । तब यदि सरकार ऐसा करने से इन्कार करती है, तो क्या मेरे द्वारा सरकार पर दोषी लागाये जाने चाहियें और सभा का समय खर्च किया जाना चाहिये ? मैं इसका स्पष्टीकरण करने के लिये श्री नाथपाई को भी बुलाऊंगा।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं यह कह रहा था कि हड़ताल हुई थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब कोई जानता है । हम सब को इसका इतिहास मालम है । प्रश्न सरल है : कि क्या किसी कर्मचारी को हड़ताल करने का अधिकार हैं ?

यहां कर्मचारी हड़ताल करता है और अपनी इच्छा से काम पर वापिस आना चाहता है । सरकार उसे किसी भी परिस्थिति में वापिस लेने को बाध्य नहीं है । और मैं यहां देखता रहूं इस मामले पर प्रश्नों की अनुमति देता रहूं—क्या मुझे यही करना है ? हमें इस के बारे में साफ होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त** : मैं कह रहा था कि हड़ताल हुई थी . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इन सब की अनुमति नहीं दूंगा। यह बात हम सब को मालूम है ।

†**श्री साधन गुप्त** : इसलिये हम अब हड़ताल के औचित्य अनौचित्य पर विचार नहीं कर रहे । परन्तु सरकार ने इस सभा को आश्वासन दिया था . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सरकार के आश्वासनों की चिंता नहीं । वे सब गलत आश्वासन हो सकते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

†**श्री साधन गुप्त** : सरकार ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि किसी हड़ताली को केवल हड़ताल में भाग लेने के लिये तंग नहीं किया जाएगा। प्रश्न यह है कि यह पीड़ित करना नहीं है ?

†**एक माननीय सदस्य** : यह है ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को वापिस नौकरी पर लिया जाएगा।

†**श्री साधन गुप्त** : प्रश्न यह है कि क्या यह कहना पीड़ित करना नहीं है कि कर्मचारी आ रहे हैं और मांगें कर रहे हैं।

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा)** : कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इस मामले को हल करने दो। माननीय सदस्य ने इस आधार पर इसका उचित करार नहीं दिया कि कर्मचारियों को स्वयं अपने अधिकारों के अन्तर्गत इसका हक था । वह सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों पर भरोसा रखते हैं। क्या ऐसा कोई आश्वासन था ? यदि कोई आश्वासन था तो उसे कार्यान्वित करवाने का प्रयत्न करूंगा।

†**श्री जगजीवन राम** : किसी भी समय यह आश्वासन नहीं दिया गया कि प्रत्येक हड़ताली को काम पर लिया जाएगा. . . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : गृह-कार्य मंत्री का भाषण पढ़िये ।

†**एक माननीय सदस्य** : ऐसा कहने वाले रेलवे मंत्री कौन होते हैं ?

†**श्री नाथ पाई** : अध्यक्ष महोदय; न केवल बहुत स्पष्ट अपितु प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री दोनों की ओर से पक्का आश्वासन दिया गया था कि केवल तोड़ फोड़ और हिंसा करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर, नर्मी का रुख अपनाया जाएगा और किसी भी कर्मचारी को पीड़ित नहीं किया जाएगा। प्रश्न दंड का नहीं, आप दंड का प्रश्न उठा रहे हैं जिस के बारे में एकमत हो सकता है । प्रश्न यह है कि क्या पीड़ित करने के लिये हड़ताल का उपयोग किया जा सकता है और क्या विभागीय अध्यक्ष अपनी पुरानी दुश्मनियों को निकालने के लिये इसका प्रयोग कर सकते हैं। सभा पटल पर न केवल यह आश्वासन दिया गया था, जब आपने हड़ताल की स्थिति पर चर्चा की अनुमति दी थी किन्तु गृह-कार्य मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया था जिस में ये हिदायतें दी गई थीं कि वे केवल

---

†मूल अंग्रेजी में

दो श्रेणियों के कर्मचारियों को छोड़ कर, जिन में तोड़ फोड़ और हिंसा के स्पष्ट मामले सिद्ध हो सकते हैं, हड़ताल में केवल भाग लेने के लिये कोई कार्रवाई न की जाए ।

अब, क्या हो रहा है और इसीलिये हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसी चीज को मुआफ करने के लिये जो विधि की दृष्टि से प्रत्यक्षतः गलत है—हो यह रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर पीड़ित किया जा रहा है । पुरानी बातों का हिसाब इस बहाने से चुकाया जा रहा है कि उन्होंने हड़ताल में भाग लिया है । मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व एक उदाहरण दूंगा । (**अन्तर्बाधाए**) मैं इस समय बोल रहा हूं ।

†**एक माननीय सदस्य** : बैठ जाइये ।

†**श्री नाथ पाई** : मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि आप ऐसी आज्ञा नहीं देंगे ।

एक यह दर्शाने के लिये कि किस प्रकार पीड़ित किया जा रहा है, एक उदाहरण दूंगा । जो लोग इस कारण अनुपस्थित हुए थे कि गाड़ी नहीं चल रही थी, उनको इस आधार पर नौकरी से हटाया जाता है कि उन्होंने हड़ताल में भाग लिया था, अत्यधिक दुर्व्यवहार कहां है ? मैं सरकार से उत्तर चाहता हूं—

†**श्री जगजीवन राम** : : मैं माननीय सदस्य की बात सुन चुका हूं ।

†**श्री नाथ पाई** : वह मुझे पूरी तरह सुनें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि तंग न किया जाए । जब प्रश्न पूछे जाऐंगे तो मैं समय समय पर इस बात का फैसला करूंगा कि तंग किया गया है या नहीं । अब मुझे अगला प्रश्न लेने दीजिये ।

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे कुछ कहना है । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी को भी तंग नहीं किया गया और न ही किसी को तंग किया जाएगा ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वह उदाहरण दे सकते हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : आश्वासन दिया गया था—और मैं कह रहा हूं कि किसी भी कर्मचारी को परेशान नहीं किया जाएगा । और न ही किया जा रहा है— (**अन्तर्बाधाएं**) परन्तु प्रश्न काल को बाहर प्रचार के उद्देश्य से प्रयोग में नहीं लाना चाहिये ।

†**श्री नाथ पाई** : यह अत्यंत आपत्तिजनक बात है । हम इस प्रकार के झूठे आरोप का विरोध करते हैं । इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिये । यह सभा के गौरव के विरुद्ध है । जब एक मंत्री कहता है कि मैं प्रचार की दृष्टि से अपना कर्तव्य पालन करता हूं तो यह ऐसा घोर आक्रमण है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती । हम यहां इसका विरोध करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शान्ति । किसी माननीय सदस्य पर संदेह करना अच्छा नहीं है । वे सब माननीय हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : वह सभा के कार्य संचालन पर आरोप लगा रहे हैं । हम यहां ऐसे मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । इतने मामलों में से हो सकता है कुछ में लोग पीड़ित किये हों। माननीय मंत्री ने कहा है कि उनकी जानकारी के अनुसार किसी को पीड़ित नहीं किया गया और न पीड़ित किया जाएगा। परन्तु जिस पर बीतती है उसे उसका अनुभव होता है । यदि माननीय सदस्यों को ऐसे मामलों की सूचना है, तो उन्हें हक है कि वे माननीय मंबी को उनकी सूचना दें। मुझे विश्वास है कि यदि माननीय मंत्री को ऐसे मामलों के बारे में बताया जाता है जहां परेशान किया गया है जैसा कि आरोप लगाया गया है, तो वह उनकी जांच करेंगे।

†**श्री जगजीवन राम :** मुझे सदस्य लिखते रहते हैं और मामलों की जांच की जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** किन्तु जहां तक मेरा संबंध है, इस सभा में यहां क्या मैं पीड़ित होने के एक एक मामले को लूं ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये मैं माननीय सदस्यों को सलाह दूंगा कि जहां कहीं उनको सूचना मिले, वे पीड़ित किये जाने के ऐसे सब मामलों की सूचना माननीय मंत्री को दें। यदि किसी सामान्य नियम का उल्लंघन होता है, तो वे सभा में मामला उठा सकते हैं हमें यह फैसला करना चाहिए ।

†**श्री नाथ पाई** : हम इसका पालन करते हैं। परन्तु आप इन शब्दों को कि हम प्रचार की दृष्टि से अपना कर्तव्य पालन करते हैं, निकालने की आज्ञा दे दें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शब्द निकालने के प्रश्न को छोड़ दें । दोनों पक्षों के सदस्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। परन्तु मैं माननीय मंत्रियों से प्रार्थना करूंगा कि वे यह न कहा करें कि माननीय सदस्यों की प्रचार की इच्छा होती है आदि। यहां जो भी प्रश्न पूछा जाता है उस के दो मूल्य होते हैं। एक सूचना प्राप्ति के लिये, और दूसरा प्रचार के लिये भी। आप इसे नहीं रोक सकते ।

†**श्री सुब्बैया अम्बलम :** सरल प्रश्न अवधि बढ़ाने के बारे में था। तंग करने या वेतन में कमी का कोई प्रश्न नहीं था।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने इस मामले को निपटा दिया है ।

†**श्री सुब्बैया अम्बलम** : इसलिये मैं कहूंगा कि किसी भी कर्मचारी को सेवा वृद्धि का हक नहीं है, यह केवल सरकार का स्वविवेक है ।

†**डा० गोविंद दास :** मैं उस स्थान से आया हूं जहां हड़ताल चल रही थी और मैं कह सकता हूं कि सरकारी अफसरों की ओर से अत्यन्त नर्मी का बर्ताव रहा है, जिस से पता चलता है कि किसने हड़ताल को प्रेरित किया । (**अन्तर्बाधाएं**)

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यास नदी पर बांध

\+

†*४९७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दलजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने ब्यास परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) ब्यास परियोजना में, जैसाकि इस समय विचार किया गया है, निम्न दो इकाइयां होंगी :—

इकाई संख्या १. ब्यास से सतलुज तक मिलाने वाला और इस के किनारे पर एक बिजलीघर ; और

इकाई संख्या २. पोंग में ब्यास पर एक संग्रह बांध तथा बांध के नीचे एक बिजलीघर।

ब्यास परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन अभी पंजाब सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, ब्यास के लिये एक परियोजना प्रतिवेदन अर्थात् पोंग में ब्यास पर बांध, तैयार किया गया है और इस इकाई को प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया गया है ।

(ख) ब्यास परियोजना का ब्यौरा केवल परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही दिया जा सकता है ।

पोंग में प्रस्तावित ब्यास बांध पर एक मिट्टी का बांध होगा जिसमें लगभग ५५ लाख एकड़ फुट पानी जमा हो सकेगा । बांध के नीचे बिजलीघर में २००,००० किलोवाट क्षमता की बिजली होगी। इस इकाई पर ९२ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** विवरण से पता चलता है कि इस इकाई की लागत का अनुमान ९२ करोड़ रुपये लगाया गया है । केन्द्रीय सरकार इसमें से कितना अंश देगी ?

†**श्री हाथी :** अभी वित्तीय सहायता का फैसला नहीं किया गया ?

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या परियोजना के प्रशासनिक नियंत्रण की कोई योजना बनाई जा चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के बारे में विचार किया जा रहा है ।

†**श्री दी० थं० शर्मा** : विवरण में कहा गया है कि पोंग में प्रस्तावित बांध मिट्टी का बांध होगा । क्या कंक्रीट के बांध बनाने की नीति छोड़ दी गई है ?

†**श्री हाथी** : यह प्रत्येक स्थान के भूमि प्रदेश और स्थानीय स्थिति पर निर्भर होगा ।

†**श्री बलजीत सिंह** : इस से कितने गांव उजड़ जायेंगे ? क्या उजड़ गांव के इन लोगों को बसाने के प्रश्न को, बांध का निर्माण आरम्भ होने से पूर्व लिया जायेगा, ताकि विरोधी दल उसका अनुचित लाभ न उठा सकें ?

†**श्री हाथी** : मोटा अनुमान है कि लगभग ९४,००० परिवार विस्थापित हो जायेंगे । उन्हें बसाने की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा ।

†**श्री हेमराज** : विवरण से पता चलता है कि दो इकाइयां हैं । क्या दोनों इकाइयां इकट्ठी ली जायेंगी या किसी एक इकाई को प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**श्री हाथी** : दूसरी का परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और उस पर कार्य आरम्भ हो गया है । दूसरी परियोजना प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आरम्भ की जायेगी ।

†**श्री हेमराज** : पोंग बांध के निर्माण से कितनी जनता विस्थापित हो जायेगी । और पांडो बांध से कितनी ?

†**श्री हाथी** : मैं ने बताया है ९४,००० परिवार ।

†**श्री हेमराज** : पोंग बांध तथा पोंडो बांध से पृथक पृथक कितने लोग विस्थापित होंगे ?

†**श्री हाथी** : मैं ने बताया है पोंग बांध से ९४,००० परिवार । दूसरी का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं, अतः मैं नहीं कह सकता कि कितने लोग विस्थापित होंगे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बांध के बनने पर पंजाब के अतिरिक्त राजस्थान को भी कुछ लाभ पहुंचेगा यदि हां तो कितने और किस रूप में ?

श्री हाथी : जी हां राजस्थान की १·९ मिलियन एकड़ जमीन को पानी मिलेगा और पंजाब की ·६ मिलियन एकड़ जमीन को मिलेगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या इस परियोजना का, विशेषकर ९२ करोड़ रुपये के पोंग बांध का विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया गया है, जो मिट्टी से बनाये जाने वाले बांधों के अनुभवी हैं, ताकि कोई वित्तीय या निर्माण सम्बन्धी गलती न हो, जैसी कि भाखड़ा बांध के बारे में हो गई थी ?

†**श्री हाथी** : पोंग बांध स्थान का परीक्षण हो चुका है और दूसरी परियोजना की अभी जांच की जा रही है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मिट्टी से बांध की योजना का किस विशेषज्ञ ने परीक्षण किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ह थी** : मुझे नाम मालूम नहीं हैं।।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वे विदेशी हैं या भारतीय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पद्म देव : इस बांध के बनने से कितनी कृषि भूमि खराब होगी और उस भूमि में बसने वाले लोगों के लिये क्या पहले प्रबन्ध होगा या उनको उजाड़ने के बाद उस पर विचार किया जायेगा ?

श्री हाथी : मैं ने जवाब दे दिया।

९४,००० लोग विस्थापित होंगे और २०,००० एकड़ भूमि जलमग्न हो जायेगी। उन लोगों को बसाने का प्रबन्ध किया जायेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : परियोजना के प्रशासन में राजस्थान सरकार का क्या हाथ होगा ?

†**श्री हाथी** : नियंत्रण बोर्ड या दूसरे किसी तंत्र की स्थापना के बारे में चर्चा की जा रही है और हमने राजस्थान तथा पंजाब की सरकारों के प्रतिनिधियों से बैठक की थी।

†**श्री हेमराज** : क्या इन क्षेत्रों के संसद् सदस्यों को बोर्डों में स्थान दिया जायगा ?

†**श्री हाथी** : सामान्यतया संसद् सदस्यों को प्रशासनिक बोर्डों में लेने की आशा नहीं है, किन्तु अन्य कामों के लिये परामर्श किया जा सकता है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या विश्व बैंक या अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकार से इस बांध के लिये कोई ऋण मांगा गया है ?

†**श्री हाथी** : इन के लिये अमरीका से ३२० लाख डालर तथा विश्व बैंक से २३० लाख डालर मिलेंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तान के साथ जो नहरी पानी समझौता हुआ है उस को देखते हुए इस ब्यास बांध को बनाने में कुछ शीघ्रता की जायगी, यदि हां तो उस की समाप्ति की अवधि कब तक रहेगी ?

†**श्री हाथी** : वास्तव में इसे ध्यान में रखते हुए पोंग बांध के लिये प्रशासनिक अनुमोदन पहले से दे दिया गया है।

†**श्री त्यागी** : क्या भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व, भूमिधारियों और अन्य लोगों को कोई दूसरा स्थान दिया जायगा ? क्या भूमि अधिग्रहण करने के पूर्व दूसरा प्रबन्ध किया जायगा या उन्हें वसे ही विस्थापित कर दिया जायगा ?

†**श्री हाथी** : समूचे प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

†**श्री त्यागी** : मैं निश्चित उत्तर चाहता हूं। क्या सरकार इन लोगों को बसाने तथा उनकी खेती के लिये कोई दूसरा प्रबन्ध करेगी या उन्हें बिना कोई प्रबन्ध किये ही निकाल दिया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : सामान्यतया, उन्हें दूसरा स्थान दिये बिना निकाला नहीं जायेगा । दूसरा प्रबन्ध किया जायेगा ।

†**श्री दलजीत सिंह** : इस बात का क्या कोई प्रयत्न किया गया है कि जो लोग वहां से इजैक्ट किये जायेंगे तो उनको इजैक्ट करने से पहले उनके बसाने का कोई प्रबन्ध कर लिया जायेगा ताकि अपोजीशन पार्टियां उनको एक्सप्लाएट न कर सकें ?

†**श्री हाथी**: यह कार्रवाई का सुझाव है ।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो पोंग डैम है इसका पानी ज्यादातर राजस्थान के लिये इस्तेमाल होगा तो जो लोग यहां से उजाड़े जायेंगे उनको बसाने की जिम्मेदार रजस्थान गवर्नमेंट होगी या पंजाब गवर्नमेंट होगी ?

†**श्री हाथी** : जब नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया जायगा तो उस पर अच्छी तरह विचार किया जा सकता है ।

उड़ीसा में कैंसर अस्पताल

†*४९६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में कैंसर के अस्पताल के निर्माण के लिये उड़ीसा राज्य की सरकार के अनुरोध पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये धन की मंजूरी दी जा चुकी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री श्री करमरकर**) : (क) जी हां ।

(ख) १,५०,००० रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : इस हस्पताल के निर्माण के लिये तैयार किया गया अनुमान २,२५,००० रुपये का था और आवर्त्तक व्यय ८०,००० होना था । क्या सरकार ने राज्य सरकार की प्रार्थना पर पूर्णतः विचार किया है ? यदि हां, तो क्या पूरी राशि इस हस्पताल के निर्माण के लिये आवंटित की जायेगी ?

†**श्री करमरकर** : इस पर पूर्णरूपेण और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया था । परन्तु हमारे पास भी उपलब्ध धन का अनुमान था। उस अनुमान को ध्यान में रख कर हमने यह आवेटन किया है ।

†**श्री प्र० के० दव** : वह हस्पताल कहां बनाया जायेगा और उसमें कितने बैड (बिस्तर) होंगे ?

†**श्री करमरकर** : यह सी० डी० हस्पताल, कटक के लिये २५ बैडों का होगा ?

†**श्री रघुनाथ सिंह**: क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां एक तिहाई जनसंख्या है, कोई हस्पताल खोला जा रहा है—

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न, श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीफोन सेवायें

*४९९. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद की तरह किन-किन नगरों से सीधा टेलीफोन सम्बन्ध बनाने का विचार है ;

(ख) यह टेलीफोन सेवा कब तक आरम्भ हो जायेगी ।

(ग) क्या भारत के कुछ अन्य नगरों में भी ऐसी ही सीधी टेलीफोन सेवा बनाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन नगरों में ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) शहादरा ।

(ख) अगस्त, १९६१ तक ।

(ग) जी हां ।

(घ) कुछ उदाहरण ये हैं :—

कैम्पटी-नागपुर, पूना-पिम्परी, कोजीकोडे-फेरोके ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली से आगरा अथवा दिल्ली से कलकत्ता और बम्बई के लिये भी सीधी टेलीफोन सर्विस जारी करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक इसको कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : दिल्ली–आगरा विचाराधीन है और यह अगले वर्ष के लगभग बीच होगा । परन्तु दिली–कलकत्ता और दिल्ली–बम्बई लम्बे मार्ग हैं । यह दूरी का प्रश्न है और फिर प्रविधिक व्यौरा, भूमिगत तारों, को-ऐक्सियल तारों आदि के दूसरे मामले हैं । बड़ी दूरी होने के कारण इसमें कुछ समय लगेगा । मैं नहीं कह सकता कि यह कब होगा, परन्तु इसमें काफी समय लगेगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : दिल्ली–चंडीगढ़ सीधी लाइन की क्या स्थिति है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : यह अभी मान चित्र पर नहीं है ।

†**श्री प्रा० के० देव** : उड़ीसा में पिछली बाढ़ों में टेलीफोन लाइनों के टूट जाने के अपने अनुभव से क्या उड़ीसा सरकार ने दूसरी लाइन भुवनेश्वर–दिल्ली और बारास्ता कलकत्ता नहीं बनाने की योजना पेश की है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी, हां । उसने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं जो विचाराधीन हैं । परन्तु किन स्टोरों की कमी, तारों की कमी और केबलों की कमी के कारण ऐसी योजनायें कार्यान्वित करना बहुत कठिन हो गया । इसमें सन्देह नहीं कि भारत सरकार राज्य सरकार की बात पर विचार करेगी और जो संभव होगा वह करने की कोशिश करेगी । (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय** : यह दिल्ली के आसपास के क्षेत्र तक सीमित होगा ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, नहीं ।

†**डा० प० सुब्बरायन** : सीधी टेलीफन तारों के सब प्रस्ताव इस प्रश्न के अन्तर्गत आते हैं और मैं ने कोझीकोड का भी उल्लेख किया है... (**अन्तर्बाधायें**)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं अब समूचे भारत के बारे में अनुमति दूंगा ? जब उनके पास पूरी जानकारी होगी तो माननीय मंत्री सभा पटल पर विवरण रख देने की कृपा करेंगे ।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं ऐसा करने को तैयार हूं परन्तु यह कह दूं कि उत्तर में बताया गया है कि क्या किया जायेगा ।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : माननीय मंत्री ी के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली के आस-पास जितने नगर हैं, जैसे गाजियाबाद और शाहदरा आ दि, उन सब के साथ दिल्ली से सीधी टेलीफोन सर्विस जारी करने का सरकार का इरादा है । इसी तरीके से क्या फरीदाबाद, जो दिल्ली का ही एक प्रकार से भ ग है और इंडस्ट्रियल एरिया है, और गुड़गांव से भी दिल्ली के साथ सीधी टेलीफोन सर्विस स्थापित होगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : यह अभी विचाराधीन नहीं है । माननीय सदस्य को जानकारी है उसे जानते हुए और यह जानते हुए कि उनका अनुमान बिल्कुल ठीक है, हम जो कुछ संभव होगा करने का प्रयत्न करेंगे परन्तु हम नई लाइनों को आरम्भ करने से पहले उन लाइनों को समाप्त करगे जो पहले हाथ में ली जा चुकी हैं ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : दिल्ली से भोपाल, जबलपुर और नागपुर तक सीधी ट्रंक-काल सर्विस कब तक लगने वाली है ?

†**डा० प० सब्बरान** : मुझे माननीय महिला सदस्य से यह सुनकर बडी प्रसन्नता हुई है कि उन्हें इन सीधी लाईनों से कितना संबंध है । इन सब बातों पर बाद में विचार किया जायेगा अब नहीं ।

प्रश्न संख्या ५०० और ५१८ के बारे में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : प्रश्न संख्या ५०० के साथ प्रश्न संख्या ५१८ को भी ले लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई सदस्य यहां है जिसने प्रश्न संख्या ५१८ रखा है, वह उस प्रश्न को भी पूछ ले । माननीय मंत्री को कोई आपत्ति तो नहीं ? (**अन्तर्बाधायें**)

श्री राधा रमण वह प्रश्न भी पूछ लें ।

खाद्यान्न का राज्य-व्यापार

\+

†*५००. **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० च० शर्मा :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न के राज्य-व्यापार के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या खाद्यान्न के राज्य व्यापार के विस्तार के लिये अन्य उपायों का पता लगाने के उद्देश्य से जांच की गयी है अथवा की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच कार्य का क्या परिणाम निकला है अथवा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री आ० म० थामस)**: (क) इस वर्ष अधिक अन्न वाले राज्यों में चावल, धान और गेहूं की खरीदें जारी रहीं। फसल वर्ष १९५९–६० में ८.२८ लाख मोट्रिक टन चावल और २.२८ लाख मोट्रिक टन धान केन्द्रीय और राज्य सरकारों के खाते में खरीदा गया। इस वर्ष की गेहूं की फसल में से राज्य सरकारें अभी तक ३.६२ मोट्रिक टन गेहूं खरीद चुकी हैं।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

कृषिजन्य पदार्थों के न्यूनतम मूल्यों का निर्धारण

†*५१८. **श्री राधा रमण :**
श्री दी० च० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामी रेड्डी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री खीमजी :
श्री आचार :
श्री साधन गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने सहित सभी फसलों की कीमतें निर्धारित करने और तत्संबंधी अन्य बातों पर विचार करने के लिये एक समिति तालिका का गठन करने की योजना के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: मामला अभी विचाराधीन है।

†**श्री राधा रमण** : खाद्यान्न के राज्य व्यापार में आंशिक सफलता मिली है अथवा पूर्ण और यदि हां, तो किन किन राज्यों में ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : यह विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों पर निर्भर है। जहां तक वर्तमान स्थिति का संबंध है, वह अनावश्यक हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राधा रमण : क्या उसे खत्म कर दिया जायेगा ?

†श्री स० का० पाटिल : उसे बिल्कुल तो नहीं खत्म किया जायेगा क्योंकि वह ऐसा हथियार है जिसे हमेशा हाथ में रखना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जा सके ।

†श्री नाथ पाई : ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो इस विचार के विरुद्ध हैं अथवा जो व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण उसका विरोध करते हैं जैसे महाराष्ट्र राज्य ?

†श्री स० का० पाटिल : न कोई विरोधी है और न कोई पक्ष में ही । जैसा कि मैं कह चुका हूं यह ऐसा हथियार है जिसे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जा सकता है । इस समय पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां वह आंशिक रूप में किया जा रहा है परन्तु मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता । उन्हें वह यथाशीघ्र समाप्त कर देना होगा ।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी: क्या यह सच नहीं है कि उड़ीसा में खाद्यान्नों क राज्य व्यापार सफल रहा था और उड़ीसा सरकार की अनिच्छा के बावजूद वहां खाद्य जोन चालू किये गये ?

†श्री स० का० पाटिल : यह मेरे लिये नई खबर है । उड़ीसा में तो वर्तमान चावल के निपटान की भी कठिनाई हो रही है ।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि उड़ीसा की सरकार अतिरिक्त स्टाक को राज्य व्यापार के माध्यम से बेचना चाहती है ?

†श्री स० का० पाटिल : यह राज्य व्यापार नहीं है, उनके पास वह है अवश्य और वे बेचा भी जाना है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यह कार्य राज्य व्यापार निगम को सौंपा जायेगा ?

†श्री स० का० पाटिल : नहीं, श्रीमान्, मैं नहीं समझता कि वह इस व्यापार में आता है ।

डा० गोविंद दास : क्या यह बात सही है कि जब कभी सरकार की खरीद जारी होती है, तो वह ऐसे वक्त जारी होती है जब बहुत सा माल आ चुकता है और भाव बहुत गिर जाते हैं और किसानों को इन खरीदों से कोई खास फायदा नहीं होता है ?

श्री स० का० पाटिल : अच्छा होता कि माननीय सदस्य यह सवाल वहां की गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर से पूछते ।

डा० गोविंद दास : मैं यह प्रश्न सारे देश के लिये पूछ रहा हूं, केवल मध्य प्रदेश के लिये नहीं ।

श्री स० का० पाटिल : उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है । वह चीज छः महीने से चल रही है और उसकी सारी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पर है ।

†श्री त्यागी : क्या राज्य व्यापार केवल विदेशी खाद्यान्न पर लागू होता है अथवा भारत में पैदा हुये अन्न पर भी ? क्या हम इस वर्ष राज्य व्यापार के कारण हुई हानि या लाभ भी जान सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री स० का० पाटिल : वे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं क्योंकि वह स्वयं राज्यों ने किया है। परन्तु जहां तक मैं जानता हूं मध्य प्रदेश को लगभग ३०–४० लाख रुपये की हानि होगी और पंजाब की हानि सम्भवता इससे भी अधिक होगी ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या सरकार ने राज्य व्यापार को अनावश्यक करार देने के पूर्व राज्यों के विचारों पर पर्याप्त विचार किया था विशेष कर पंजाब सरकार के इस विचार पर कि राज्य में अन्न के मूल्य स्थिर रखना परम आवश्यक है ?

†श्री स० का० पाटिल : सरकार इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। मैंने यह कहा था कि अनेक परिस्थितियों में राज्य व्यापार अनावश्यक हो जाता है जैसाकि इस समय है। जब भाव गिर रहे हों उस वक्त यदि कोई व्यक्ति उन चीजों की खरीद करता है तो वह बुद्धिमानी नहीं होगी।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या सरकार ने इस तथ्य पर विचार किया है कि पंजाब सरकार ने यह कहा था कि वहां खाद्यान्न के भाव स्थिर रखने के लिये वह अत्यन्त आवश्यक है ?

†श्री स० का० पाटिल : दो बातें हैं, उपभोक्ता के लिये भाव स्थिर रखना और किसानों के लिये भाव स्थिर रखना। यदि पंजाब सरकार किसानों के लिये भाव स्थिर रखना चाहती है तब तो ठीक है। परन्तु जहां तक उपभोक्ताओं का संबंध है उन पर उसका उल्टा असर पड़ता है।

†श्री अजित सिंह सरहदी : मेरा प्रश्न किसानों के पक्ष में भाव से संबंधित है।

†श्री स० का० पाटिल : देश में किसानों के लिये मूल्य स्थिर रखने के लिये मैं किसी भी सरकार से अधिक उत्सुक हूं।

†श्री ब्रजराज सिंह : यदि ऐसा है तो कृषि वस्तुओं के न्यूनतम मल्य निर्धारित करने के लिये समिति की नियुक्ति में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ? प्रश्न ५१८ के उत्तर में यह कहा गया है कि मामला अभी विचाराधीन है। समिति की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

†श्री स० का० पाटिल : मैं सभा में अनेक बार इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। मैंने न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति का कभी विचार नहीं किया है। आवश्यकता तो कृषि मंत्रणा समिति की है और वह दिन पर दिन अधिक बढ़ती जा रही है। परन्तु जल्दी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे उपभोक्ता अथवा उत्पादक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसलिये उस मामले पर विचार किया जा रहा है और इस बीच में कोई हानि नहीं होगी ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या खाद्यान्न के राज्य व्यापार के लिये नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं और क्या उन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ?

†श्री अ० म० थामस : वह दो वर्ष पहले ही दे दिया गया था।

†अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमने इस प्रश्न पर चर्चा की थी कि जहां तक खाद्यान्नों का संबंध है राज्य व्यापार निगम को वितरण आदि का कार्य करना चाहिये अथवा नहीं क्योंकि मैं देखता हूं कि सभा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के घंटे में बड़ी नीति के मामलों की चर्चा की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : खाद्यान्न का कार्य राज्य व्यापार निगम नहीं करता है। खाद्य मंत्रालय में महानिदेशक का कार्यालय आयात किये गये और देश में से प्राप्त खाद्यान्न का कार्य करता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस प्रकार के व्यापार के संबंध में कोई आपत्ति है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : राज्य व्यापार निगम का उससे कोई संबंध नहीं है। राज्य व्यापार का मतलब यह है कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें स्वयं व्यापार करें अर्थात् खाद्यान्न की खरीद करें अथवा बेचें। इसका राज्य व्यापार निगम से कोई संबंध नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार इस विचार के विरुद्ध नहीं है। वे विरोध भले ही न करें परन्तु उन्होंने समस्त योजना को ठप्प कर दिया है। क्या उन्हें महाराष्ट्र के संभरण मंत्री के उस वक्तव्य की जानकारी है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि महाराष्ट्र सरकार उस योजना को क्रियान्वित नहीं करेगी क्योंकि वह जिन अन्य सरकारों पर निर्भर है वे उसे क्रियान्वित नहीं कर रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : नहीं, श्रीमान्। मुझ याद है कि हाल में मध्य प्रदेश जोन के निर्माण के संबंध में उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर दिया था। यह आवश्यक नहीं है क्योंकि जहां तक उनका संबंध है, उन्हें यह देखना चाहिये कि उपभोक्ताओं के लिये मूल्य न बढ़ें। अब मूल्य इतने गिर गये हैं कि उनके लिये कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं रही है। इसलिये उन्होंने ऐसा उत्तर दिया था ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि मध्य प्रदेश सरकार को ३०, ४० लाख रु० का नुक्सान हुआ, तो क्या यह बात सही नहीं है जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कहा भी जाता है कि यह नुक्सान भारत सरकार की नीति के कारण ही हुआ। जब बम्बई स्टेट को जरूरत थी, तब उसने वहां अनाज नहीं जाने दिया।

†**श्री स० का० पाटिल** : यह राज्य और भारत सरकार के बीच का घरेलू मामला है। मैं ने यह नहीं कहा था कि केवल मध्य प्रदेश सरकार को ही हानि होगी। वह हानि किसे भुगतनी चाहिये इस पर विचार किया जा रहा है ।

डा० गोविंद दास : जहां तक माननीय मंत्री जी का यह कथन है कि वे इस बात को देख रहे हैं कि किसानों को उनके अनाज का काफी ठीक मूल्य मिले, क्या यह बात सही नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बार बार लिखा कि धान और गेहूं के मूल्य बढ़ाये जायें, और केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कुछ नहीं किया ?

श्री स० का० पाटिल : यह बात ठीक है। केन्द्रीय सरकार ने इस लिये ऐसा नहीं किया कि वह न केवल किसानों के इंटरेस्ट को ही देखती है, बल्कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी देखना उसके लिये आवश्यक है क्योंकि इसमें सारे आदमियों की तादाद आ जाती है, और मैं मानता हूं कि भाव बढ़ने से वह चीज नहीं हो सकती है। यह बात ठीक है कि भाव बढ़ने से शायद किसानों को थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता, लेकिन उससे न केवल मध्य प्रदेश के किसानों के लिये भाव बढ़ता बल्कि दूसरे भागों के लिये भी बढ़ता, और इससे बहुत ज्यादा अनर्थ पैदा होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० गोविंद दास : माननीय मंत्री जी ने एक बात और कही कि भाव काफी घट गये हैं, ऐसी हालत में जब मध्य प्रदेश की सरकार का यह प्रस्ताव है कि धान और गेहूं के भाव बढ़ाये जायें, तो उससे क्या किसानों को लाभ नहीं होगा ?

श्री स० का० पाटिल : भाव इस लिये घट गये कि मध्य प्रदेश एक इंडिपेंडेंट ज़ोन था और बिना सरकार की इजाजत के अनाज बाहर नहीं जा सकता था । जब खुल जायेगा तो मैं मानता हूं कि किसानों को और ज्यादा पैसा मिलेगा, और मिलना ही चाहिये ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या यह सच है कि पंजाब सरकार चीनी दो अन्य राज्यों से कहीं अधिक मूल्य पर बेच रही है, और यदि हां, तो इस संबंध में किस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह राज्य का मामला है । मुझे यह मालूम हो गया है कि वह उसे अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं क्योंकि वे अपने लिये कुछ लाभ चाहते हैं । हम बड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं कि मूल्य समान रखने के लिये इस प्रकार की बातों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : वसूली की प्रतिमन औसत लागत क्या है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं नहीं जानता । वह भिन्न-भिन्न है । परन्तु मैं मोटी तौर से अनुमान बता सकता हूं । जो गेहूं १४ रुपये या १५ रुपये प्रतिमन के भाव से खरीदा गया था वह १७ रुपये मन बेचा गया । इसलिये लागत १ रुपये से ३ रुपये प्रतिमन के बीच ही होगी । उसमें थोड़ा सा लाभ भी सम्मिलित होगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या सरकार ने कृषि वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के पूर्व कृषि वस्तुओं की लागत के संबंध में जांच करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं । न्यूनतम मूल्य निश्चित करने के पूर्व वह करना ही होगा और यही कारण है कि एक सामान्य नीति का निर्माण करने के लिये सरकार के विभिन्न विभागों को एक साथ मिलकर काम करना होगा । इसीलिये उसमें कुछ समय लग रहा है परन्तु मैं उनके सुझाव से सहमत हूं ।

†**श्री अ० चं० गुह** : माननीय मंत्री ने कहा कि गेहूं की वसूली की प्रतिमन लागत लगभग २ रुपये से तीन रुपये तक है । क्या सरकार ने इसके संबंध में कोई जांच की है कि वसूली की प्रतिमन लागत इतनी अधिक क्यों हैं ? जब बड़े पैमाने पर वसूली की जाती है तो मैं समझता हूं कि लागत आठ आने प्रतिमन से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैंने कहा था कि वह १ रुपये से ३ रुपये तक होगी । मैंने केवल १४ रुपये या १५ रुपये प्रतिमन खरीद भाव और १७ रुपये प्रतिमन बिक्री भाव का उल्लेख किया था जो तथ्य हैं । परन्तु लागत हमेशा केवल कर्मचारियों पर ही निर्भर नहीं रहती । सरकार को रिजर्व बैंक से ऋण लेने पड़ते हैं जिन पर ४½ प्रतिशत ब्याज देना होता है । करोड़ों रुपये के ऋण जमा रखने पड़ते हैं जब तक कि रुपया लिया नहीं जाता । इसके अतिरिक्त संग्रहण तथा अन्य प्रभार भी होते हैं । यह सब मिलाकर इतना खर्चा आ जाता है कि वर्तमान स्थिति में लाभकारी नहीं रह जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० चं० गुह : यदि राज्य व्यापार का मतलब यह है कि उपभोक्ताओं को २ रुपये से ३ रुपये प्रतिमन भुगतान करना पड़े तो मैं समझता हूं कि सरकार को सम त प्रश्न पर नये सिरे से विचार करना चाहिये। उपभोक्ताओं को इतनी अधिक लागत का भुगतान करने के लिये विवश क्यों किया जाता है ?

†श्री स० का० पाटिल : अब विचार करने के लिये कुछ रह नहीं गया है क्योंकि वह खत्म हो चुका है ।

प्रकाशस्तम्भों सम्बन्धी विश्व-सम्मेलन

†*५०१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन में प्रकाशस्तम्भों संबंधी विश्व-सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या मुख्य निश्चय किये गये, जिनसे भारतीय प्रकाश स्तम्भ प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । भारत की दृष्टि से समस्त निर्णय वांछनीय समझे जाते हैं ।

विवरण

सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्तावों की चर्चा की गई थी तथा उन्हें सम्मेलन की १९६५ में होने वाली अगली बैठक तक के लिये स्थगित कर दिया गया था :

(१) अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशस्तंभ व्यवहार में अंगीकृत ल्युमिनस इन्टेंसिटी के मूल प्रतिमानों का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव ।

(२) ल्युमिनस इंटेंसिटी के नोटेशन और प्रकाशों की दूरी का लागर्थमिक पैमाने पर पुनरीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव ।

निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गई थी तथा उन्हें त्याग दिया गया :

(१) रिव लविंग अपटिक्स के प्रयोग करने के लिये इलेक्ट्रानिक उपकरण का प्रयोग ।

(२) समुद्री सिगनलिंग में इस समय प्रयोग किये जाने वाले सफेद लाल तथा हरे रंगों के अतिरिक्त बेंगनी रंग काम में लाना ।

†श्री रघुनाथ सिंह : उस सम्मेलन में भारत की क्या स्थिति थी और क्या भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के किसी सदस्य ने कोई प्रस्ताव रखा था ?

†डा० प० सुब्बरायन : पता नहीं माननीय सदस्य किसका निर्देश कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुनाथ सिंह : अभी जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत ने भाग लिया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल के किसी सदस्य ने कोई प्रस्ताव पेश किया था, क्योंकि वह सम्मेलन असफल रहा ?

†डा० प० सुब्बरायन : मैं उसे असफल नहीं मानता हूं। मैं माननीय सदस्य के समस्त तर्कों को अस्वीकार करता हूं जो सब उनके निजी हैं।

†श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस सम्मेलन में भारत द्वारा कोई प्रस्ताव पेश किया गया था ? क्या भारत के किसी प्रतिनिधि ने कोई संकल्प अथवा संशोधन उपस्थित किया था ?

†डा० प० सुब्बरायन : उन्होंने कोई संकल्प अथवा संशोधन रखना आवश्यक नहीं समझा।

†श्री रघुनाथ सिंह : प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कौन कौन थे ?

†डा० प० सुब्बरायन : इस समय मेरे पास उसकी पूरी सूचना नहीं है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है उसे यह सन्तोष है कि प्रतिनिधिमंडल ने अपने कर्त्तव्य का समुचित पालन किया।

†श्री रघुनाथ सिंह : यदि माननीय मंत्री के पास प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में सूचना नहीं है तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रतिनिधिमंडल की ओर से प्रतिवेदन किसने पेश किया ?

†डा० प० सुब्बरायन : प्रतिवेदन प्रकाशस्तंभों के महानिदेशक द्वारा पेश किया गया है।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या उन्होंने उस सम्मेलन में भाग लिया था ?

†डा० प० सुब्बरायन : मैं समझता हूं कि लिया था।

†श्री तंगमणि : विवरण से ज्ञात होता है कि रिवॉलविंग ऑपटिक्स के प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। इसके सम्बन्ध में हमारी सरकार का क्या विचार है ?

†डा० प० सुब्बरायन : सम्मेलन में जो कुछ हुआ उस पर सरकार विचार कर रही है।

†श्री नाथ पाई : श्री रघुनाथ सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कोई प्रस्ताव पेश करना आवश्यक नहीं समझा। यदि हमारे प्रतिनिधियों को यही करना था तो देश का इतना अधिक धन क्यों खर्च किया गया ? हम उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर सकते थे और तब अपनी अनुमति दे देते।

†डा० प० सुब्बरायन : मैं माननीय सदस्य की बात नहीं मानता हूं क्योंकि जब प्रतिनिधिमंडल वहां उपस्थित होता है तो वह यह जान सकता है कि वहां क्या हो रहा है और सरकार को प्रतिवेदन दे सकता है ताकि सरकार उस पर विचार कर सके जिस पर कि सम्मेलन में विचार किया गया था।

†श्री रघुनाथ सिंह : प्रतिनिधिमंडल पर कितना खर्च हुआ ?

†डा० प० सुब्बरायन : मेरे पास व्यय की निश्चित सूचना नहीं है।

---

†मूल अंग्रजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय बीज निगम

†*५०२. पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री रामी रेड्डी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में उत्पादन-गतिविधियों में तालमेल पैदा करने के लिये एक केन्द्रीय निगम की स्थापना करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) इसे अब और कहां स्थापित किया जायेगा ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, हां।

(ख) योजना अभी तैयार की जा रही है, इसलिये इतनी जलदी यह नहीं बताया जा सकता कि वह निगम कहां पर और कब स्थापित किया जायेगा।

बृहत्तर कलकत्ता में जल संभरण तथा निस्सारण

†*५०३. श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार बृहत्तर कलकत्ता राजधानी जल संभरण और निस्सारण बोर्ड की स्थापना के लिये कोई कदम उठाया गया है ;

(ख) क्या योजनायें तैयार करने के लिये बोर्ड को सलाह देने के वास्ते सलाहकारों के दल की नियुक्ति भी कर दी गई है ;

(ग) क्या बोर्ड ने काम शुरू कर दिया है; और

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बोर्ड को किस किस्म की सहायता दी जा रही है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) वृहत्तर कलकत्ते की जल संभरण, तथा जल निस्सारण सम्बन्धी समस्या को हल करने के लिये कलकत्ता राजधानी प्राधिकार की स्थापना के लिये एक प्रारूप विधेयक तैयार किया गया है जो कि इस समय पश्चिमी बंगाल की सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं ;

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

बलहारशाह-विजयवाड़ा लाइन को दोहरा करना

†५०४. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलहारशाह और विजयवाड़ा के बीच दोहरी रेलवे लाइन बनाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस सैक्शन पर बढ़ते हुये यातायात को किस प्रकार संभाला जायेगा; और

(ग) क्या इस सेक्शन को दोहरा करने के खर्च का अनुमान लगाया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). विजयवाड़ा और येरूपलायम के बीच २५ मील के भाग में दोहरी लाइन बनाने के सुझाव की मंजूरी दे दी गई है जिस पर अनुमानतः लगभग २६५ लाख रुपयों का खर्च आयेगा ।

यातायात के विकास के सम्बन्ध में स्पष्टरूपेण ज्ञात हो जाने के बाद ही और अधिक भाग में दोहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता पर विचार किया जायेगा ।

हल्दिया—खड़गपुर लाइन

†*५०५. श्री साधन गुप्त :
श्री स० च० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० के० देव :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन तथा संचार मंत्रालय ने हल्दिया को खड़गपुर से जोड़ने वाली रेलवे लाइन बनाने की कोई प्रस्थापना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्थापना के बारे में रेलवे मंत्रालय का क्या रवैया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी सर्वेक्षण करना बाकी है ।

(ग) यह लाइन 'तृतीय योजना की रूप रेखा' में सम्मिलित नहीं है, इसलिये योजना आयोग को यह परामर्श दिया गया है कि यदि इस लाइन का निर्माण करना पड़ा तो रेलवे सम्बन्धी योजना के लिये अतिरिक्त राशि आवंटित करनी पड़ेगी ।

परिवार नियोजन

†*५०६. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का रवैया क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन इस विषय में कोई कदम उठा रहा है तथा सहायता दे रहा है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जहां तक भारत सरकार को ज्ञात है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी तक परिवार नियोजन के कार्य में सक्रिय रूप में सम्मिलित नहीं हुआ है।

टिड्डियों का आक्रमण

†*५०७. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० के० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री सूपकार :
श्री राधारमण :
श्री रामी रेड्डी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री आसर :
श्री गोरे :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :
श्री जीनचन्द्रन :
श्री हेम बरूआ :
श्री दामानी :
श्री आचार :
श्री पु० र० पटेल :
डा० सामन्त सिंहार :
श्री सुबिमन घोष :
श्री न० म० देव।
श्री कोडियान :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिड्डियों के हाल ही के आक्रमण से देश में अनाज की फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है ;

(ख) इसका प्रभाव किन राज्यों पर पड़ा है; और

(ग) भविष्य में ऐसी हानि रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) .टिड्डियों के कारण देश की फसल को होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में उस राज्य सरकार से भारत सरकार को अभी तक अन्तिम आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। वैसे उन टिड्डियों के आक्रमण का प्रभाव पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और उड़ीसा राज्यों में हुआ है।

(ग) जैसा कि ५ अगस्त, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या १७२ के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया था, भारत में टिड्डियों के आगमन को रोका नहीं जा सकता, फिर भी भारत में दाखिल हो जाने के बाद उन टिड्डियों को भगाने के लिये उपयुक्त कार्यवाहियां की जाती हैं।

भारत में जो टिड्डी दल प्रवेश करते हैं उनका उद्गम स्थान पश्चिमी देशों में है, जहां वे शरद-काल तथा वसन्त ऋतु में पलते रहते हैं। टिड्डियों के प्रभाव को कम करने के लिये भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन के द्वारा संगठित एक अन्तर्राष्ट्रीय टिड्डी विरोधी आन्दोलन में गत सात वर्षों से भाग ले रही है और इस बार भी १९६०–६१ में भाग लेने के लिये २१ व्यक्तियों के टिड्डी-विरोधी मिशन को सऊदी अरब और क्वायत में भेज रहा है।

डीजल से चलने वाले रेलवे इंजनों का आयात

†*५०८. **श्री कुन्हन :** क्या रेलवे मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल से चलने वाले ४० रेलवे इंजनों के संभरण के लिये २४ अगस्त, १९६० को प्राप्त टेंडरों की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें सबसे कम कीमत क्या बताई गई है; और

(ग) यह प्रस्ताव किस फर्म ने किया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ i) : (क) से (ग) .वे प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

रेलवे के माल-डिब्बे

*†५०९. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री आचार :
श्री हेम बरूआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माल-डिब्बों के उत्पादन के काम को तेज करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत प्रति मास कितने माल डिब्बों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) आजकल माल-डिब्बों का मासिक उत्पादन कितना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) यदि पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त इस्पात उपलब्ध हो सका तो प्रति मास लगभग २,००० माल डिब्बे (४ पहिये वाले) तैयार किये जा सकेंगे ।

(ग) लगभग ८००–९०० माल डिब्बे (४ पहिये वाले) प्रति मास ।

गन्ने का मूल्य

***५१०. श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन-शुल्क में छट के कारण गन्ना-उत्पादकों को अब गन्ने का अतिरिक्त मूल्य नहीं मिलेगा; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

काफी बागान

†***५११. श्री आचार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि काफी उत्पादकों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्धारित मात्रा में से पहली दो तिमाहियों में जितना माल भेजने के लिये कहा गया उसका केवल ५० प्रतिशत माल दिया गया और वह भी समय पर नहीं भेजा गया; और

(ग) क्या सरकार उत्पादन में सहायता देने के उद्देश्य से उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा का संभरण समय पर करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां । विदेशी मुद्रा की कमी के कारण नाइट्रोजन सम्बन्धी भी उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो सके। और इसीलिये काफी तथा खाद्य की अन्य फसलों के लिये उर्वरक की पूर्ण मांग पूरी नहीं की जा सकी ।

(ख) जी, हां । प्रथम दो तिमाहियों में काफी बागान को कुल मांग में से केवल ५० प्रतिशत मात्रा संभरित की जा सकी । द्वितीय तिमाही के अन्त तक ८३ प्रतिशत मात्रा संभरित की जा सकी ।

(ग) बागान को संभरित की जाने वाली मात्रा को बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रयत्न किया जा रहा है ।

नई दिल्ली में सुपर मार्केट

†***५१२. श्री राधा रमण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली के कनाट प्लेस में २५ लाख रुपये की लागत से पांच मंजिलों वाली एक सुपर मार्केट बनाने की योजना स्वीकार कर ली है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है और इस कार्य को हाथ में कब लिया जायेगा ; और

(ग) इस मार्केट के तैयार होने में कितना समय लगेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

संयुक्त राज्य अमरीका से गेहूं का आयात

†*५१३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका से आ रहे खाद्यान्नों को बन्दरगाहों पर संभालन का कार्य बड़े धीमे और असंतोषजनक ढंग से हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न को यथोचित रूप से संभालने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). विदेशों से भारतीय पत्तनों पर इकट्ठी मात्रा में आने वाले खाद्यान्नों को संभालने के सम्बन्ध में यांत्रिक सुविधायें फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं । क्योंकि यह कार्य मजदूरों द्वारा किया जा रहा है, इसलिये उस के परिणाम असन्तोषजनक नहीं कहे जा सकते ।

वर्तमान प्रबन्ध में सुधार करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

पाल वाले जहाजों का निर्माण

†*५१४. **श्री आसर :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सुधरी हुई किस्म के पाल वाले जहाजों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस के लिये कोई स्थान चुन लिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]**

वेतन आयोग की रिपोर्ट

†*५१५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी क्रियान्वित नहीं की गयी; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई-नागपुर विमान सेवा

†*५१६. डा० सामन्त सिंहार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने दिन के समय बम्बई नागपुर विमान सेवा को पुनः चालू करने के लिय केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है;

(ग) प्रतिदिन औसतन कितने यात्री यात्रा किया करेंगे;

(घ) इस सेवा को कब और क्यों बन्द किया गया था; और

(ङ) इस सेवा को पुनः कब चालू किया जायेगा ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ). इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन बम्बई और कलकते के बीच नागपुर के मार्ग से एक अनुसूचित विमान सेवा चला रही थी । जो कि १८ मई १९५४ से बन्द कर दी गयी; क्योंकि उस पर यातायात बहुत कम था अर्थात् बम्बई से कलकत्ता के सम्पूर्ण मार्ग पर प्रति विमान में औसतन ११ यात्री और बम्बई-नागपुर सेक्टर में औसतन २. २ यात्री चलते थे । उस सेवा को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में कारपोरेशन का फिलहाल कोई विचार नहीं है। फिर भी समय समय अतिरिक्त सेवायें चालू करने के प्रश्न पर विचार किया जाता है ।

पीने के पानी के संभरण की योजनाएं

†*५१७. श्री तंगामणि: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या पीने के पानी के संभरण की योजनाओं का अध्ययन करने के लिये मद्रास की स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती लोरदाम्मल द्वारा नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) इस समिति के निर्देश-पद क्या थे ;

(ग) इस समिति ने अब तक किन राज्यों का दौरा किया है; और

(घ) इस की रिपोर्ट के कब तक मिलने की सम्भावना है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) समिति के निर्देश पद ये हैं कि वह समिति नगर तथा ग्राम्य क्षेत्रों में जल संभरण तथा स्वच्छता की वर्तमान स्थिति पर विचार करे और विशेष रूप से वित्तीय तथा अन्य समस्याओं के प्रसंग में इस सम्बन्ध में भविष्य में कार्य की गति देने के सम्बंध में अपनी सिफारिशें भेजे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मद्रास, केरल और पश्चिमी बंगाल ।

(घ) १९६१ के मध्य तक ।

गोदावरी और कृष्णा नदियों के जल का वितरण

†*५१९. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामी रेड्डी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री गोरे :
श्री अगाडी :
श्री सुगन्धि :
श्री आचार :
श्री मि० सू० मूर्त्ति :
श्री हाल्दर :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री तंगामणि :
श्री मयंणिगाडन :
श्री मुहम्मद इमाम :
डा० विजय आनन्द :
श्री हेम बरूआ :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल के वितरण के लिये इस बीच क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) उन का क्या परिणाम निकला है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री की अध्यक्षता में २६ और २७ सितम्बर, १९६० को नयी दिल्ली में एक अन्तर्राज्यीय सम्मेलन हुआ था ।

(ख) सम्बन्धित राज्य आपस में कोई फैसला न कर सके । अब केन्द्रीय सरकार इस के फैसले के लिये और कार्यवाहियां करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाढ़ के कारण क्षति

†*५२०. पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रामी रेड्डी :
श्री मि० सू० मूर्त्ति :
श्रीमती इला पालचौधरी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम बरूआ :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जुलाई-अगस्त में बाढ़ आने के कारण प्रत्येक जोन में (१) रेलवे सम्पत्ति को कितनी क्षत्ति पहुंची है और (२) लाइनों के बह जाने और पुलों को क्षति पहुंचने से यातायात ठप्प हो जाने से आय में कितनी हानि हुई है; और

(ख) लाइनों और पुलों की मरम्मत और पुनःस्थापना पर कितना व्यय हुआ है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]

अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी केन्द्रीय प्रविधिक संस्था

†*५२१. श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय प्रविधिक संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस की नियुक्ति हो गयी है; और

(ग) इस समिति के कितने सदस्य हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) और (ख). जी हां। पत्तन तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन तथा विकास के संबन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिये एक केन्द्रीय प्रविधिक सहायता बोर्ड स्थापित करने का विचार है।

(ग) मामला अभी विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

एयर इंडिया इन्टरनेशनल के कर्मचारियों की मांग

†*५२२. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री गोरे :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया इंटरनेशनल के कर्मचारियों की मांग को कहां तक पूरा किया गया है और क्या उस प्रश्न का, जिस पर हड़ताल की धमकी दी गयी थी, पूरी तरह से समाधान हो गया है; और

(ख) क्या एयर इंडिया इन्टरनेशनल के टैक्नीकल डाइरेक्टर के त्यागपत्र का कर्मचारियों के असन्तोष से कोई सम्बन्ध है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) मध्यस्थ निर्णय समिति के अध्यक्ष ने अपना निर्णय दे दिया है जो कि महाराष्ट्र सरकार की ७-११-१९६० के असाधारण गजेट में प्रकाशित है। ९०० पृष्ठों के इस निर्णय पर एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के प्रबन्धकों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

कैंसर

†*५२३. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० के० देव :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान १० अक्तूबर, १९६० के "दिल्ली हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड" में प्रकाशित टोकियो की जापानी भेषज-विज्ञान संस्था[1] के रसायन-चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष[2] एक जापानी वैज्ञानिक डा० कोनम सकूरिया द्वारा कैंसर के इलाज के लिये "नवम्बर, ६८" नामक औषधि के आविष्कार सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह औषधि प्राप्त की गयी है और इस की उपादेयता सम्बन्धी कोई परीक्षण किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन का क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में रिपोर्टें देखने को मिली हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयना परियोजना

†*५२४. **श्री आसर :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयना परियोजना का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) यह काम कब पूरा हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). यद्यपि कोयना जल विद्युत् परियोजना के निर्माण की प्रगति सामान्य रूप से कार्यक्रम के अनुसार ही है, तथापि कुछ एक कार्य कुछ पिछड़ गये हैं ।

(ग) परियोजना की प्रथम प्रक्रम में बिजली पैदा करने वाले चार सेट होंगे जिन में से प्रत्येक ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा करेगा । उन में से प्रथम सेट १९६१ के अन्त तक चालू कर दिया जायेगा और शेष तीन सेट छः छः महीनों की अवधि के बाद चालू किये जायेंगे । आशा है कि अन्तिम सेट १९६३ के मध्य तक चालू कर दिया जायेगा ।

सोवियत रूस से तापीय संयंत्र का उपहार

†*५२५. **डा० रामसुभग सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत प्रधान मंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत में, सोवियत रूस के उपहार के रूप में तापीय संयंत्र की स्थापना के बारे में जो घोषणा की थी, क्या उसे क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) इस सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है,

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जमाया हुआ तेल

†*५२६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस सम्बन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंची है कि जमाये हुए तेलों का उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अभी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भाखड़ा नंगल परियोजना के अधीन सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी निर्माण-कार्य

†८४५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा नंगल परियोजना के अधीन सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : भाखड़ा नंगल परियोजना के अधीन भाखड़ा बांध, बिजली घरों तथा 'ट्रांसमिशन सिस्टम' के अतिरिक्त शेष सभी कार्य पूरे हो चुके हैं । उक्त तीन मदों के सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

(क) १. भाखड़ा बांध

फाटक उठाने वाले कमरे (ह्व इस्ट चैम्बर) को पानी भर जाने की वजह से जो क्षत्ति पहुंची थी वह ठीक कर दी गई है । दायीं 'डाईवर्शन' सुरंग के अन्तिम 'प्लागिंग' का काम लगभग पूरा होने वाला है । सिवाय कुछ एक सुरंगों के शेष सभी 'एप्रोच' सुरंगों को ठीक कर दिया गया है और यह सम्पूर्ण कार्य जून, १९६१ तक पूरा हो जायेगा ।

बांध की दीवार सब से गहरे आधार से ५८८ फुट की उंचाई तक बनाई जा चुकी है । सब से अधिक ऊंचा स्थान १५४८ फुट है अक्तूबर, १९६० तक ४४.७७ लाख घन फुट कन्क्रीट डाली जा चुकी थी जो कि कुल कंक्रीट का ८३.५३ प्रतिशत है । बांध की चोटी पर 'रेडियल गेट' लगाने के बाद कुछ छोटे छोटे कार्य करने रह जायेंगे ।

२. बिजली घर

भाखड़ा बायें किनारे का बिजली घर

(क) टरबाइनों का निर्माण

'यूनिट' संख्या १—

'यूनिट' लगाने का काम पूरा हो गया है ।

'यूनिट' संख्या २—

'यनिट' लगाने का कार्य पूरा हो गया है । मुख्य गेट तथा उसे खोलने बन्द करने का यंत्र लग रहा है ।

'यूनिट' संख्या ३—

'ग्रीज पम्प' तथा इस का 'पैनल' लगाने का कार्य पूरा हो गया है । 'रबाइन' के विभिन्न उपकरणों को लगाने का कार्य भी पूरा हो गया है । विभिन्न सहायक उपकरणों अर्थात् 'गवर्नर प्रैशर टैंक', 'आयल पम्प', आदि को भी जोड़ दिया गया है । अब 'यूनिट' तैयार है, और 'जैनेरेटर रोटर' इस के साथ लगाया जा सकता है । यह कार्य 'रोटर' को नीचे करने और 'एनलाइनमेंट' पूरी होने के बाद किया जायेगा ।

---

†मल अंग्रेजी में

'यूनिट' संख्या ४—

'चैकर्ड प्लेट्स' तथा 'पिटलाइनर' के लगाये जाने का काम पूरा हो चुका है। दोनों 'सर्वोमोटर्स' को जोड़ दिया गया है और उनका 'एनलाइनमेंट' कर दिया गया हैं। 'ग्रीज डिस्ट्रीब्यूटर्स' को अपने अपने स्थान पर लगा दिया गया है और 'ग्रीज पराइपिंग' का कार्य चालू है। 'गवर्नर' को अपनी स्थिति में लगा दिया गया है। और 'पाइपिंग'को अपने स्थान पर लगाया जा चुका है। उपकरण को साफ करने का कार्य चालू है ।

'यूनिट' संख्या ५—

'बाटय कवर', 'पिट लाइनर' 'स्पीड रिंग' और 'सर्वोमोटर्स' बलाक आउट को साफ करने का कार्य चालू है ।

(ख) 'जेनरेटर्स' का लगाया जाना

'यूनिट' संख्या १—

इस यूनिट को लगाने का कार्य पूरा हो गया है और इसे १४-११-६० से चालू भी कर दिया है ।

'यूनिट' संख्या २—

यह 'यूनिट' भी पूरा हो गया है और इस समय उस का परीक्षण किया जा रहा है ? इस के परीक्षण और चालू करने में लगभग तीन महीनों का समय लग जायेगा ।

'यूनिट' संख्या ३—

'जेनेरेटर' लगाने का कार्य चालू है और आशा है कि वह कार्य दिसम्बर, १९६० के अन्त तक पूरा हो जायेगा। उस के परीक्षण और चालू करने के कार्य में लगभग तीन महीनों का समय लगेगा।

'यूनिट' संख्या ४—

'जेनेरेटर' लगाने का कार्य चालू है और आशा है कि यह कार्य पांच महीनों में पूरा हो जायेगा ।

'यूनिट' संख्या ५—

इस 'यूनिट' के लिये पुर्जे प्राप्त किये जा रहे हैं ।

(ग) 'ट्रांस्फार्मर्स' का लगाया जाना

दो 'ट्रां फार्मर' लगाये जा चुके हैं। यूनिट संख्या १ के लिये ट्रांस्फार्मर सम्बन्धी काम पूरा हो चुका है और कान्ट्रोल 'रिलेज' को जोड़ा जा रहा है ।

दूसरे 'यूनिट' के ट्रां फार्मर सम्बन्धी कार्य अब प्रारम्भ किया गया है ।

(घ) सब-स्टेशनों का निर्माण

२२० तथा ६६ किलोवाट के सब-स्टेशनों में निर्माण तथा बिजली सम्बन्धी सभी कार्य चालू है और आशा है कि निश्चित स्थिति तक सम्पूर्ण कार्य पूरा हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

३. नंगल बिजली घर :

(क) कोटला बिजली घर—

२९,००० किलोवाट के 'एक्सटेंशन यूनिट' के सम्बन्ध में निर्माण कार्य चालू है। 'टरबाइन' के 'स्क्रौल केसिंग' को फिट करने का कार्य पूरा हो चुका है। जहां तक सब-स्टेशन के निर्माण का सम्बन्ध है, 'एक्सटेंशन यूनिट' के लिये ३२.५ एम० वी० ए० का 'ट्रांस्फार्मर' लगाया जा चुका है और इस्पात के ढांचों को लगाने और भूमिगत तार लगाने का कार्य चालू है। इस 'एक्सटेंशन यूनिट' का कुल लगभग ४५ प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और आशा है कि अप्रैल, १९६१ के अन्त तक सम्पूर्ण कार्य पूरा हो जायेगा।

(ख) गंगुवाल 'एक्स्टेंशन यूनिट'—

इस 'यूनिट' के विभिन्न कार्य चालू हैं और अभी तक १५ प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। आशा है कि जुलाई, १९६१ के अन्त तक यूनिट का सारा कार्य पूरा हो जायेगा।

(ग) 'ट्रांस्मिशन सिस्टम'—

निम्नलिखित लाइनों और सब-स्टेशनों पर कार्य किया जा रहा है :—

(१) भाखड़ा से नये नंगल के उर्वरक कारखाने तक ६६ किलोवाट 'ट्रिपल सर्किट लाइन'

भाखड़ा से नये नंगल के उर्वरक कारखाने तक ६६ किलोवाट 'ट्रिपल सर्किट लाइन' लगाने का कार्य जारी है। 'सिंगल सर्किट लाइन' पूरी हो चुकी है और भाखड़ा के प्रथम 'यूनिट' से उर्वरक कारखाने को बिजली पहुंचा दी गयी है।

६६ किलोवाट लाइन के 'डबल सर्किट' का कार्य चालू है और आशा है कि फरवरी, १९६१ के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

'सिंगल सर्किट लाइन' के सम्बन्ध में ६६ किलोवाट के सब-स्टेशन तथा भाखड़ा बिजली घर के बीच पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करने का कार्य पूरा हो चुका है, शेष सर्किटों के सम्बन्ध में कार्य जारी है।

(२) ६६ किलोवाट धूलकोट-पटियाला-संगरूर लाइन

'टावर्स' के लिये इस्पात तथा लाइनों के लिये अन्य प्रकार की सामग्री प्राप्त की जा रही है और 'रूट प्लाट' के अनुसार कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा।

(३) शिमला में ६६ किलोवाट का सब-स्टेशन

सब-स्टेशन लगभग पूरा होने वाला है।

(४) सोलन में ६६ किलोवाट का सब-स्टेशन

लगभग ८० प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। आशा है कि सम्पूर्ण कार्य एक मास तक पूरा हो जायेगा।

(घ) राजस्थान---

निम्नलिखित सब-स्टेशनों के सम्बन्ध में कार्य जारी है :—

१. १३२ किलोवाट ग्रिड सब-स्टेशन, रत्नगढ़।

२. ६६ किलोवाट ग्रिड-स्टेशन, बीकानेर।

आशा है कि शीघ्र ही आवश्यक उपकरण पहुंच जायेंगे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक सब-स्टेशन पूरा हो जायेगा।

उत्तर रेलवे में चोरियां

†८४६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६० से अक्तूबर, १९६० तक की अवधि में उत्तर रेलवे में चोरियों के कितने मामले हुए थे और उनमें कितनी राशि का नुक्सान हुआ था ; और

(ख) ये मामले १९५९–६० की उक्त अवधि में हुए मामलों की तुलना में कैसे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख). जानकारी निम्न प्रकार से है :—

अवधि	चोरियों आदि के मामले	राशि
१–४–६० से ३१–१०–६० .	१६२५	३,४६,८४८
१–४–५९ से ३१–१०–५९ .	१३८९	२,५९,३८८

उत्तर रेलवे में रेलवे स्टेशनों की नई इमारतें

†८४७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६०–६१ में उत्तर रेलवे में कितने और किस किस रेलवे स्टेशन की इमारतों का विस्तार या मरम्मत की जायेगी ; और

(ख) उस पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) बरमार का तिलवाड़ा मेला, बलोतरा तथा नोखा के स्टेशनों का विस्तार करने का विचार है। जहां तक स्टेशनों की मरम्मत का प्रश्न है, आवश्यकता पड़ने पर सभी स्टशनों की इमारतों की मरम्मत होती रहती है।

(ख) विचार है कि उक्त चार स्टेशनों के विस्तार पर २१,००० रुपये खर्च किये जायेंगे। मरम्मत पर होने वाला खर्च मरम्मत की मात्रा पर निर्भर करता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

†८४८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री सुबिमल घोष :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में अभी तक दिल्ली में मासवार कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति मरे या घायल हुए हैं ;

(ग) क्या उन पीड़ितों के परिवारों को प्रतिकर अदा किया गया है ; और

(घ) सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिये क्या क्या उपाय किये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ३१-१०-१९६० तक ३,९४३ दुर्घटनायें हुई थीं जिनका विवरण इस प्रकार से है :—

मास	दुर्घटनाओं की संख्या
जनवरी	४०९
फरवरी	४१९
मार्च	४२९
अप्रैल	३९८
मई	३९२
जून	३४९
जुलाई	३५३
अगस्त	३७९
सितम्बर	३७८
अक्तूबर	४३७
कुल	३९४३

(ख) क्रमशः १२७ और १४६९ ।

(ग) दावेदारों द्वारा किये गये दावों में से ११ को प्रतिकर अदा कर दिये गये हैं ।

(घ) दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :—

(१) सड़कों, विशेषतया मुख्य सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है ।

(२) जहां भी आवश्यक समझा जाता है, उन स्थानों पर स्वचालित सिगनल लगाये जा रहे हैं ।

(३) सिनेमाओं में यातायात सुरक्षा स्लोगन सम्बन्धी स्लाइडें अधिक संख्या में दिखायी जा रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) अब एक नया नियम लागू कर दिया गया है कि अब ट्रैफिक स्टाप के सिगनल पर बांयीं ओर को भी नहीं जा सकता।

(५) जहां भी संभव हो सकता है, एक ओर का यातायात (वन वे ट्रैफिक) लागू कर दिया गया है।

(६) रफ्तार सम्बन्धी बन्धनों को अधिक सख्ती से लागू किया जा रहा है।

(७) अधिक भीड़ वाली सड़कों पर भारी मोटर गाड़ियों का चलना बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। शेष सड़कों पर अधिक ट्रैफ़िक के समय उन्हें नहीं आने दिया जाता।

खुराक सम्बन्धी आदतें

†८४९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री कालिका सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में खुराक सम्बन्धी आदतों को बदलने के सम्बन्ध में क्या योजनायें बनायी गयी हैं?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : भारतीय भोजन सामग्री में विविधता लाने की आवश्यकता है ताकि उसे अधिक पोषक बनाया जा सके और अनाज की अधिकता को किसी सीमा तक कम किया जा सके। इस उद्देश्य से जो योजनायें बनायी गयी हैं, उनका लक्ष्य यह है कि 'सहायक भोजन सामग्री' को जिसमें मूली गाजर आदि, फल, पत्तों वाली तथा अन्य प्रकार की सब्जियां तथा 'प्रोसेज्ड' की गयी खुराक भी सम्मिलित है, अधिक लोकप्रिय बनाया जा सके। जिन अन्य योजनाओं पर विचार किया जा रहा है, वे हैं—भोज्य लो-फैट, प्रोटीन-सहित मुंगफली का आटा, भारतीय बहुप्रयोजनीय भोजन, टेपिओका मकरोनी आदि के निर्माण के लिये अग्रिम कारखानों की स्थापना; शीघ्र ही खराब हो जाने वाली भोजन सामग्री के परिक्षण आदि के सम्बन्ध में प्रविधियों के बारे में जानकारी देना और इस सम्बन्ध में प्रदशन के लिये यूनिटों की स्थापना करना; भोजन व्यवस्था केन्द्रों के ग्राहकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिये वैज्ञानिक तथा स्वच्छतापूर्ण ढंग से भोजन व्यवस्था के लिये प्रोत्साहन देना और नये प्रकार के भोजन और भोजन तैयार करने के नये तरीकों का प्रगट करना। ये केवल उन योजनाओं में से कुछ एक ही योजनायें हैं जो कि १९५८ में स्थापित किये गये कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। इन योजनाओं को तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कार्यान्विति के लिये सुझाव दिया गया है।

पंजाब से खाद्यान्न का यातायात

†८५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में रेलवे द्वारा पंजाब से कितना खाद्यान्न बाहर ले जाया गया तथा बाहर से पंजाब में लाया गया;

(ख) खाद्यान्न के इस यातायात से रेलवे को कितना भाड़ा प्राप्त हुआ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस यातायात में कितने मालडिब्बों से काम लिया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९५९–६० में पंजाब से खाद्यान्न के १९,६४३ बी० जी० वैगन और १४,७११ एम० जी० वैगन बाहर भेजे गये और बाहर से ४,४२७ बी० जी० वैगन और ७३५ एम० जी० वैगन लाये गये।

(ख) इस यातायात से रेलवे को निम्नलिखित भाड़ा प्राप्त हुआ :

	रु०
पंजाब से	२८,४४४,८३३
पंजाब को	२,४११,१५८

(ग) संभवतः इस का अर्थ है कि इस यातायात के लिए कितने वैगनों की आवश्यकता पड़ी। इसका उत्तर प्रश्न के भाग (क) के जवाब में दे दिया गया है।

परिवार नियोजन

†८५१. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी लोगों को, शल्य-क्रिया द्वारा वन्ध्यकरण की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करने के सुझाव के बारे में किन राज्य सरकारों ने उत्तर दिया है ; और

(ख) इसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मद्रास, केरल, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, मैसूर, राजस्थान, बिहार और पंजाब (भूतपूर्व पेप्सू क्षेत्र में) राज्यों तथा मनीपुर, त्रिपुरा, अन्डमान तथा निकोबार द्वीप और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने निःशुल्क शल्य-क्रिया द्वारा बन्ध्यकरण की सुविधा सभी लोगों के लिए उपलब्ध करने की व्यवस्था कर रखी है। भूतपूर्व पंजाब क्षेत्र में १५० रु० से अधिक-मासिक आय वाले लोगों से इस आपरेशन के लिए १५ रु० शुल्क के रूप में लिए जाते हैं। उड़ीसा सरकार और लक्कदीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपों के प्रशासन ने अभी तक इन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, आसाम और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) कुछ राज्यों में बन्ध्यीकरण आपरेशन की जो विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका ब्यौरा निम्नलिखित है :

महाराष्ट्र : (१) बन्ध्यकरण आपरेशन कराने वाले उन लोगों को, जिनकी मासिक आय १५० रु० से कम है, प्रति आपरेशन २० रु० का प्रतिकर भत्ता दिया जाता है।

(२) रेतोवाहिन्युच्छेदन (vasectomy) शिविरों का आयोजन करने वाले स्थानीय निकायों तथा स्वयं सेवी संगठनों को प्रति आपरेशन ५ रु० दिये जाते हैं ।

मद्रास : (१) राज्य सरकार ने एक योजना स्वीकार की है जिसके अनुसार मद्रास शहर में उन सभी विवाहित व्यक्तियों (२४ वर्ष की स्त्री और ५० वर्ष से कम के पुरुष) को,

---

†मूल अंग्रेजी में

जिनके तीन बच्चे हों, बन्ध्यीकरण आपरेशन के लिए ३० रु० का प्रतिकर भत्ता दिया जायेगा। आपरेशन कराने वाली माताओं को अस्पताल से घर तक और घर से अस्पताल तक निःशुल्क ले जाया जायेग । प्रतिकर भत्ता देने का उद्देश्य आपरेशन के लिए अस्पताल आने और अस्पताल से घर लौटने पर परिवहन-व्यय की पूर्ति करना है।

(२) उपरोक्त योजना को नग्रेतर क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया है। आपरेशन के लिए लाये गये प्रत्येक रोगी के लिए पंचायतों को १० रु० का प्रतिकर भत्ता दिया जाता है।

(३) २०० रु० अथवा उससे कम मासिक आय वाले लोगों के मामलों में, सरकारी अस्पतालों में किये गये बन्ध्यीकरण आपरेशन के सिलसिले में महंगी दवाइयों, अस्पताल में रहने तथा बन्ध्यीकरण पर आने वाले सारे व्यय की छूट दी जाती है।

(४) प्रचार करने वाले बन्ध्यीकरण व्यक्तियों को प्रत्येक मामले के लिए १० रु० का मान-देय दिया जाता है।

(५) मद्रास निगम के कर्मचारियों को, जो व्यक्तियों को बन्ध्यीकरण के लिए भेजते हैं, प्रत्येक मामले के लिए ५ रु० प्रतिकर भत्ता दिया जाता है।

(६) मद्रास नगर में मंजूरशूदा प्राइवेट डाक्टरों को रेतोवाहिन्युच्छेदन (vasectomy) आपरेशन के लिए राज-सहायता देने की एक योजना स्वीकार की गयी है, जिसके अन्तर्गत इन शल्य-चिकित्सकों को प्रत्येक आपरेशन के लिए २५ रु० की राजसहायता दी जायेगी।

केरल : जिन व्यक्तियों का मासिक आय २०० रु० से कम है, उनमें से पुरुष रोगियों को १५ रु० और स्त्री रोगियों को २० रु० का लाभ-भत्ता दिया जाता है ।

मैसूर : ग्रामीण क्षेत्रों में रेतोवाहिन्युच्छेदन आपरेशन निःशुल्क करने के लिए चलते फिरते शिविरों का आयोजन किया जाता है।

(२) गैर-सरकारी डाक्टरों को, २०० रु० से कम आय वाले व्यक्ति का बन्ध्यीकरण आपरेशन करने पर, प्रति आपरेशन ५ रु० राज सहायता के रूप में दिये जाते हैं।

(३) आपरेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को ६ दिन की आकस्मिक छुट्टी दी जाती है ।

(४) बंगलौर और मैसूर शहरों के स्त्री और पुरुष कर्मचारियों को आपरेशन कराने पर क्रमशः १५ और २५ रु० का नकद अनुदान दिया जाता है।

बिहार : जिलों में आपरेशन करने के लिए तथा डाक्टरों को आपरेशन की विधि का प्रशिक्षण देने के लिए शल्य क्रिया द्वारा बन्ध्यीकरण आपरेशन करने के एक चलते फिरते एकक की मंजूरी दी गयी है।

पंजाब : भूतपूर्व पेप्सू क्षेत्र में निःशुल्क आपरेशन किया जाता है और भूतपूर्व पंजाब क्षेत्र में १५० रु० से अधिक मासिक आय वाले लोगों से १५ रु० की फीस ली जाती है। इह सम्बन्ध में एकरूपता लाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रेलवे इंजन

†८५२. **श्री मुरारका :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलवे इंजनों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, अब तक यह कितना पूरा किया गया है, दूसरी योजना में इसके लिए कितनी धन-राशि निर्धारित की गयी थी और अब तक कितना धन व्यय किया गया है और

(ख) यदि इन लक्ष्यों की पूर्ति में कोई कमी रह गयी है, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गेज	योजना का लक्ष्य	२० सितम्बर, १९६० तक वास्तविक उत्पादन
बड़ी लाइन . .	८३०	७४१
मीटर गेज . .	४५२	४०८

वित्तीय आवंटन और अब तक किया गया कुल व्यय

चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाने में बड़ी लाइनों के रेलवे वाष्प इंजनों के उत्पादन को उपरोक्त लक्ष्य के अनुसार स्थिर करने के लिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में २ करोड़ ५० लाख रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाने का विचार था। इसमें से लगभग १ करोड़ ७२ लाख रु० योजना की अवधि के अन्त तक व्यय होने का अनुमान है। मीटर गेज रेलवे इंजनों का निर्माण गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 'टेल्को' में किया जा रहा है और उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेलवे इंजनों के उत्पादन के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अनुमान है कि वह पूरा हो जायेगा।

माल डिब्बे

†८५३. **श्री मुरारका :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलवे माल डिब्बों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; अब तक उसे कहां तक पूरा किया गया है ; दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया और अब तक कितना धन व्यय हुआ ; और

(ख) इन लक्ष्यों की पूर्ति में यदि कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) (१) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ४ पहियों वाले १,११,७३९ माल डिब्बे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अक्तूबर, १९६० तक ४ पहियों वाले जितने माल डिब्बे प्राप्त हुए, उनका ब्योरा नीचे दिया जा रहा है :

(क) देश से	६१८५९
विदेशों से	२८४८९
जोड़ .	९०३४८

(३) रेलवे की योजना में इस मद के लिये कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया क्योंकि माल डिब्बों का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत है।

(ख) (१) तुल्यशक्ति (matched) वाले इस्पात की सप्लाई में विलम्ब।

(२) पुराने वैगनों के स्थान पर नये डिजाइन के वैगनों को लाना--इसके लिए नमूने के वैगनों का परीक्षण करके डिजाइन को तैयार करना तथा उसे अन्तिम रूप देना पड़ता है और तत्पश्चात वैगन निर्माताओं को नये डिजाइन के वैगनों के निर्माण के लिए तैयारी करनी पड़ती है।

सवारी डिब्बे

†८५४. **श्री मुरारका** : क्या **रेलवे** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गयी हो :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के सवारी डिब्बों के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया, अब तक उसे कहां तक पूरा किया गया, दूसरी योजना में इसके लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया और अब तक इस पर कुल कितना खर्च हुआ है ; और

(ख) इन लक्ष्यों को पूरा करने में यदि कोई कमी रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) लक्ष्य पुनरीक्षित लक्ष्य ७२९९ सवारी-डिब्बों के उत्पादन का है।

सितम्बर, १९६० तक उत्पादन :

५७३६ सवारी डिब्बे।

वित्तीय आवंटन तथा अब तक किया गया व्यय :

मीटरगेज के सवारी डिब्बों के एक नये कारखाने की स्थापना करने और पैराम्बूर की इन्टेग्रल कोच फैक्टरी का विस्तार करने के लिए योजना में १० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। वर्तमान कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को देखते हुए नया कारखाना स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा गया। इन्टीग्रल कोच फैक्टरी को पूरा करने और वहां दूसरी पाली चालू करके तथा उसमें एक नया 'फर्निशिंग' एकक बना कर उस कारखाने का विस्तार करने पर दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ३.६२ करोड़ रु० व्यय करने का अनुमान है। सवारी डिब्बों के उत्पादन/और अथवा उनमें साजसामान लगाने का आंशिक काम करने वाली अन्य रेलवे कर्मशालाओं सम्बन्धी वित्तीय आवंटन और व्यय को साधारण

†मूल अंग्रेजी में

कार्य इत्यादि सम्बन्धी सुविधाओं की प्रस्थापनों में विलीन कर दिया गया है, अतः इनके आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) लक्ष्य प्राप्ति में ८०० सवारी डिब्बों की कमी का कारण कुछ कच्चे पदार्थों और कलपुर्जों के मिलने में देरी और कठिनाई होना है। इस कमी की संख्या में ३०० वे डिब्बे भी शामिल हैं जो तैयारी की अन्तिम अवस्था में हैं और अगले वर्ष उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। यहां प्रसंगवश यह बता दिया जाये कि नये सवारी डिब्बों के उत्पादन में होने वाली कमी, बहुत से पुराने सवारी डिब्बों को, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है, काम में लाना जारी रखने से किसी हद तक दूर हो गयी है ।

जहाज निर्माण

†८५५. **श्री मुरारका :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा पटल पर ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो :

(क) १९५०–५१ में कितने जहाजों का निर्माण किया गया ;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसे कहां तक पूरा किया गया तथा पहली योजना की अवधि में इस कार्य के लिये कितना वित्तीय आवंटन किया गया और वस्तुतः कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया, अब तक उसे प्राप्त करने में कितनी सफलता मिली है; तथा दूसरी योजना में इसके लिये कितनी रकम रखी गई और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में यदि कोई कमी रह गई हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या २०]**

परिवार नियोजन उपचारगृह

†८५६. **श्री मुरारका** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०–५१ में देश के ग्राम्य तथा शहरी क्षेत्रों में कितने परिवार नियोजन उपचार-गृह थे ;

(ख) पहली पंच वर्षीययोजना में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसे पूरा करने में कितनी सफलता मिली तथा पंच वर्षीय योजना की अवधि में कितना वित्तीय आवंटन किया गया तथा वस्तुतः कितनी धनराशि व्यय हुई ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, इसमें अब तक कितनी सफलता मिली, कितनी धनराशि निर्धारित की गई और अब तक कितनी खर्च की गई; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में यदि कोई कमी रही हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५०–५१ में परिवार नियोजन उपचार-गृहों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं ह ।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था किन्तु जनसंख्या की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने वाले आर्थिक तथा सामाजिक कारकों तथा उर्वरता पर प्रभाव डालने वाले रवैये और दृष्टिकोणों सम्बन्धी वर्तमान अनुसन्धान और ज्ञान के आधार पर, जनमत को परिवार नियोजन के पक्षपाती बनाने के लिये प्रयत्न किये गये । प्रथम पंच-वर्षीय योजना की अवधि में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ६५ लाख रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया :—

१. राज्य सरकारों को राज-सहायता ।

२. प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

३. परिवार नियोजन सम्बन्धी शिक्षा ।

४. गर्भ-निरोधी साधनों के मूल्यांकन के लिये एककों की स्थापना ।

५. मानव प्रजनन का जीव-वैज्ञानिक अनुसंधान ।

६. जन संख्या-प्रवृत्तियों का नियंत्रण करने वाले आर्थिक तथा सामाजिक कारकों तथा उर्वरता पर प्रभाव डालने वाले दृष्टिकोणों तथा रवैये पर अनुसन्धान ।

७. अनुसन्धान केन्द्रों का संधारण । प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में ग्रामों में २१ और शहरों में १२६ परिवार नियोजन उपचारगृह स्थापित किये गये थे । ६७ व्यक्तियों को (जिनमें ३० डाक्टर, ३२ स्वास्थ्य विज़िटर और ५ समाज-सेवा कर्मचारी थे) तदर्थ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया । ७०,००० पोस्टर और २०,००० फोल्डर छापे और वितरित किये गये । २ फिल्में बनायी गयीं और ९ फिल्मों को अन्य स्थानों से प्राप्त किया गया तथा उन्हें विभिन्न संगठनों को दिया गया । अनुसन्धान योजनाओं को भी हाथ में लिया गया । भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्य पर १५.८२ लाख रु० व्यय किया ।

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में गावों में २००० और शहरों में ५०० परिवार नियोजन क्लिनिक खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । किन्तु दूसरी योजना के पिछले भाग में नियमित क्लिनिक खोलने के बजाय अभी मेडिकल और स्वास्थ्य केन्द्रों से परिवार नियोजन सम्बन्धी सलाह देने की व्यवस्था करने पर अधिक बल दिया गया । इसके अलावा गर्भ निरोधक वस्तुओं को निःशुल्क और राज-सहायता प्राप्त दरों पर देने के साथ साथ बन्ध्यीकरण सुविधाओं का भी विस्तार किया गया । परिवार नियोजन सम्बन्धी सलाह २८६२ केन्द्रों से उपलब्ध हो सकती है, जिन में ८९९ परिवार नियोजन केन्द्र हैं, ३७८ केन्द्र शहरों में हैं और १५८९ अन्य संस्थायें हैं । १९५६ से अगस्त, १९६० तक १,००,००० व्यक्तियों का वन्ध्यीकरण किया जा चुका है ।

दूसरी योजना में ४ करोड़ ९७ लाख रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया था । दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में अब तक व्यय की गई रकम के ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । अनुमान है कि १९५९–६० तक १,४४,७९,८५८ रु० व्यय किये गये थे ।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) परिवार नियोजन सम्बन्धी सलाह देने वाले केन्द्रों की संख्या लक्ष्य से भी बढ़ गई है। बन्ध्यीकरण कार्यक्रम का प्रसार द्वितीय योजना के शरू में लगाये गये अनुमान से अधिक हो चुका है। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी प्रचुर सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। कार्यक्रम पर प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या और लोगों के रवैये का गहरा प्रभाव पड़ता है।

वन

८५७. श्री हेम राज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने एकड़ भूमि में वन हैं और कितने एकड़ भूमि में वन द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में लगाये गये हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य के वनों में किस किस किस्म की लकड़ी और इमारती लकड़ी मिलती हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) पूछी हुई जानकारी नत्थी किये हुये विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा की टेबिल पर रख दी जायेगी।

रेलवे की फालतू भूमि

†८५८. श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्राधिकारियों ने १९६०-६१ में अब तक महाराष्ट्र सरकार को रेलवे की कितनी फालतू भूमि दी गई है; और

(ख) क्या यह जमीन काश्तकारों को अलाट की जा चुकी है ;

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) लगभग ७१६ एकड़ भूमि।

(ख) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, रेलवे की फालतू भूमि राज्य सरकार को दे दी जाती है और राज्य सरकार इसे काश्तकारों को देती है।

मध्य रेलवे के स्वास्थ्य केन्द्र

†८५९. श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के निदेश के अनुसार १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक मध्य रेलवे में कितने स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) मध्य रेलवे के स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये अब तक कितनी रकम अलाट की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्यों का तात्पर्य स्वास्थ्य एककों (स्वास्थ्य केन्द्र नहीं) से है, जो मध्य रेलवे द्वारा खोले गये हैं। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है :

१९५९-६० २--एक १५-४-५९ को खोला गया था और दूसरा १६-३-६० को।

†मूल अंग्रेजी में

१९६०–६१ ५––एक २६–७–६० को खोला गया था ; ३ लगभग पूरे होने वाले हैं और १ पर काम चालू है ।

नोट : एक स्वास्थ्य एकक १९५८–५९ में खोला गया था।

(ख) दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में ८ स्वास्थ्य एककों (नये और अतिरिक्त) के लिये ११,२६,३०० रु० की मंजूरी दी गई थी ।

बटाला स्टेशन के कुली

†८६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बटाला जंक्शन पर कितने कुली (पोर्टर) रजिस्टर किये हुये हैं ;

(ख) पिछले दो वर्षों में उनसे प्राप्त शिकायतों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १० ।

(ख) पिछले दो वर्षों में उनसे कोई शिकायत प्राप्त नही हुई ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†८६१. **श्री कुम्भार** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक उड़ीसा में कहां कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) इसी अवधि में इन केन्द्रों को कितनी सहायता दी गयी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली दूध योजना

†८६२. **श्री कुम्भार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूध योजना के अन्तर्गत इस समय पूर्णकालिक तथा अंशकालिक महिला कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या क्या है तथा वे किन किन श्रेणियों में काम कर रही हैं ; और

(ख) इन में से कितनी महिलायें अनुसूचित जातिभेद तथा अनुसूचित आदिम जातियों की हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

पूर्णकालिक पुरुष तथा महिला कर्मचारी

	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां			
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
श्रेणी १	६			..
श्रेणी २	६	..	..	
श्रेणी ३	२१५	५	५	
श्रेणी ४	९२		४	..
कुल	३१९	५	९	..

अंशकालिक पुरुष तथा महिला कर्मचारी

श्रेणी ३	१८१	४४७	१	२
श्रेणी ४	१४५	४	३२	१
कुल	३२६	४५१	३३	३

जम्मू और कश्मीर में कृषि विकास

†८६३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों में अब तक जम्मू और कश्मीर राज्य को कृषि विकास के हेतु केन्द्र द्वारा पृथक पृथक कितना धन दिया गया ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में तथा द्वितीय योजना काल में १९५९–६० तक कृषि विकास के हेतु जम्मू और कश्मीर सरकार को इस प्रकार धन दिया गया :—

(लाख रुपयों में)

प्रथम योजना काल	२१·१
द्वितीय योजना काल (१९५९–६० के अन्त तक)	१४१·३**

हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग नियंत्रण एकक

†८६४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक हिमाचल प्रदेश में कितने कुष्ठ रोग नियंत्रण एकक खोले गये हैं ?

---

*मूल अंग्रेजी में

**अस्थायी

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक दो कुष्ठ रोग केन्द्र, एक मंडी में और दूसरा नाहन में, खोले गये हैं।

पर्यटक

†८६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६० में अब तक भारत में प्रत्येक देश के कितने पर्यटक आये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: पाकिस्तानियों के अलावा प्रत्येक देश से इस वर्ष के प्रथम आठ महीनों में, जिन के आंकड़े इकट्ठे कर लिये गये हैं, भारत आने वाले पर्यटकों का विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२]**

पानी सूखने के सम्बन्ध में अनुसन्धान[1]

†८६६. **श्री वै० च० मलिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का आस्ट्रेलिया की सरकार से पानी सूखने के बारे में उन के द्वारा किये गये अनुसन्धान के परिणाम बताने के लिये निवेदन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने औपचारिक रूप से कोई प्रार्थना की है; और

(ग) आस्ट्रेलिया की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर नकारात्मक है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

महिला यात्रियों को खतरा

†८६७. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की महिला यात्रियों को खतरे के बारे में शिकायतें बढ़ती जा रही हैं,

(ख) यदि हां, तो १९५९ तथा १९६० में कितनी ऐसी शिकायतें की गयीं; और

(ग) महिला यात्रियों की यात्रा के दौरान में सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) १९५९ में ऐसी ३६ शिकायतें की गयीं और सितम्बर, १९६० तक २१ शिकायतें की गईं।

(ग) महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(१) महिला डिब्बों की खिड़कियों में लोहे की सलाखें आदि लगा दी गई हैं, दरवाजों में चटकनी लगा दी गई हैं तथा सुरक्षात्मक शटर लगा दिये गये हैं;

(२) सरकारी रेलवे पुलिस तथा रेलवे कर्मचारियों को यह हिदायतें हैं कि वे यह देख लें कि गाड़ी चलने से पूर्व महिलायें अपने डिब्बे को चिटकनी लगा कर बन्द कर लें;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Research into Water Evaporation.

(३) कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों के महिला डिब्बों में आपात काल में काम में लाने के लिये पुश बटन लगा दिये गये हैं जिन को दबाने से गार्ड के डिब्बे में तथा उस से लगे हुए सामान्य डिब्बे में घंटी बजने लगती है तथा महिला डिब्बे के बाहर लाल रोशनी हो जाती है ताकि तुरन्त सहायता की जा सके;

(४) कंडक्टर गार्डों तथा टी० टी० ई० को यह हिदायतें हैं कि महिला यात्रियों की ओर जब कि वे अकेले यात्रा कर रही हों, विशेष ध्यान दें;

(५) ऊंचे दर्जों में यात्रा करने वाली महिलाओं को रात के समय अपने साथ तीसरे दर्जे का टिकट लेकर एक नौकर रखने की अनुमति दे दी गई है। महिला यात्रियों के लिये विशेष रूप से नियत प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने वाली महिला किराया दे कर अपने साथ एक कुत्ता भी रख सकती है, बशर्ते उस डिब्बे में यात्रा करने वाली अन्य महिला इस पर आपत्ति न करे;

(६) स्टेशन के कर्मचारियों तथा कंडक्टर गार्डों को यह हिदायतें हैं कि वे यह देख लें कि शौचालय में तथा सीटों के नीचे कोई छिपा हुआ तो नहीं है और चिटकनी इत्यादि सब ठीक ठाक हैं;

(७) रात में चलने वाली महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियां के हाथ सशस्त्र पुलिस भेजी जाती है ;

(८) रेलगाड़ी के साथ चलने वाली इस सशस्त्र पुलिस को बीच का डिब्बा दिया जाता है और जहां तक संभव होता है, महिला डिब्बे से जुड़ा हुआ होता है;

(९) सवारी गाड़ी के डिब्बे जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि महिला यात्रियों का डिब्बा बीच में आये,

(१०) सभी महत्वपूर्ण तथा जंक्शन स्टेशनों पर पुलिस तथा रेलवे सुरिक्षा बल के कर्मचारी बड़ी निगरानी रखते हैं और महिला डिब्बे का विशेष ध्यान रखते हैं।

दिल्ली में कोढ़ी

†८६८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में कुष्ठ रोगियों को पकड़ने तथा इलाज के लिये उन्हें अलग रखने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है;

(ग) संघ राज्यक्षेत्र में कुष्ठ रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिये क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). शाहदरा के वर्तमान कुष्ठ रोग आश्रम को कुष्ठ रोग चिकित्सालय में बदलने तथा कुष्ठ रोगी भिखारियों तथा निराश्रितों को अलग करने लिये कुष्ठ रोग अधिनियम लागू करने का विचार है। चिकित्सालय को १६·२८ लाख रुपये की अनुमानित लागत से बनाने के लिये प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं और उन की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यद्यपि अभी तक ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, यह अनुमान है कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लगभग ४०० से ५०० कुष्ठरोगी हैं ।

(घ) दिल्ली में कुष्ठरोग आम नहीं है । यहां यह समस्या केवल कुष्ठरोग वाले भिखारियों की है जो अन्य राज्यों से आते हैं ।

पर्यटन विकास परिषद्

†८६९. श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री हेम बरुआ :
श्री तंगामणि :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १७ सितम्बर, १९६० को शिलांग में पर्यटन विकास परिषद् की बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १५ और १६ सितम्बर, १९६० को पर्यटन विकास परिषद् शिलांग में चौथी बैठक हुई ।

(ख) निम्नलिखित निर्णय किये गये ---

(१) अपने में से सात सदस्यों की एक तदर्थ समिति बनाई जाये जो योजना आयोग से मिले और यह आग्रह करे कि पर्यटन के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५ करोड़ रुपये की जो राशि नियत की गई है उस में वृद्धि की जाये ;

(२) अपने सात सदस्यों की एक दूसरी तदर्थ समिति बनाई जाये जो यह देखे कि पयटन संबंधी प्रचार कैसा हो रहा है तथा विदेशी पर्यटकों पर उस का क्या प्रभाव पड़ा है ।

परिषद् की, जोकि एक मंत्रणा निकाय है, अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :---

(क) सरकार बीच के आकार की कारों को शौकिया टैक्सियों के रूप में चलाने के लिये लाइसेंस दे ।

(ख) विदेशी पर्यटकों को ऐसी टैक्सियां उपलब्ध की जायें जिन्हें वें स्वयं चला सकें ।

(ग) यात्रा के बीच में कहीं रुक जाने के लिये रेलवे ने जो यह प्रतिबन्ध लगा रखा है कि इतने मील की यात्रा करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है, विदेशी पर्यटकों को उस सम्बन्ध में छूट दे देनी चाहिये ।

(घ) महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में भिखारियों को हटा देना चाहिये ।

(ङ) विदेशों में भारतीय शिष्टमंडलों द्वारा तथा भारत में भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों के संचालकों द्वारा शराब के परमिट दिये जाने चाहियें और सभी राज्य सरकारों को उन्हें वैध मानना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(च) ऐसे होटल व मोटल बनाने के लिये, जिन की बड़ी आवश्यकता है, होटलवालों को बाजार की उचित दर पर सरकारी भूमि दी जाये ।

(छ) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजपथों पर सड़क के किनारे मोटल बनवाये जायें ।

(ज) प्रत्येक जोन में क्षेत्रीय पर्यटन मंत्रणा समितियां पुनर्गठित की जायें ।

(झ) होटलों में भारतीय ढंग के मनोरंजन कार्यक्रम आरम्भ करने चाहिये ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†८७०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत मोरी गेट तथा काश्मीरी गेट के निवासियों की चिकित्सा सहायता उपलब्ध करने के लिये कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गई है और चांदनी चौक की डिस्पेंसरी, जो उस क्षेत्र के लिये है, उन स्थानों से बहुत दूर है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) मोरी गेट तथा काश्मीरी गेट में रहने वाले अंशदायी स्वास्थ्य सेवा से लाभ उठाने वाले व्वक्तियों को जो चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध की गई हैं, वे अनुपयुक्त नहीं हैं । तथापि, यह सच है चांदनी चौक की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेन्सरी, जो उन क्षत्रों के लिये है, वहां से कुछ दूरी पर है ।

(ख) दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत काश्मीरी गेट/मोरीगेट में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरी खोलने का विचार है। यह काम इसलिये रुका हुआ है क्योंकि उस क्षेत्र में उपयुक्त स्थान नहीं मिल पा रहा है ।

दुर्गापुर तापीय बिजली घर

†८७१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गापुर तापीय बिजलीघर में १२०,००० किलोवाट की क्षमता और बढ़ाने वाले संयंत्र में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : बिजली पैदा करने वाले संयंत्र तथा उपकरण के लिये हाल ही में आर्डर दे दिये गये हैं । इमारतों आदि के डिजाइन तैयार किये जा रहे हैं ।

रेलवे डिब्बे में लाश

†८७२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री २३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १ मार्च, १९६० को आगरा में बरेली सवारी गाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बे में रेलवे पुलिस को जिस १६ वर्षीय लड़के की लाश सन्दूक में मिली थी, उस की मौत के लिये उत्तरदायी व्यक्ति की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : यद्यपि अभी तक रहस्य का कुछ भी पता नहीं चला है, पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†कांगो को खाद्यान्न की सप्लाई

†८७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कांगो को सहायता के रूप में कितने मूल्य का गेहूं का आटा भेजा गया ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: कांगो को गहूं का आटा भेजने की लागत लगभग ४ लाख रुपये आई ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ

†८७४. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत पर, जो हाल की बाढ़ में टूट गये थे, कितना धन व्यय हुआ है ; और

(ख) कौन-कौन से राजपथों व पुलों की मरम्मत कराई गई तथा पुनः बनवाये गये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

व्याधिकी पंजीयन कार्यालय[1]

†८७५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में व्याधिकी पंजीयन कार्यालय की स्थापना में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: परिषद् ने भारत में व्याधिकी पंजीयन कार्यालय की स्थापना के लिये एक विस्तृत योजना बनाने के हेतु एक कार्यकारी दल हाल ही में नियुक्त किया था । इस दल की अगस्त, १९६० में दिल्ली में बैठक हुई थी और उस ने इस प्रकार के पंजीयन कार्यालय के संगठन तथा कार्य प्रणाली के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं । परिषद् का वैज्ञानिक मंत्रणा बोर्ड इन पर विचार करेगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये परिषद् का कार्यक्रम तैयार करेगा ।

माल डिब्बों की कमी

†८७६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि खुर्दा रोड जिले में सखी गोपाल, मालतीपटपुर और जनकदीपुर स्टेशनों से नारियल लाने के लिये माल डिब्बों की कम सप्लाई के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों को पर्याप्त मात्रा में माल डिब्बे नियत कर के स्थिति सुधारने के लिये जून, १९६० से क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Registry of Pathology.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं, सरकार को ऐसी किसी घटना का पता नहीं है । यदि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रभाव पड़ा है, तो वह माल डिब्बों की कमी के कारण नहीं है क्योंकि सखीगोपाल तथा मालती पटपुर स्टेशनों सहित खुर्दा रोड जिले के स्टेशनों से नारियल लाने के लिये जून, १९६० से अक्तूबर १९६०, तक की अवधि में जो कुल १,५१२ माल-डिब्बों की रजिस्ट्री हुई थी, उन में से लोगों ने ६८२ डिब्बों की मांग रद्द कर दी और केवल ५०८ मालडिब्बों पर माल लादा गया जिस से अक्तूबर, १९६० के अन्त में ३२२ डिब्बे बच रहे । वे डिब्बे भी जल्दी से जल्दी खाली किये जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में विद्युत् परियोजनायें

†८७७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री संगण्णा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन प्रस्थापनाओं अर्थात् (१) भीमकुंड जलविद्युत परियोजना (२) ताल्चेर तापीय बिजली घर परियोजना और (३) बालीमेला बांध परियोजना के प्रविधिक पहलुओं की केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने अन्तिम रूप से परीक्षा कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक बिजली की कमी दूर करने में उड़ीसा की शीघ्र ही सहायता करने के लिये क्या उपाय अपनाये जा रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख) ताल्चेर तापीय बिजली घर की परियोजना रिपोर्ट की परीक्षा की जा चुकी है और उस परियोजना के बारे में सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और विद्युत् परियोजनाओं संबंधी मंत्रणा समिति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये उसे वहां भेज दिया गया है ।

भीम कुण्ड जल विद्युत् परियोजना की प्रथम रिपोर्ट की केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (पी० डब्ल्यू) द्वारा परीक्षा की गई थी और उड़ीसा सरकार से आगे जांच करने तथा एक पुनरीक्षित परियोजना तैयार करने के लिये कहा गया है । बाली मेला परियोजना के बारे में परियोजना रिपोर्ट पर, जिस में यह वैकल्पिक प्रस्ताव किये गये हैं कि एक बान्ध बाली मेला में बनाया जाये और दूसरा गुंटवाडा (आंध्र) में बनाया जाये, विचार किया जा रहा है;

(ग) पुनरीक्षित लोड सर्वेक्षण आंकड़ों से यह पता चलता है द्वितीय योजना के अन्त तक उड़ीसा में बिजली की इतनी कमी नहीं रहेगी ।

दोहरी लाइनों वाले स्टेशनों पर ऊपरी पुल

†८७८. **श्री राजन्द्र सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरी लाइन वाले स्टेशनों पर ऊपरी पुल बनाने की प्रस्थापनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) इस प्रकार के सभी स्टेशनों पर इस प्रकार के ऊपरी पुल कब तक बन जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये ऊपरी पुल की व्यवस्था करना रेलवे उपभोक्ताओं की सुविधाओं के अन्तर्गत आता है इन कामों की व्यवस्था रेलवे उपभोक्ता सुविधा समिति के परामर्श से ही किया जाता है जिनमें जनता की राय जाहिर करने वाले प्रतिनिधि होते हैं। इन कामों का निश्चय करते समय विभिन्न स्टेशनों की आवश्यकता और धन की उपलब्धि का ध्यान रखा जाता है।

वित्तीय अभाव तथा अधिकतर स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं की पहले व्यवस्था करने के विचार से, यह सम्भव नहीं कि इस मामले में कोई समय सीमा नियत कर दी जाये। फिर भी पैदल ऊपरी पुलों की जहां आवश्यकता है उनकी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिये स्थान और यातायात की मांग और उपलब्ध धन राशि को ध्यान में रख कर कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

दिल्ली के अस्पतालों के नाम बदलना

८७९. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली के जिन सरकारी अस्पतालों के नाम विदेशियों के नामों से सम्बन्धित हैं क्या उनके नाम बदलने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये परिवर्तन कब तक कर दिये जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में हैजा अनुसंधान केन्द्र

†८८०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रस्थापना पर विचार कर रही है कि कलकत्ता में हैजा नियन्त्रण समस्याओं का निरन्तर अध्ययन करने के लिये एक केन्द्र खोला जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने यह निर्णय किया है कि कलकत्ता में एक हैजा अनु संधान केन्द्र खोला जाये ताकि अन्ततोगत्वा इसके नियंत्रण और निरोध के समबन्ध में उपचार समस्याओं के विविध अंगों पर निरंतर अनुसंधान किया जा सके।

पश्चिमी बंगाल सरकार इस परियोजना में सहयोग दे रही है और उसने ४० बिस्तरों के दो वार्ड इस उद्देश्य के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को दे दिये है। प्रयोग शाला की स्थापना करने के उद्देश्य से भूमि की अलाटमेंट के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् पश्चिमी बंगाल सरकार से बातचीत कर कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे समय सारणी

†८८१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९ और १९६० के प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक जोनल रेलवे द्वारा अर्ध वार्षिक रूप में प्रकाशित की गयी समय सारणियों की कुल संख्या क्या है और प्रत्येक जोलन रेलवे द्वारा ये समय सारणियां किन किन भाषाओं में प्रकाशित की गयीं हैं ; और

(ख) भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक रेलवे द्वारा, अलग अलग, प्रकाशन और विक्रय पर कितना खर्च हुआ और उससे कितनी आय हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सामान्यतः, जोनल रेलवे अपनी अपनी समय सारणियां प्रत्येक वर्ष के १ अप्रैल और १ अक्तूबर को प्रकाशित करती हैं । यदि रेलों के आने जाने के समय में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना हो तो प्रत्येक वर्ष १ जनवरी को किया जाता है । १९५८, १९५९ और १९६० के बीच सभी जोनल रेलवों ने जिन विभिन्न भाषाओं में समय सारणियां प्रकाशित की उसके समबन्ध में विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३'क']**

(ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३'ख']**

विश्राम गृह

८८२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २९ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तराखण्ड में बद्रीनाथ और केदार नाथ को जाने वाली तीर्थयात्री सड़कों पर विश्राम-गृह बनाने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) वर्ष १९६०-६१ के अन्त तक शेष निर्माण कार्य में से कितना पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). इस विषय में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]**

नई दिल्ली की सड़कों के भारतीय नाम

८८३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १९ अगस्त, १९६० के प्रतारांकित प्रश्न संख्या १०७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका समिति के अधीन क्षेत्र में सड़कों के भारतीय नाम रखने के प्रश्न के बारे में क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या कुछ और सड़कों के भारतीय नाम रखने के बारे में कुछ सुझाव आये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने बतलाया है कि नई दिल्ली में सड़कों के दुबारा नामकरण के लिये इस समिति के सीनियर एवं जूनियर वाइस प्रसीडेण्ट एक योजना तैयार करेंगे। समिति के पास इस समय जो सुझाव आ रहे हैं वे उनके पास योजना तैयार करने के लिये विचारार्थ भेज दिये जाते हैं।

(ख) और (ग). जी हां। समिति द्वारा प्राप्त और सुझाओं की एक सूची संलग्न है। सूची में उन सुझाओं पर की गई कार्यवाही भी दी गई है।

विवरण

वर्तमान नाम	प्रस्तावित नाम	की गई कार्यवाही
१. लेडी हार्डिंग रोड हार्डिंग ब्रिज	श्री राश बिहारी बोस के नाम पर	समिति ने प्रस्ताव सं० २५—एफ दिनांक २७ नवम्बर, १९५९ के अनुसार इस पर विचार करना स्थगित कर दिया और अब इस पर नई दिल्ली की सड़कों के दुबारा नामकरण के लिये बनाई जाने वाली जनरल योजना के साथ ही विचार किया जायेगा।
२. नेशनल गैलेरी आफ मौडर्न आर्ट को जाने वाली सड़क।	अमृता शेर गिल के नाम पर	जनरल योजना के साथ इस पर भी विचार किया जायेगा।
३. पंचकुई रोड।	डा० अम्बेडकर रोड	—तदेव—
४. चाणक्यपुरी में गान्धर्व महाविद्यालय को दिये गये प्लाट के सामने की सड़क।	विष्णु दिगम्बर मार्ग	—तदेव—

रेलवे भमि

†८८४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे द्वारा नागुल-वंचा हाल्ट के स्थान पर रेलवे स्टेशन बनाने के लिये जो भूमि अर्जित की गयी है, उसका मुआवजा किसानों को देने में देरी करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इसकी अदायगी कब होगी और यह राशि कितनी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) इस मामले में खाममामथ के जिलाधीश ने अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया, अतः अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया ।

(ख) मुआवजे की राशि लगभग १४,७०० रुपये की होगी । यह राशि जिलाधीश के निर्णय के तुरन्त बाद दे दी जायेगी ।

हैदराबाद को पानी की सप्लाई

†८८५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हैदराबाद नगर निगम को संरक्षित जल सम्भर ण में वृद्धि करने के लिए कुल कितनी सहायता और कर्जा दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि नगर के कई क्षेत्रों को संरक्षित जल का समुचित सम्भरण नहीं हो रहा है; और

(ग) क्या आंध्र सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि इसके लिए अनुदान की राशि को बढ़ा दिया जाय ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) राष्ट्रीय जल सम्भरण और सफाई कार्यक्रम (निगम) के अन्तर्गत कर्जे केवल राज्य सरकारों को ही दिये जाते हैं । द्वितीय योजना के चार वर्षों में इस उद्देश्य के लिए ५ लाख रुपये का ऋण सहायता के रूप में दिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जल सम्भरण तथा निस्सारण योजनाओं (निगम) के लिए केन्द्रीय सरकार अनुदान नहीं देती । अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्योराफूली स्टेशन

†८८६. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में श्योराफूली रेलवे जंकशन पर आने जाने वालों की कुल संख्या क्या थी, और वहां उतर कर गाड़ी बदलने वाले यात्रियों की संख्या क्या थी;

(ख) इस स्टेशन पर प्लेटफार्मों की संख्या क्या है;

(ग) क्या इन प्लेटफार्मों पर पानी के नल अथवा नलकूप हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क)

आने वाले यात्री	१०,५५,८२०
जाने वाले यात्री	११,५९,११५
गाड़ी बदलने वाले यात्री	२,१६,९१३

(ख) यहां पर तीन 'आइलैंड प्लेटफार्म' हैं ।

(ग) नलकूप यहां आवश्यक नहीं समझे गये, अतः पानी का सम्भरण करने वाले व्यक्तियों की व्यवस्था की गयी है ।

(घ) यहां साफ किये हुए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । अतः पानी के नल नहीं लगाये सकते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नौवहन प्रशिक्षण

८८७. **श्री पद्म देव : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन स्थानों पर नौवहन के प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(ख) १९५७ से विदेशों में कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया; और

(ग) कितने लोग अब भी विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) से (ग). संभवतः माननीय सदस्य का आशय सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण से है, यदि ऐसा है, तो इस सम्बन्ध में आवश्यक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) व्यापारी जहाज़ी बेड़े के प्रशिक्षण की सुविधाएं इन जगहों पर मिल सकती हैं :—

स्थान	प्रशिक्षण के द्र
बम्बई . .	(१) प्रशिक्षण पोत 'डफरिन' :—यहां डेक अफसरों का पूर्व समुद्र-प्रशिक्षण (प्री-सी ट्रेनिंग) दिया जाता है ।
	(२) समुद्र इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय (डायरेक्टरेट आफ मैरिन इंजीनियरिंग) :—यहां इंजीनियर अफसरों को पूर्व समुद्र-प्रशिक्षण दिया जाता है ।
	(३) नाविकी और इंजीनियरी कालेज (नाटिकल एंड इंजीनियरिंग कालेज) :—परिवहन मंत्रालय की योग्यता परीक्षाओं (एग्ज़ामिनेशन्स आफ कम्पीटेन्सी) के लिए जो अफसर तैयारी करते हैं यहां उस के लिए सहायतार्थ (ट्यूटोरियल) प्रशिक्षण दिया जाता है । यहां एक्स्ट्रा मास्टर की परीक्षा के लिए भी तैयारी करवायी जाती है ।
	(४) लाईफ बोट ट्रेनिंग स्कूल :—यहां खेरवाहों को लाईफ बोट-मैन बनने के लिए आवश्यक क्षमता प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट आफ एफीशियंसी) का प्रशिक्षण दिया जाता है ।
कलकत्ता	(१) समुद्र इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय :—यहां इंजीनियर अफसर बनने के लिए पूर्व समुद्र-प्रशिक्षण दिया जाता है । इस के अलावा यहां एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास इंजीनियर की परीक्षा के लिए उत्तर समुद्र-प्रशिक्षण (पोस्ट सी ट्रेनिंग) भी दिया जाता है ।
	(२) प्रशिक्षण पोत 'भद्रा' :—यहां डेक व इंजिन रूम डिपार्टमेंट के खेरवाहों का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

विशाखापत्तनम् प्रशिक्षण पोत 'मेखला' :—यहां डेक व इंजिन रूम डिपार्टमेंट के खेरवाहों का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

नवलक्षी प्रशिक्षण संस्था 'नवलक्षी' :—यहां डेक व इंजिन रूम डिपार्टमेंट के खेरवाहों का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ख) १९५७ से ८ व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये हैं । इनमें से ३ को इक्स्ट्रा मास्टर और ५ को इक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास इंजीनियर का प्रशिक्षण दिया गया ।

(ग) यू० के० में ७ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । इन में से ४ इक्स्ट्रा मास्टर और ३ इक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास इंजीनियर का प्रशिक्षण ले रहे हैं ।

परम्बिकुलम् नदी का जल

†८८८. **श्री वारियर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से त्रिचूर ताल्लुके में कृषि के लिये दिये जाने वाले पानी में परम्बिकुलम के पानी के सम्बन्ध में किये गये नये मद्रास-केरल करार के परिणामस्वरूप होने वाली कमी के बारे में कोई रिपोर्ट उपलब्ध हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार क्या सुझाव प्रस्तुत कर रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) इस सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अकबरपुर-टांडा रेलवे लाइन

†८८९. **श्री कालिका सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की जो अकबरपुर-टांडा रेलवे लाइन उखाड़ दी गयी थी, क्या उसको पुनः चालू करने की दिशा में कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस लाइन को पुनः चालू करने में देर क्यों की जा रही है; और

(ग) इस लाइन को पुनः चालू होने पर खर्च की जाने वाली राशि का अनुमान क्या है, और शुरू होने से समाप्त होने तक इस कार्य में कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) २५·१८ लाख रुपये । पुनः चालू करने का कार्य मार्च, १९६१ तक पूर्ण हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में बिजली

†८९०. **श्री कालिका सिंह :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में भारत में कितनी विद्युत् का निर्माण हुआ, इस में से राज्यों में कितनी तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कितनी तैयार हुई;

(ख) १९५९–६० में तापीय तथा जल विद्युत् की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी और इस दिशा में राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के अलग अलग आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि सभी प्रादेशिक ग्रिड्स को एक ही ग्रिड में ले लिया जाय; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार का एक ग्रिड कब बनाया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]**

(ग) यह प्रस्थापना विचाराधीन है कि पहले विभिन्न राज्य ग्रिड्स (विद्युत् जालों) को प्रादेशिक जालों में सम्मिलित किया जाये, और तत्पश्चात् राज्य प्राधिकारों के परामर्श के एक अखिल भारतीय विद्युत् जाल का निर्माण किया जाय। इस विषय पर केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (विद्युत् विभाग) अध्ययन कर रहा है। राज्य ग्रिड्स को इस प्रकार से मिलाने का सुझाव कई एक राज्यों की तीसरी योजना के अन्तर्गत भी हैं।

(घ) राष्ट्रीय विद्युत् जाल की स्थापना के लिये काफी प्राविधिक अध्ययन की आवश्यकता है। इसमें राज्य प्राधिकारों के पूरे सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिये अन्तर्राज्यीय 'लिंक्स' का भी निर्माण करना होगा। अतः इस मामले में अभी से यह कहना मुश्किल है कि इस प्रकार का 'ग्रिड' कब बनाया जायेगा।

स्थायी सिंधु आयोग

†८९१. **श्री कालिका सिंह :**
श्री आचार :
श्री सूपकार :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक नहरी पानी करार के अन्तर्गत जिस स्थायी इंडस आयोग की व्यवस्था है, क्या उसकी स्थापना कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रथम बैठक कहां और कब होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) इस मामले में अभी भारतीय आयुक्त नियुक्त करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(ख) जब तक संधि के अनुसमर्थन-पत्रों का आदान प्रदान न हो जाय तब तक यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुजरात के ग्रामों का विद्युतीकरण

†८९२. श्री मों० ब० ठाकुर : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य सरकार ने उत्तर गुजरात के ग्रामों में बिजली पहुंचाने की प्रस्थापना की है, और इस मामले में केन्द्रीय सरकार से सहायता और सहयोग की मांग की है;

(ख) यदि है, तो यह विस्तार से क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). गुजरात सरकार ने प्रार्थना की है कि डीज़ल जेनरेटिंग सेट खरीदने तथा निम्नलिखित नगरों में लगाने के लिये उसे २३६ लाख रुपये की राशि दी जाये :—

१. जाम नगर ।

२. राजकोट

३. नवसारी

४. मेहमदाबाद

५. आनन्द

६. बीजापुर (मेहसाना जिला)

७. बड़ौदा

८. पोरबन्दर

इस प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ।

भिलाई में मार्शलिंग यार्ड की सुविधायें

†८९३. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई में मार्शलिंग यार्ड सुविधाओं को कहां तक बढ़ाया जा रहा है;

(ख) इसको पूर्ण करने तक इस पर कुल कितना व्यय हो जायेगा; और

(ग) क्या इस प्रकार के यार्ड रूरकेला और दुर्गापुर में भी बनाये जा रहे हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) भिलाई में एक नये मार्शलिंग यार्ड का निर्माण हो रहा है जिसमें निम्नलिखित सुविधायें होंगी :

१. 'रिसेप्शन यार्ड'

२. 'हम्प' वाला 'क्लासिफिकेशन यार्ड'

३. 'डिस्पेच यार्ड'

४. 'लोको यार्ड'

५. 'स्टीम लोको यार्ड'

६. 'एक्सचेंज यार्ड'

(ख) लगभग ३,२२,६७,९४८ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) रूरकेला इस्पात कारखाने में गाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था करने के लिये वहां से पांच मील पूर्व की ओर बौंडामुंडा के स्थान पर मार्शलिंग यार्ड बनाया जा रहा है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के यातायात की व्यवस्था अंडल यार्ड से होगी जिसे उस काम के लिये उचित रूप से ठीक किया जा रहा है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने में गाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था करने के लिये अंडल यार्ड से पूर्व की दिशा में एक 'एक्सचेंज' यार्ड भी बनाया जा रहा है।

जलाशयों में से मिट्टी निकालने सम्बन्धी अनुसन्धान

†८९४. श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री संगण्णा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हाइड्रौलिक' प्रयोगशालाओं द्वारा जलाशयों से मिट्टी निकालने सम्बन्धी अनुसन्धान करने की कोई योजना स्वीकार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्यों से सम्बन्धित आधारभूत और मूल समस्याओं के कार्यक्रम के अन्तर्गत द्वितीय योजना में चश्मों और जलाशयों सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य को निम्नलिखित राज्य अनुसन्धान केन्द्रों को सौंपा गया था। इनको इस कार्य के लिये जो वित्तीय सहायता दी गयी वह प्रत्येक के नाम के आगे नीचे दी जाती है :—

क्रम संख्या	अनुसन्धान केन्द्र का नाम	राशि
		रुपये
१.	सिंचाई तथा विद्युत् अनुसन्धान संस्था, पंजाब .	४,०३,८८८
२.	सिंचाई अनुसन्धान संस्था, रुड़की (उत्तर प्रदेश) .	४,०३,८८८
३.	नदी अनुसन्धान संस्था, पश्चिमी बंगाल . . .	५,८७,३८४
४.	हैदराबाद इंजीनियरिंग अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) . .	४,०३,८८८
५.	भूमि अनुसन्धान प्रयोगशाला, मद्रास . .	७१,०००
६.	मैसूर इंजीनियरिंग अनुसन्धान केन्द्र, कृष्णार्जुनसागर .	१,१०,०००
८.	दामोदर घाटी निगम	१,८२,०००
९.	हीराकुद अनुसन्धान केन्द्र . . .	१,१०,०००
१०.	चम्बल घाटी परियोजना अनुसन्धान प्रयोगशाला, भोपाल . .	८०,०००

†मूल अंग्रेजी में

यह उपरोक्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता के रूप में दिया गया है। इस दिशा में अनुसन्धान कार्य प्रगति पर है और इसके अन्तर्गत निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है।

(क) इस प्रकार की सामग्री इकट्ठा करना जिससे चश्मों और जलाशयों की अवधि का ठीक ढंग से अनुमान लगाया जा सके।

(ख) इस बात का निश्चय करने के लिये अनुसन्धान करना कि 'डेन्सिटी करेंट्स' का जलाशयों के 'सेडिमेंट डिपाज़िट्स' पर क्या प्रभाव पड़ता है;

(ग) 'डेन्सिटी करेंट्स' का आदर्श अध्ययन करना। इसमें 'फ्ल्यूम' अध्ययन भी शामिल है।

(घ) नदियों में आने वाली कई प्रकार की बाढ़ों को रोकना।

अमरीकी चिकित्सा अर्हता परीक्षा[1]

†८९५. {श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सूचना सेवा के अन्तर्गत अमरीकी चिकित्सा अर्हता परीक्षा की भारत में व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके अन्तर्गत कौन से प्रमाण पत्र तथा उपाधियां दी जाती हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). अमरीकी औषध परीक्षा विदेशी डाक्टरी स्नातक इलिनोयस अमरीका की शिक्षा परिषद् द्वारा लिया जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि विदेशी स्कूलों के स्नातकों की अमरीकी अस्पतालों में रहने के लिये परीक्षा ली जाय। यह परीक्षा भारत में अमरीकी सूचना विभाग द्वारा ली जाती है। इसके लिए कोई प्रमाण पत्र अथवा उपाधि नहीं दी जाती।

कनाडा के अस्पतालों में भारतीय डाक्टर

†८९६. {श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के अस्पतालों ने भारतीय डाक्टर भेजने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). कनाडा के अस्पतालों ने भारतीय डाक्टर भेजने के लिए नहीं कहा है। भारतीय डाक्टर संघ ने कनाडा के अस्पतालों से प्रार्थना की थी कि भारतीय डाक्टरों को कनाडा जाकर और वहां रह कर अस्पतालों में प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधायें प्रदान की जायं ताकि विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ हो सकें। कनाडा डाक्टर संघ की कृपा से यह बात संभव हो गई। अब वहां अस्पतालों में रह कर लोग डाक्टरी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। गत १२ वर्षों में कनाडा के अस्पतालों में ७५ भारतीय डाक्टर अपनी मर्जी के विषय में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। भारतीय डाक्टर संघ ने भारत के डाक्टरों से इस प्रकार के प्रशिक्षण

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]American Medical Qualification Examination.

प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले डाक्टरों से आवेदन पत्र मांगे हैं। इस उद्देश्य के लिए इंटरव्यू करके डाक्टरों का चुनाव किया जाता है और फिर उन्हें कनाडा में अस्पतालों में रखने की सिफारिश की जाती है।

दामोदर के निचले भाग में पुनः खुदाई

†८९७. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम की मूल परियोजनाओं में की गई सिफारिश के अनुसार पश्चिम बंगाल के दामोदर के निचले भाग में पुनः खुदाई की कोई योजना आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) श्री बूरदुईन द्वारा बनाई गई दामोदर घाटी परियोजनाओं की मूल योजना में दामोदर के निचले भाग की पुनः खुदाई के बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई है। दामोदर घाटी निगम ने ऐसी कोई योजना आरम्भ नहीं की है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वंशधारा परियोजना

†८९८. { **श्री रामो रेड्डी** :
श्री संगण्णा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ५ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोट्टा में वंशधारा परियोजना की सारी बातों पर इस बीच विचार किया जा चुका है ;

(ख) क्या इस परियोजना की कार्यान्विति के लिये मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) परियोजना की कार्यान्विति कब किये जाने की सम्भावना है तथा उसकी पूर्ति कब तक होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गोट्टा जलाशय के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने उनकी जांच की तथा यह देखा कि उनके प्राक्कलनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।

(ख) उत्तर नकारात्मक है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुन्दरवन नदी बेसिन से मिट्टी हटाना

†८९९. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुन्दरवन नदी बेसिन में नालियों की व्यवस्था करने तथा वहां से मिट्टी हटाने के लिये पश्चिम बंगाल की सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : उत्तर नकारात्मक है।

लाहौल तथा स्पीती में जल विद्युत् योजना

†९००. श्री हेम राज : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब के लाहौल तथा स्पीती जिले में चालू की जाने वाली जल विद्युत् योजनाओं के लिये धन की व्यवस्था करने के हेतु केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पंजाब सरकार को वित्तीय सहायता देना चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) और (ग). इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

लाहौल तथा स्पीती क्षेत्रों में रेडियो के लायसेंस

†९०१. श्री हेम राज : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह कहा है कि पंजाब के लाहौल और स्पीती के सीमान्त जिलों में रेडियो लाइसेंस की फीस कम कर दी जाये तथा रेडियो लाइसेंसों की अवधि बढ़ाने की तारीख जाड़े के महीनों की बजाय गर्मी के महीनों में कर दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका है कि तु आगे से रेडियो लाइसेंस की अवधि बढ़ाने की तारीख १ नवम्बर से १ जून कर दी गई है।

बिहार को खाद्यान्न की सप्लाई

†९०२. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ अक्तूबर, १९६० को समाप्त होने वाले गत ३ महीनों में बिहार राज्य को कितना चावल और गेहूं भेजा गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): लगभग ४४,००० मीट्रिक टन चावल और १४७,००० मीट्रिक टन गेहूं भेजा गया ।

कृष्णा और गोदावरी की परियोजनायें

†९०३. श्री सुगन्धि : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से पूर्व प्रत्येक पुनर्गठित राज्य में अर्थात्, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा और आन्ध्र में कृष्णा तथा गोदावरी बेसिनों के विभिन्न स्थानों पर कौन-कौन सी जल विद्युत तथा परियोजनायें चल रही थीं ;

(ख) प्रथम तथा द्वितीय योजना में किन-किन परियोजनाओं की स्वीकृति दी गयी तथा पूरी की गई ;

(ग) कौन-कौन सी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है किन्तु वे चल रही हैं ;

(घ) किन-किन परियोजनाओं के बारे में विचार किया जा रहा ह तथा उन के बारे में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ;

(ङ) उपरोक्त नदी बेसिनों की कुल औसत उपज क्या है और इन परियोजनाओं के लिये कितने यनिट (टी० एम० सी० फुट) नियत किये गये हैं अथवा नियत करने की आवश्यकता है ; और

(च) उपरोक्त परियोजनाओं में से कौन सी परियोजनायें सम्बन्धित नदी बेसिन के भीतर हैं अथवा उनके बाहर हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (च). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

महाराष्ट्र में छोटे पत्तन

†९०४. श्री आसर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय योजना काल में महाराष्ट्र में कोंकण तट के छोटे पत्तनों के विकास के लिये नियत की गई राशि खर्च नहीं की गई है तथा विकास कार्य आरम्भ नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विकास कार्य कब आरम्भ किये जायेंगे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). छोटे पत्तनों के विकास के लिये मुख्यत: सम्बन्धित राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं । केन्द्रीय सरकार जहां कहीं ठीक समझती है उन विकास योजनाओं की कार्यान्विति के लिये जो पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित हैं, ऋण के रूप में प्रविधिक तथा वित्तीय सहायता देती है । बम्बई सरकार से यह पता चला है कि द्वितीय योजना में कोंकण तट पर स्थित छोटे पत्तनों के लिये लगभग ३३ लाख रुपयों में से लगभग २७ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं तथा शेष राशि वर्ष के शेष भाग में खर्च की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर स्टेशन

†९०५. श्री सुबिमन घोष :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्टेशन को फिर से बनाने के कोई प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह काम कब आरम्भ होगा तथा उसकी अनुमानित लागत क्या होगी ;

(ग) क्या दुर्गापुर बर्नपुर जोन के औद्योगिक क्षेत्र के स्टेशनों को सुधारने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से कार्य आरम्भ होगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, श्रीमान् । दुर्गापुर में एक नया स्टेशन बनाने का विचार है ।

(ख) यह योजना कई दौर में ली जायेगी । पहले दौर में तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय, टिकट घर आदि बनाये जायेंगे । यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ किया जायेगा और इस पर २·५० लाख रुपये लगाने का अनुमान है । दूसरे और तीसरे दौर तृतीय योजना काल में आरम्भ किये जायेंगे ।

(ग) और (घ). नहीं, श्रीमान् । केवल उरिया रेलवे स्टेशन के वर्तमान भवन में कुछ हेर फेर करने, स्नानागार और शौचालय, बनवाने तथा प्लेटफार्म को ऊंचा करने का विचार है । ये सुधार चालू वर्ष में ही आरम्भ किये जायेंगे यदि इस काम के लिये धन उपलब्ध हो सका ।

धर्मनगर, त्रिपुरा में रामनगर को कृषि योग्य बनाने का प्रस्ताव

†९०६. श्री बांगशी ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि धर्मनगर, त्रिपुरा में रामनगर को कृषि योग्य बनाने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : रामनगर को कृषि योग्य बनाने का कोई प्रस्ताव त्रिपुरा प्रशासन के विचाराधीन नहीं है ।

नंगल टाउनशिप में पीने के पानी की सप्लाई

†९०७. श्री दलजीत सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने "प्रताप नगर, नंगल बांध" नामक बस्ती के लिये, जो हिन्दुस्तान केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नया नंगल से निकाले गये विस्थापित ग्रामवासियों के लिये बनाई जा रही है, पीने का पानी देने के लिये एक योजना पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसको अन्तिम रूप देने के लिये अब तक उस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक विकास

†९०८. **श्री आचार** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शहरी क्षेत्रों में आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो गन्दी बस्तियों में रहने वालों, भंगियों तथा मेहतरों तक ही योजना को सीमित करने के लिये कोई विशेष उपाय सोचे जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अभी तक इस संबंध में नीति संबंधी कोई निर्णय नहीं किया गया है। तथापि, शहरी सामुदायिक विकास के लिये व्यापक कार्यक्रम बनाने तथा उनके बारे में प्रयोग करने के लिये दिल्ली नगर निगम एक अग्रिम योजना चला रहा है। जो अनुभव प्राप्त होगा उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

(ख) दिल्ली नगर निगम की अग्रिम योजना में शहर के गंदे, अधिक घने बसे तथा ऐसे स्थानों के लोगों की समस्याओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जहां बहुत कम सुविधायें उपलब्ध हैं, और इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता कि वहां रहने वाले किस जाति के हैं तथा उनका क्या धंधा है।

दिल्ली में रेलवे की सिटी बुकिंग एजेन्सियां

†९०९. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के टिकट बेचने तथा रिजर्वेशन आदि करने के लिये दिल्ली और नई दिल्ली में रेलवे की एजेन्सियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना किन-किन शर्तों पर हुई है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ग) क्या सब एजेन्सियों में टेलीफोन लगे हुये हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिदिन रिजर्वेशन तथा टिकटों की बिक्री के बारे में दिल्ली रेलवे प्रशासन किस तरह जानकारी प्राप्त करता है तथा तालमेल रखता है ;

(ङ) क्या मंत्रालय को पता है कि इस जानकारी के न मिलने पर यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है ; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में प्रशासन ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० राजस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सिटी बुकिंग एजेन्सियों द्वारा जो यात्री टिकट बेचे जाते हैं उनके किराये का २ प्रतिशत उन्हें कमिशन के रूप में दिया जाता है। सीट रिजर्व करने के लिये कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। ठेकेदारों को एजेन्सी के कर्मचारियों का वेतन, इमारत का किराया तथा टेलीफोन आदि लगाने की लागत देनी पड़ती है। उनको एजेन्सी से मुख्य रेलवे स्टेशन तक माल तथा पार्सल भेजने के

†मूल अंग्रेजी में

लिये व्यवस्था भी करनी होती है और माल के मालिकों से माल पहुंचाने का जो किराया लिया जाता है, वह उन्हें दे दिया जाता है ।

निम्नलिखित स्थानों में एजेंसियां स्थित हैं :—

१. चांदनी चौक ।

२. कनाट प्लेस ।

३. लोदी कालोनी ।

४. करोल बाग़ ।

५. हौज काजी ।

६. सब्जी मंडी ।

७. सदर बाजार ।

(ग) सात में से केवल ५ एजेन्सियों में टेलीफोन हैं । सब्जी मंडी तथा सदर बाजार की एजेन्सियों में टेलीफोन नहीं है ।

(घ) से (च). जिन दो एजेन्सियों में टेलीफोन नहीं हैं, वहां सीटों व बर्थों का रिजर्वेशन नहीं किया जाता । जिन एजेन्सियों में रिजर्वेशन का काम किया जाता है वहां टेलीफोन से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली जाती है और समन्वय स्थापित कर लिया जाता है । इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई है ।

सब्जी मंडी तथा सदर बाजार की एजेन्सियों में टेलीफोन लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को भोजन-व्यवस्था के लाइसेंस

†९१०. **श्री बालकृष्णन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों ने चाय के स्टालों तथा फल के स्टालों के लाइसेंस प्राप्त करने के लिये प्रार्थनापत्र दिये ; और

(ख) स्टाल चलाने के लिये कितने व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) पांच ।

(ख) तीन ।

डाक सेवायें

९११. **श्रीमती कृष्णा मेहता** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्दियों में पांगी (हिमाचल प्रदेश) की डाक किश्तवार (जम्मू तथा काश्मीर) हो कर जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे पांगी पहुंचने में कितने दिन लगते हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सर्दियों में पांगी के लिए डाक पठानकोट से जम्मू तावी-दोदा-ठाठरी-किश्तवार-पादर हो कर जाती है। पठानकोट से पांगी डाक पहुंचने में सामान्यत: पांच दिन लग जाते हैं; किन्तु कभी-कभी मौसम की खराबी के कारण अधिक समय भी लग सकता है।

डी लक्स रेलगाड़ियां

†६१२. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का किन्हीं अन्य महत्वपूर्ण रेल पथों पर डी लक्स रेलगाड़ियां चलाने का विचार है; और

(ख) क्या "काश्मीर पर्यटकों" के लाभ के लिये दिल्ली-पठानकोट रेल पथ पर ऐसी रेलगाड़ी चलाने की कोई योजना है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

चिकित्सा का एल० एम० पी० कोर्स

†६१३. **श्री रामी रेड्डी :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सा का एल० एम० पी० कोर्स पुन: चालू करन की योजना पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). "तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप" में यह कहा गया है कि देश में डाक्टरों की बड़ी कमी है और अधिकतर डाक्टर नगरीय क्षेत्रों में काम करते हैं और बहुत ही कम लोग गांवों में जाते हैं। गांवों की ओर अधिक डाक्टरों को आकर्षित करने के लिए रूपरेखा के प्रारूप में यह सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कम से कम अवधि के लिए सेवा करना नौकरी के लिए एक आवश्यक शर्त रखने तथा अधिक वेतन, चिकित्सा न करने के भत्ते और रहने के लिए मकान की व्यवस्था आदि के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने के बारे में विचार किया जाये। इस स्थिति का सामना करने के लिए एक और कार्यवाही का सुझाव दिया गया है और वह यह है कि लाइसेन्शिएट कोर्स फिर चालू किया जाये और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए लाइसेन्शिएट डाक्टर उपलब्ध किये जायें।

उड़ीसा में पौधा संरक्षण

†६१५. **श्री बै० च० मलिक:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क). क्या यह सच है कि उड़ीसा में कीड़ों (पंगपाल) के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हवाई जहाज और अन्य आवश्यक सहायता मांगी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) जिन टिड्डी दलों ने अक्तूबर, १९६० के अंतिम सप्ताह में उड़ीसा राज्य पर आक्रमण किया था और जो अधिकतर पहाड़ी तराई पर ही होते हैं, उनके छोटे आकार को देखते हुए टिड्डी विरोधी कार्यवाहियों के लिए विमानों का उपयोग करना संभव नहीं है । सेन्ट्रल डायरेक्टरेट ऑफ प्लान्ट प्रोटेक्शन, क्वारन्टाइन एण्ड स्टोरेज के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को हाथ से और बिजली से चलायी जाने वाली अनेक डस्टिंग और स्प्रेयिंग मशीनों के साथ जो पहाड़ी तराई में प्रयोग के लिए उपयुक्त होती हैं, तुरन्त उड़ीसा भेजा गया था । इस पदाधिकारी ने कोरापुट और बरहमपुर के जिलों का दौरा किया, आवश्यक टेक्नीकल सहायता दी और टिड्डी विरोधी कार्यवाहियों का निरीक्षण किया ।

कटक में सेन्ट्रल प्लान्ट प्रोटेक्शन स्टेशन के टेक्नीकल कर्मचारियों ने टिड्डी-विरोधी आन्दोलन में सक्रिय सहयोग दिया ।

रेलवे दुर्घटनायें

†९१६. श्री पु० र० पटेल :
श्री मा० म० गांधी

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९६० में अहमदाबाद और भावनगर की प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्ति घायल हुए और/अथवा मारे गये ;

(ख) क्या ये दुर्घटनाएं इस कारण हुईं कि रेलवे लेवल क्रासिंग पर फाटक नहीं बनाये गये थे और चौकीदार नहीं रखे गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस तरह की दुर्घटनाएं रोकने के लिए रेलवे क्रासिंग पर फाटक और और चौकीदारों की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) २७-१०-६० को अहमदाबाद-बोटाड़ सेक्शन में साबरमती और गांधी ग्राम के बीच लेवल क्रासिंग दुर्घटना में दो व्यक्ति मारे गये और पांच व्यक्तियों को हल्की चोटें आयीं । २६-१०-६० को भावनगर महुवा सेक्शन में कृष्णनगर और बुधेल स्टेशनों चे बीच लेवल क्रासिंग दुर्घटना में ग्यारह व्यक्तियों को हल्की चोटें आयीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इन क्रासिंग्ज को उस श्रेणी में रखा गया है जहां कोई चौकीदार नहीं होते ।

आंधी के जोर को कम करने के लिये वृक्ष लगाना

†९१७. डा० सामन्त सिंहार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व और पश्चिम समुद्रतटों के तूफानी क्षेत्रों में आंधियों के जोर को कम करने के लिये वृक्ष लगाने (विन्ड बेकर्स) की योजनाओं का क्या ब्यौरा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में अलग-अलग इन योजनाओं के लिए अब तक कुल कितनी रकम नियत की गयी थी और कितनी रकम खर्च की गयी ; और

(ग) कौन-कौन से खास पेड़ 'विन्ड बेकर्स' हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक उनमें से कितने पेड़ लगाये जा चुके हैं और प्रत्येक क्षेत्र में कितने लगाये गये हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और वह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोबाल्ट रश्मि उपचार एकक

†९१८. { डा० सामन्त सिंहार :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोबाल्ट रश्मि उपचार एकक (कोबाल्ट बीम थेरापी यूनिट्स) प्राप्त हो चुके हैं; और यदि हां, तो कब और कितने ; और

(ख) क्या ये यूनिट्स पहले चुने गये स्थानों पर लगाये जा चुके हैं और यदि हां तो कब ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). १६ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के उत्तर में बताये गये तीन जगहों में से वेल्लोर के लिए प्रस्तावित कोबाल्ट बीम थेरापी यूनिट जहाज पर लादा जा चुका है और वह पहुंच रहा है ।

शिकोहाबाद में ऊपर/नीचे का पुल

९१९. श्री ब्रजराज सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिकोहाबाद के लोगों से उत्तर रेलवे के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के उत्तर में रेलवे लाइन पर ऊपर का या नीचे का पुल बनाने के लिए मांग आई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो कब तक निर्णय हो जाने की संभावना है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) सम-पार (लेवल क्रासिंग) की जगह लाइन के ऊपर पुल या नीचे होकर रास्ता बनाने के सम्बन्ध में आमतौर पर नीति यह है कि जहां कहीं सड़क अधिकारी (रोड़ अथारिटी) वर्तमान नियमों के अनुसार इस काम पर होने वाले खर्च में से अपने हिस्से का खर्च उठाने के लिए राज़ी हों, वहां इस तरह का काम हाथ में लेने के लिए रेल-प्रशासन तैयार हो जायेगा । इसलिए, शिकोहाबाद में वर्तमान सम-पार की जगह लाइन के ऊपर पुल या नीचे होकर रास्ता बनाने के सम्बन्ध में पहल सम्बन्धित सड़क अधिकारी या राज्य सरकार की ओर से ही होनी चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

६२०. श्री खुशवक्त राय :
श्री मे० क० कुमारन् :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की एक बैठक अक्तूबर, १९६० में जयपुर में हुई थी ;

(ख) परिषद् ने सरकार से क्या-क्या सिफारिशें की थीं ; और

(ग) सरकार उनमें से किन-किन सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६] ।

राष्ट्रीय सहकारी खेती बोर्ड

६२१. श्री खुशवक्त राय :
श्री भक्त दर्शन :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री ब० दास गुप्त :
श्री रामी रेड्डी :
श्री हेम बरुआ :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक राष्ट्रीय सहकारी खेती बोर्ड नियुक्त किया है ;

(ख) उक्त बोर्ड के कौन-कौन सदस्य मनोनीत किये गये हैं और उनकी योग्यतायें क्या हैं ;

(ग) बोर्ड के कृत्य क्या हैं ; और

(घ) बोर्ड का कार्यकाल क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :(क) जी हां ।

(ख) रेज़ोल्यूशन की एक प्रति, जिसमें बोर्ड की रचना तथा और कृत्य दिये गए हैं, सभा पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट संख्या २, अनुबन्ध संख्या २७]

(ग) सदस्यों की सूची भी उनके पदों तथा योग्यताओं के ब्यौरे सहित, सभां-पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]

(घ) वर्तमान बोर्ड की अवधि ३० जून, १९६२ को समाप्त होगी ।

फास्फेटिक उर्वरक

†६२२. श्री विजय आनन्द : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फास्फेटिक उर्वरक के संबंध में कोई प्रतिनिधि मंडल योरप भेजा गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ग) इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). पीइसी और ओडी डीए जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं से तैयार किये गये नाइट्राफास्फेट उर्वरकों के परिणाम के बारे में आँकड़े इकट्ठा करने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल, १९६० में एक प्रतिनिधि मंडल को पश्चिमी योरप में भेजा था।

प्रतिनिधि मण्डल ने तीन सप्ताह तक इटली, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी, हालैन्ड और इंग्लैंड का दौरा किया, नाइट्रोफास्फेट और अन्य उर्वरक तैयार करने वाली अनेक कृषि संस्थाओं और कारखानों को देखा और इन देशों के अग्रगण्य कृषि अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों से चर्चा की।

(ग) प्रतिनिधि मंडल ने एक अन्तरिम रिपोर्ट इस बीच पेश की है और उसका परीक्षण हो रहा है।

राजस्थान नहर

†९२३. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान नहर बनाने के लिए विश्व बैंक से अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है या होने वाली है और उसका ब्यौरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना कार्यान्वित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है और विश्व बैंक से इस सम्बन्ध में कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

ट्रक और रेलगाड़ी की टक्कर

†९२४. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ नवम्बर, १९६० को संगरूर (पंजाब) के पास मालगाड़ी और ट्रक में टक्कर हो गयी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नुक्सान हुआ और कितने व्यक्तियों की मौत हुई और कितनों को चोट आयी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) तीन आदमी मारे गये और चार आदमियों को चोट पहुंची। रेलव सम्पत्ति को लगभग ५० रुपये का नुक्सान पहुंचा।

नगर और देहात आयोजन राज्य-मंत्रियों का सम्मेलन

†९२५. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री तंगामणि :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९६० के पहले सप्ताह में बंगलौर में नगर और देहात आयोजन के राज्य-मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें क्या-क्या सिफारिशें और निश्चय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : कार्यसूची के मद और सम्मेलन में पारित किये गये संकल्पों को बताने वाले दो विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]

मनीपुर में मीन क्षेत्र

†९२६. श्री ल० अचौंसिह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में मनीपुर प्रशासन के मीन क्षेत्रों से राजस्व औसत वार्षिक राजस्व से कम है ;

(ख) क्या यह कमी इस कारण हुई है कि वाइथाइ, वाइथाइ फूमनोम और निंग्थीखोंग के पट्टाधारियों ने बकाये की बड़ी-बड़ी रकमों का भुगतान नहीं किया ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवायी की गयी है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सहकारी सप्ताह

†९२७. श्री तंगामणि: क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में ५ से ११ नवम्बर, १९६० तक सहकारी सप्ताह मनाया गया था;

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को जारी किये गये आदेश का, यदि कोई हो तो, ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी राज्य सरकारों ने उसका पालन किया; और

(घ) क्या किसी राज्य से सहकारी सप्ताह मनाये जाने के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :(क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों को कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। फिर भी उन्हें यह सुझाव दिया गया था कि वे सहकारी सप्ताह समारोह में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्हें खासकर यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सहकारी संघ राज्य प्रचार विभाग और राज्य रजिस्ट्रारों के परामर्श से स्थानीय कार्यक्रम आयोजित करें। इसके अतिरिक्त यह बताया गया था कि राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के विशेषांक इस अवसर पर निकाले जायें। यह भी सुझाव दिया गया था कि विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षार्थी गांवों में चर्चाओं का आयोजन करें।

(ग) सभी राज्यों में सहकारी सप्ताह समारोह सम्पन्न हुए।

(घ) राज्य सरकारों से कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं मांगी गयी थीं।

रेलगाड़ियों का देर से चलना

†९२८. श्री तंगामणि : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में मदुराई से गुजरने वाली रेल गाड़ियां ५, ६ और ७ नवम्बर, १९६० को देर से चल रही थीं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या उनका सामान्य रूप से चलना शुरू हो गया है; और

(घ) जब सिंचाई तालाब फूट जायें तब रेलगाड़ियों का देर से चलना रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जायगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) ५ नवम्बर, १९६० की रात को अभूतपूर्व भारी वर्षा के बाद मदुराई के पास मदकुलम् तालाब में दरार के कारण निम्नलिखित स्थानों में दरारें पड़ीं :—

मदुराई-विरुधुनगर सेक्शन के मदुराई और पसुमलाई स्टेशनों के बीच

मदुराई-मनमदुराई लाइन पर मदुराई और सुलेमान स्टेशनों के बीच

मदुराई-बोडिनयकनुर लाइन पर मदुराई और सेक्कानुरानी स्टेशनों के बीच

उपरोक्त सेक्शनों में दरारें पड़ जाने के कारण गाड़ियों का आना जाना बन्द हो गया था।

(ग) गाड़ियों का सीधे आना जाना ६ नवम्बर, १९६० को ९.४५ बजे शुरू हो गया था।

(घ) सिंचाई तालाबों की देखभाल करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। यदि सिंचाई तालाबों में दरार के कारण रेलवे लाइन पर कोई प्रभाव न पड़े तो रेलगाड़ियों के देर से चलने की कोई संभावना नहीं होती। यदि लाइन खराब होने की संभावना हो तो सुरक्षा के लिए बड़ी सावधानी से गाड़ियां चलानी पड़ती हैं और तब गाड़ियां देर से पहुंचती हैं। फिर भी इस बात के लिए हर कोशिश की जाती है कि लाइन की हालत को देखते हुए कम से कम देर हो।

दक्षिण रेलवे में रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†९२९. **श्री तंगामणि : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि २९ अक्तूबर, १९६० को दक्षिण रेलवे में विरुधुनगर और तिन्नेवेल्ली के बीच वेप्पिलैपट्टी छत्तिरम के पास मालगाड़ी के ग्यारह डिब्बे पटरी पर से उतर गये;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितनी देर तक गाड़ियों का आना जाना बन्द हो गया था; और

(घ) क्या यह सच है कि तामिलनाड़ में निरन्तर वर्षा के कारण गाड़ियों का देर से चलना इस कारण और बढ़ गया ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी।

(ख) मशीनी उपकरण बन्द पड़ जाने के कारण डिब्बे पटरी पर से उतर गये।

(ग) लगभग १४ घंटे तक।

(घ) कुछ रेलगाड़ियों को जो वर्षा के कारण देर से चल रही थीं, इस घटना के कारण और अधिक रुकना पड़ा।

---

†मूल अंग्रेजी में

केसिन्गा स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर

†९३०. **श्री तंगामणि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के रायपुर-विजयानगरम् सेक्शन में केसिन्गा स्टेशन पर २८ अक्तूबर, १९६० को मालगाड़ी के एक डिब्बे और एक दूसरी मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गयी;

(ख) क्या यह सच है कि इस दुर्घटना में एक ट्रैफिक इन्स्पेक्टर मारा गया;

(ग) क्या इस दुर्घटना की जांच पूरी हो चुकी है;

(घ) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला; और

(ङ) मृत व्यक्ति श्री पी० एस० राव को कितनी क्षतिपूर्ति दी गयी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). विभागीय जांच के अनुसार दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

(ङ) विधवा को दान के तौर पर ५०० रुपये की रकम दी गयी। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति के भुगतान पर विचार किया जा रहा है।

अस्पतालों में कैन्सर वार्ड

†९३१. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ विद्यमान अस्पतालों में कैन्सर वार्ड यूनिट या विंग खोलने में सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) क्या किसी राज्य में ऐसा कोई कैन्सर वार्ड खोला गया है;

(ग) किन-किन राज्यों को ऐसी सहायता दी गयी और कौन-कौन से राज्य इस अवसर से अब तक लाभ नहीं उठा सके हैं; और

(घ) क्या उन्होंने कोई कारण बताये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (घ). विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९]

सामुदायिक विकास के प्रशिक्षण केन्द्र

९३२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामुदायिक विकास तथा सहकार के लिए कितने ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिन में हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) क्या इन केन्द्रों में अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं के प्रयोग के लिये कोई विशेष कार्यक्रम स्वीकार किये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं और क्या उनकी पूर्ति के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सामुदायिक विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित कोई भी ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है जहां हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता हो। लेकिन, ६० जूनियर सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्रों में से ३६ केन्द्रों में सम्बन्धित प्रादेशिक भाषा शिक्षा का माध्यम है और २४ केन्द्रों में अंग्रेजी तथा स्थानीय दोनों भाषाएं शिक्षा का माध्यम हैं। इसके अतिरिक्त, १३ 'खण्ड स्तर सहकारिता अधिकारी और माध्यमिक अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र' तथा एक 'सहकारिता शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र' हैं, जहां अंग्रेज़ी के साथ-साथ प्रादेशिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है ।

(ख) सामुदायिक विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्रों के सम्बन्ध में उत्तर शून्य है। जहां तक सहकारिता का सम्बन्ध है, खण्ड स्तर सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में हिन्दी में शिक्षण देने की योजना है ।

(ग) खण्ड स्तर सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में इस कार्य के लिए शीघ्र ही एक हिन्दी अनुभाग खोला जायेगा ।

गोविन्दपुर स्टेशन

९३३. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी-भटनी रेलवे लाइन पर किरिहड़ापुर और बेलथरा रोड के स्टेशनों के बीच गोविन्दपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) किरिहड़ापुर और बेलथरा रोड के बीच पार स्टेशन (क्रासिंग स्टेशन) बनाने का विचार छोड़ दिया गया है ।

(ख) यातायात का स्वरूप बदल जाने के कारण नये पार स्टेशन की अब जरूरत नहीं है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

डाक-तार विभाग को हानि

†९३४. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग ने १९५९–६० में एक लाख रुपये से अधिक की हानि बट्टे-खाते में डाल दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : (क) वर्ष १९५९–६० में डाक-तार विभाग के हिसाब-किताब में बट्टे-खाते डाली गयी हानि का विवरण नीचे दिया जाता है । उससे यह दिखायी पड़ेगा कि किसी भी मामले में हानि १ लाख रुपये से अधिक की नहीं है ।

हानि का विवरण	मामलों की संख्या	हानि की कुल रकम (हजार रुपयों में आंकड़े)	टिप्पण
१	२	३	४
(क) दुर्घटनाओं, चोरी और अन्य विविध कारणों से हुई हानि .	११	१३	..
(ख) रियायती दरों पर अनाज दिये जाने के कारण हुई हानि .	३	१,५४*	*(१) ८८ (२) १३ (३) ५३
(ग) दुर्घटनाओं, चोरी आदि के कारण इंजीनियरिंग डिविजनों में हानि .	१७	१	..
(घ) दुर्घटना, चोरी आदि के कारण डाकखानों में हानि तथा ऐसी रकमों की अदायगी के, जो वसूल न की जा सकती हों, कारण हुई विविध हानि . . .	६०,०९	१,३०	..
(ङ) दुर्घटनाओं, चोरी आदि के कारण तारघरों में हानि . . .	२	**	**यह रकम केवल २७५ रुपये है ।
(च) दुर्घटना, चोरी आदि के कारण टेलीफोन शाखा में हानि . .	३८	१	..
(छ) विविध कारणों से हुई टेलीफोन डिस्ट्रीक्ट्स् में हानि . . .	१७	१	..
जोड़ .	६०,९७	३,००	..

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

ओर ध्यान दिलाना

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय तार नियम में संशोधन और इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० च० सुब्बरायन)** : मैं (१) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ८ अक्तूबर, १९६० की एस० ओ० २४४३;

(दो) दिनांक ५ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १२९६ ।

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० २४६९/६० तथ २४७०/६०]

मध्यप्रदेश खाद्य क्षेत्र से चावल और गेहूं का निर्यात

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : मैं श्री अ० म० थामस की ओर से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को गेहूं और चावल के निर्यात के लिये की गई संशोधित व्यवस्था के बारे में किये गये निर्णयों के टिप्पण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० २४७१/६०]

अनुदान की अनुपूरक मांग, (रेलवें) १९६०-६१

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं वर्ष १९६०–६१ के आय-व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदान की अनुपूरक मांग का एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

स्टैनवैक द्वारा शुल्क संरक्षण का अध्यर्पण

†**श्री रघुनाथ सिंह:** (वाराणसी) : मैं नियम १९७ के अधीन इस्पात खान और ईंधन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके बारे में एक वक्तव्य दें :—

"स्टेन्डर्ड वैकुअम रिफाइनिंग समवाय द्वारा शुल्क संरक्षण का अध्यर्पण"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जब बम्बई में स्टैण्डर्ड वैकुअम आइल कम्पनी द्वारा एक तेल शोधन कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा था, तो उस समवाय ने बहुत से आश्वासनों की मांग की थी और इस तेल शोधन कारखाने की स्थापना के लिये सरकार से सहायता भी मांगी । इस प्रकार के आश्वासनों में से सरकार ने इस आश्वासन को भी मान लिया था कि भारत में तैयार किये गये तेल के उत्पादों पर, तेल शोधन कारखाने के पूर्ण स्तर पर काम शुरू कर देने के समय से १० वर्ष की अवधि तक या ३१ दिसम्बर, १९६५तक, जो भी अवधि पहले हो, विद्यमान शुल्क संरक्षण प्रदान किया जाता रहेगा । और यह उपबन्ध करार के पैरा ६(१०) में सम्मिलित कर लिया गया था । वस्तुत: इस छूट का अभिप्राय यह था कि करार होने के दिन पेट्रोलियम उत्पादों के आयात शुल्क और उत्पादन शुल्क में जो अन्तर है, वह इस पूर्ण अवधि में, जिसमें तेल कम्पनियां इस रियायत का फायदा उठायेंगी ज्यों का त्यों बना रहे । लेकिन करार के दिन यहां के बने हुए काले तेल और बिटुमेन पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं था । लेकिन बाद को चल कर इन भेद से कुछ वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया गया अत: ऐसा करने के कारण इसी प्रकार के आयातित उत्पादनों पर आयात शुल्क भी इसी अनुपात से बढ़ा दिया गया । अर्थात् इन उत्पादों पर शुल्क संरक्षण करार के समय प्रचलित आयात शुल्क के बराबर ही था । इस छूट को पाने के प्रयोजनार्थ तेल शोधन कारखाने इन उत्पादों पर उत्पादन शुल्क तभी दे दिया करते थे जब भी ये शुल्क लगाये जाते थे, लेकिन अन्त में अपने विक्रय मूल्य में वे उपभोक्ताओं से, उत्पादन शुल्क तो नहीं (यदि तेल शोधन कारखानों द्वारा कोई दिया गया हो) भारत सरकार द्वारा समय समय पर लगाये गये आयात शुल्क की मात्रा अवश्य वसूल कर लिया करते थे ।

स्टैण्डर्ड वैकुअम रिफाइनिंग कम्पनी ने अपना उत्पादन कार्य २९-७-५४ से शुरू किया था और १५-१२-५४ से पूर्ण स्तर पर उत्पादन शुरू हो गया था । १-१०-१९५६ से इस कम्पनी ने मोटर स्प्रिट पर मिलने वाला शुल्क संरक्षण का अध्यर्पण कर दिया । अग्रेतर पुनरीक्षण के फलस्वरूप स्टैण्डर्ड वैकुअम रिफाइनरी कम्पनी ने उसे मट्टी के तेल, हार्डस्पीड डीजल तेल, लाइट डिजल तेल, पर प्राप्त शुल्क संरक्षण को १५ नवम्बर, १९६० से अध्यर्पित करने की पेशकश स्वेच्छा से की है । इस पेशकश को स्वीकार कर लिया गया है । ऐसी पेशकश का लाभ उठाने का समुचित तरीका केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा पहले ही निकाला जा चुका है, जब १-७-५९ से शुल्क रियायत के अध्यपर्पण के लिये बर्मा शैल ने ऐसी ही पेशकश की थी और उसे स्वीकार कर लिया गया था ।

स्टैण्डर्ड वैकुअम रिफाइनरी कम्पनी द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों पर से शुल्क रियायत के अध्यर्पित किये जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार को लगभग १४४ लाख रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से आगामी ४ वर्ष और १ महीने के लिये कुल ५८६ लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

†**श्री नारायण कुट्टी मेनन** (मुकन्दपुरम्) : क्या सरकार इस शुल्क संरक्षण के अध्यर्पण के बारे में कोई विधान प्रस्तुत करेगी यदि हां तो क्या वह इसी चालू सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : इसके लिये तरीका तो पहले निकाला जा चुका है, जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में बताया है, जब बर्मा शैल शुल्क अध्यर्पित किया था तो एक तरीका निकाल लिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कानपुर में युद्धास्त्र कारखानों के आंशिक रूप से बन्द हो जाने का समाचार

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १९७ के अधीन मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे बारे में एक वक्तव्य दें ।

"बिजली की कमी के कारण युद्धास्त्र कारखानों के आंशिक रूप से बन्द हो जाने का समाचार ।"

आपकी जानकारी के लिये मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मुझे सूचना मिली है कि बिजली बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप १७ बड़े कारखानों के अतिरिक्त , जिनमें युद्धास्त्र कारखाने भी सम्मिलित हैं, १०१ छोटे छोटे कारखानों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है ।

यह मामला विद्युत् से भी सम्बन्धित है अतः मेरा निवेदन है कि प्रतिरक्षा मन्त्री के अतिरिक्त सिंचाई और विद्युत् मन्त्री भी स्थिति का स्पष्टीकरण करें ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : हमें सूचना मिली है कि २५ नवम्बर को चार युद्धास्त्र कारखानों के बिजली संभरण में रुकावट पैदा हो गई---उनमें से तीन कारखानों पर इसका गम्भीर प्रभाव हुआ और एक पर आंशिक । सरकार इस सम्बन्ध में स्वयं चिंतित है क्योंकि इससे हमारे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है । हमने उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क स्थापित किया हुआ है क्योंकि इन कारखानों को बिजली का संभरण करना उसी का दायित्व है । कारखानों को पुनः बिजली मिलने लगे इसके लिये सरकार हर सम्भव प्रयत्न कर रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि पिछले १८ महीनों से गंगा का पानी कम हो रहा है । मेरा निवेदन है सेना के सैनिक इस काम को अपने हाथ में ले लें । कानपुर एवं लखनऊ की जनता बिजली की कमी से परेशान हो गई है । मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे ।

†**अध्यक्ष महोदय**: क्या माननीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री को कुछ कहना है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : विद्युत् सम्भरण की बात तो राज्य सरकार का विषय है । वहां की सरकार को ही इस बारे में कुछ करना चाहिये । जहां तक कि रेत को निकालने की बात है उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय प्रतिरक्षा उपमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह एक गम्भीर मामला है और वे इस गड़बड़ी को दूर करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं । मुझे आशा है कि माननीय सिंचाई और विद्युत् मन्त्री भी इस बारे में अवश्य ही कुछ करेंगे ।

जहां तक कि अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की बात है वैसे तो सामान्यतः हम एक दिन में एक प्रस्ताव की अनुमति देते हैं लेकिन जब एक ही विषय पर स्थगन प्रस्ताव भी आ जाते हैं, और ध्यान दिलाने की सूचनायें भी तो अपवादस्वरूप ध्यान दिलाने की सूचना की भी अनुमति दे दी जायेगी ताकि सरकार की ओर से उस विषय के बारे में उत्तर मिल सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय श्रम मन्त्री भी यहां उपस्थित हैं। इसका प्रभाव ३०,००० कर्मचारियों पर पड़ा है। मिल मालिक चाहते हैं कि मजदूर इस क्षति की पूर्ति इतवार की छुट्टी में काम करके पूरा करा करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मिल मालिकों से इस समय हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। और न माननीय सदस्य सभी मन्त्रियों से इस समय उत्तर की आशा कर सकते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैंने उनके कान में यह बात डाल दी है। यह एक गम्भीर मामला है।

समवाय (संशोधन) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा समवाय अधिनियम, १९५६ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खण्डवार विचार जारी रखेगी। खण्ड ७९ पर विचार हो रहा है। श्री मुरारका अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री मुरारका (झुझनू)** : कल मैंने अपने संशोधन संख्या ८९, ९० और ९१ प्रस्तुत किये थे। वे मेरे और श्री नथवानी के नाम में हैं। मैंने संशोधन संख्या ८९ के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा था कि धारा २५० के अन्तर्गत, खण्ड ७९ के अन्तर्गत काफी व्यापक शक्तियां ग्रहण की जा रही हैं। खण्ड ७९ का उपखण्ड (१) धारा २५० को संशोधित करता है। इस उपखंड (१) में व्यवस्था की गई है कि यदि केन्द्रीय सरकार को, धारा २४७, २४८ या २४९ के अन्तर्गत किसी जांच पड़ताल के दौरान, "या अन्यथा" किसी अन्य कारणवश, किन्हीं शेयरों से सम्बन्धित संगत तथ्यों का पता लगाने की आवश्यकता पड़े, और यदि केन्द्रीय सरकार की राय में उनका पता तब तक न लगाया जा सकता हो जब तक उन शेयरों पर उपधारा (२) में उल्लिखित प्रतिबन्ध न लगाये जायें, तो सरकार उन पर तीन साल तक के लिये वे प्रतिबन्ध लगा सकेगी। उपधारा (२) में उन प्रतिबन्धों को गिनाया गया है।

धारा २५० की मूल योजना यह थी कि सरकार, धारा २४७, २४८ या २४९ के अन्तर्गत, कुछ शेयरों, समवायों और सम्बद्ध समवायों के स्वामित्व के बारे में जांच-पड़ताल कर सकती है; और यदि कुछ शेयरधारी उसमें अड़चन पैदा करें, तो सरकार, धारा २५०(१) के अन्तर्गत, तीन साल तक के लिये कुछ प्रतिबन्ध लगा सकती है; उन शेयर धारियों को तीन साल के लिये मालिकाना अधिकारों से वंचित कर सकती है। लेकिन अब इस नये संशोधन में यह भी जोड़ दिया गया है कि सरकार धारा २४७, २४८ या २४९ के अन्तर्गत ही नहीं, "अन्यथा" किसी अन्य कारणवश भी जांच-पड़ताल कर सकेगी और वे प्रतिबन्ध लगा सकेगी।

मूल धारा में यह स्पष्ट शर्त रखी गई थी कि जांच-पड़ताल चल रही हो और सरकार यह महसूस कर रही हो कि कुछ शेयरधारी उसमें अड़चन पैदा कर रहे हैं जिसके कारण संगत तथ्यों का पता नहीं लगाया जा सकता, तभी प्रतिबन्ध लगाये जा सकते थे। लेकिन नये संशोधनों में, "या अन्यथा", अन्य किसी कारणवश जोड़ कर, प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति बहुत व्यापक बना दी गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि किसी भी जांच-पड़ताल के बिना यह कैसे जाना जा सकता है कि अमुक शेयरधारी कुछ अड़चनें पैदा करेंगे।

शास्त्री समिति ने धारा २५० की उपधारा (१) का क्षेत्र इस प्रकार व्यापक बनाने की सिफारिश नहीं की थी। सभा में विधेयक के पुरःस्थापित होते समय भी इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह नया संशोधन संयुक्त समिति ने इसमें जोड़ा है । इसके स्वीकृत होने पर, सरकार को मनमानी करने की छूट मिल जायेगी और संयुक्त स्कन्ध उपक्रम को उससे बड़ी हानि पहुंचेगी ।

और फिर समवाय विधि प्रशासन को कभी भी ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई । प्रशासन के वार्षिक प्रतिवेदन से पता चलता है कि पिछले तीन वर्ष में सरकार को केवल दो मामलों में धारा २४७ के अन्तर्गत जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता पड़ी थी और उनमें से भी किसी पर भी धारा २५० के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी ।

इसलिये माननीय मंत्री को इस संशोधन पर पुनः विचार करना चाहिये । इन नयी शक्तियों का उपयोग ही क्या है ? शेयरों के सम्बन्ध में संगत तथ्यों का पता लगाने के लिये ही तो उनका उपयोग किया जा सकता है ; और वैसी जांच-पड़ताल तथा उसमें अड़चन पड़ने पर प्रतिबन्धों की व्यवस्थायें पहले से मौजूद ही हैं। जांच-पड़ताल करने के लिये आपको उन शेयरधारियों को मालिकाना अधिकारों से वंचित करना ही पड़ेगा। लेकिन यह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि मामला बड़ा गम्भीर न हो और प्रत्यक्षतः कुछ जांच न की गई हो । यदि शेयरधारियों को तीन वर्ष के लिये मालिकाना अधिकारों से वंचित कर दिया जायेगा, तो समवाय उनको तीन वर्ष बाद भी मालिकाना अधिकार पुनः नहीं देंगे । इसलिये, श्री नथवानी का संशोधन है कि इस खण्ड में से "या अन्यथा" अन्य किसी कारणवश शब्द निकाल दिये जायें । सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिये ।

अब संशोधन संख्या ९० को लीजिय । प्रस्तावित धारा २५० की उपधारा (३) में मूल अधिनियम की व्यवस्था को ही दोहरा दिया गया है । उसमें व्यवस्था की गई है कि यदि किसी समवाय में शयरों का कुछ हस्तांतरण हो और उसके फलस्वरूप निदेशक बोर्ड के गठन, या व्यक्तिगत प्रबन्धकर्त्ता या प्रबन्धकर्त्ता फर्म के गठन में कोई परिवर्तन संभावित हो, और यदि सरकार उस संभावित परिवर्तन को लोकहित के लिये हानिकारक समझे, तो सरकार आदेश निकाल सकती है कि वह तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक सरकार शयरों के हस्तांतरण के उस संकल्प की परिपुष्टि नहीं कर देती । लेकिन इसके लिये कोई काल निर्धारित नहीं किया गया है कि शेयरों का हस्तांतरण कितने वर्ष पहले हुआ हो और निदेशक बोर्ड ने उसके सम्बन्ध में संकल्प कब पारित किया हो, कितने वर्ष पहले । ये सभी बातें अस्पष्ट रहने दी गई हैं । वैसे सरकार को धारा ४०९ के अन्तर्गत निदेशक-बोर्ड के गठन में परिवर्तन न होने देने की शक्ति पहले से प्राप्त है । सरकार धारा ३४६ के अन्तर्गत प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं के गठन में होने वाले परिवर्तनों को भी रोक सकती है । फिर इस खण्ड में उन व्यवस्थाओं को दोहराने की क्या आवश्यकता है ?

उप खण्ड (४) की व्यवस्था तो समझ में आती है कि सरकार शेयरों का हस्तांतरण रोकने की शक्ति ग्रहण करना चाहती है । उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं । लेकिन यदि शेयरों का हस्तांतरण हो चुका है, और सरकार समझती है, उसे आशंका है कि उसके फलस्वरूप निदेशक-बोर्ड या प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं के गठन में कोई परिवर्तन संभावित है, आगे होने वाला है, तो भी सरकार आदेश निकाल सकती है कि शेयरों के हस्तांतरण से सम्बन्धित संकल्प प्रभावी नहीं होगा । यह व्यवस्था बड़ी अस्पष्ट है । इसके लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है । इस तरह तो सरकार कह सकती है वर्ष १९३६-३७ में पारित किये गये संकल्प भी प्रभावी नहीं होंगे । इसलिये माननीय मंत्री को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये कि सरकार ऐसे संकल्पों की परिपुष्टि कितने समय में करेगी ।

उपखण्ड (४) में एक और व्यवस्था की गई है कि सरकार आदेश निकाल कर शेयरों के किसी भी हस्तांतरण को रद्द कर सकती है । सरकार समवायों के सभी शेयरों का हस्तांतरण कैसे रद्द कर सकती है ? कुछ विशेष श्रेणी के शेयरों का हस्तांतरण रोकने की बात तो समझ में आती है । माननीय मंत्री को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये ।

[श्री मुरारका]

वैसे यह पूरा खण्ड बड़ा अच्छा है, पर इस नये संशोधन ने उसे अस्पष्ट बना दिया है। वैसे यही एक ऐसा खण्ड है जो अच्छे प्रबन्धकों को तमाम तरह के अवांछित तत्वों से बचाने की व्यवस्था करता है; उनको 'निगमित लुटेरों', इत्यादि से बचाता है। अवांछनीय परिवर्तनों से समवायों को बचाने के लिये धारा ४०९ द्वारा सरकार को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, वे पर्याप्त हैं, कहीं सुस्पष्ट हैं। उसे देखते हुए, खण्ड ७९ के उप खण्ड (३) की यह व्यापक शक्ति अनावश्यक है। उप खण्ड (४) की व्यवस्था ठीक है। लेकिन उप खण्ड (१) के बारे में माननीय मंत्री को पुनः विचार करना चाहिये। आशा है माननीय मंत्री उसके सम्बन्ध में मेरा संशोधन स्वीकार कर लेंगे।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : श्री मुरारका ने अपने संशोधन संख्या ८९ के समर्थन में कहा है कि इस खण्ड में से "या अन्यथा" शब्दों को उसमें से निकाल दिया जाये। इन शब्दों को हटा देने से पूरा खण्ड सारहीन हो जायेगा। शास्त्री समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की। शास्त्री समिति ने धारा २५० की व्यवस्थाओं को अपर्याप्त बताया था और धारा २४७ से २५० तक की व्यवस्थाओं को आवश्यक बताया था। धारा २४७, २४८ और २४९ के अन्तर्गत कुछ परिस्थितियों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। मूल अधिनियम की धारा २५० में कहा गया है कि यदि धारा २४७, २४८ और २४९ के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू हो गई है, तो उसके कुछ लाजिमी नतीजे होंगे। शास्त्री समिति की राय में धारा २५० का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कि ऊपर की इन तीन धाराओं के अन्तर्गत जांच-पड़ताल शुरू हो गई हो। तभी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

[**श्री मूल चन्द दुबे** पीठासीन हुए]

†**श्री मुरारका** : शास्त्री समिति ने अपने प्रतिवेदन में उपधारा (३) को ही लिया है, उपधारा (१) को लिया ही नहीं। और मेरा सारा भाषण उपधारा (१) पर आधारित है।

†**श्री तंगामणि** : उपधारा (१) में दृष्टांत ही दिया गया है, कि वह हस्तक्षेप किन परिस्थितियों में होगा।

मैं तो यही समझा हूं कि शास्त्री समिति ने अपने प्रतिवेदन में यही कहा है कि कार्यवाही धारा २४७, २४८ और २४९ के अन्तर्गत ही की जायेगी, और उस कार्यवाही के बाद केन्द्रीय सरकार को अधिकार होगा कि वह एक खास ढंग से उसमें आगे बढ़े। शास्त्री समिति ने कहा है कि धारा २५० का प्रयोग एक परिस्थिति विशेष तक सीमित है। इसलिये "या अन्यथा" शब्द रखना जरूरी हो जाता है। संयुक्त समिति ने भी उस धारा को इसी ढंग से समझा है। इसलिये समिति ने धारा २५० को व्यापक बनाने की सिफारिश की है। जांच-पड़ताल शुरू होने की परिस्थिति तक ही इस धारा का क्षेत्राधिकार सीमित नहीं होना चाहिये। संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार को उपधाराओं (१), (३) या (४) के अन्तर्गत दिये गये किसी भी आदेश में हेर फेर करने या उसे रद्द करने की शक्ति दी जानी चाहिये। इसी लिये इस खण्ड में "या अन्यथा" शब्द जोड़े गये हैं।

श्री मसानी ने अपनी विमति टिप्पणी में इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। श्री मसानी की बात तो समझ में आती है कि वह इस पूरे खण्ड का विरोध करते हैं। इसलिये कि श्री मसानी इस पूरी

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यवस्था को शेयरधारियों के मालिकाना अधिकारों में हस्तक्षेप मानते हैं। लेकिन यदि कोई, श्री मुरारका की भांति, इस खण्ड का समर्थन करे, तो उसे यह कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती कि "या अन्यथा" शब्दों को हटा दिया जाये, क्योंकि उससे तो पूरा खण्ड सारहीन बन जायेगा।

†**श्री मुरारका** : इस खण्ड पर मुझे कोई बुनियादी ऐतराज नहीं है। मैं तो केवल यह कहता हूं कि धारा २४७, २४८ और २४९ के अन्तर्गत सरकार को जांच-पड़ताल करने का अधिकार है और यदि उसमें बाधा डाली जाये, तो बाधा उत्पन्न करने वाले शेयरधारियों पर प्रतिबन्ध भी लगाये जा सकते हैं। लेकिन "या अन्यथा" शब्द इसमें जोड़ देने से तो यह सम्भावना हो जाती है कि सरकार जांच-पड़ताल के बिना भी शयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध लगा सकती है।

†**श्री तंगामणि**: श्री मुरारका स्वयं भी संयुक्त समिति के सदस्य थे और संयुक्त समिति ने स्पष्ट कहा है। समिति की राय में केन्द्रीय सरकार को उपयुक्त मामलों में बिना जांच-पड़ताल के भी प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति दी जानी चाहिय। हो सकता है कि अब भी श्री मुरारका उससे असहमत हों। सरकार को जांच-पड़ताल के बिना, अन्य कारणवश, अन्य परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति प्रदान करने के लिये ही ये "या अन्यथा" शब्द इसमें जोड़े गये हैं।

इस शक्ति का प्रयोग कहां और कदाचार के किन मामलों में करना चाहिये, सरकार को यह बताने का कर्तव्य समवाय विधि प्रशासन का है। लेकिन इसके लिये समवाय विधि प्रशासन को भी और अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : क्या माननीय सदस्य मानते हैं कि यह धारा इंगलैण्ड के अधिनियम से ज्यों की त्यों ले ली गई है? यदि हां, तो क्या उस अधिनियम की धारा में भी इन शब्दों को रखा गया है? यदि नहीं, तो भारत में अब इन शब्दों को क्यों जोड़ा जा रहा है?

†**श्री तंगामणि**: मूल धारा २५० इंगलैण्ड के अधिनियम से लीगई थी। यह तो ठीक है, लेकिन हमने उसे एक वर्ष तक लागू करके देखा और तब उस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई गई, जिसने इन शब्दों को जोड़ने की सिफारिश की है। समिति ने सीमित व्यवस्था को पर्याप्त नहीं समझा।

मूलतः यह खण्ड ८४ था। व्याख्या में बताया गया था कि इस खण्ड का मंशा अवांछित शेयर-धारियों द्वारा समवायों के बहुत अधिक शेयर हथिया लेने की प्रथा रोकना या उसे अधिक कठिन बनाना है। यह भी व्यवस्था है कि शेयरों का आवंटित हस्तांतरण रोकने के लिये जिन शेयरधारियों पर प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे, वे उन प्रतिबन्धों के आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। मूल खण्ड की यही व्याख्या पुरःस्थापना के अवसर पर की गई थी। उस समय तक धारा २५० को ज्यों का त्यों रहने दिया गया था। लेकिन अब इस नये खण्ड ने पूरी धारा को एक नये सांचे में ढाल दिया है। उपधारा (१) में केवल इतना परिवर्तन किया गया है कि उस में "या अन्यथा" शब्द जोड़ दिये गये हैं। अब इस धारा में १२ उपधारायें हैं, जबकि मूल धारा में कुल ८ थीं।

समिति ने यह आवश्यक समझा कि धारा २५०(१) का क्षेत्र व्यापक बनाया जाये। अब केन्द्रीय सरकार धारा २४७, २४८ और २४९ के अन्तर्गत जांच-पड़ताल शुरू हुए बिना भी शेयरों पर प्रतिवन्ध लगा सकेगी। अब कोई भी न्यायालय उपधारा ६ के अन्तर्गत अपना कोई भी आदेश तब तक जारी नहीं कर सकेगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार को अपनी बात कहने का अवसर न

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

दे । अब केन्द्रीय सरकार उपधाराओं १, ३ और ४ के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों में हेर फेर या उन को रद्द कर सकेगी ।

समवाय विधि प्रशासन ने अपने द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन में कहा है कि मूंदड़ा समवायों के मामलों की जांच-पड़ताल से समवायों द्वारा किये जाने वाले कई बड़े महत्वपूर्ण कदाचारों का पता चला है ; और जाली शेयरों के नियंत्रण तथा समवायों के परस्पर ऋणों के नियंत्रण के लिये विधि की व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता सामने आई है । कल माननीय सदस्य ने स्वयं बताया था कि 'निगमित लुटेरे' किस तरह समवायों पर धावे बोलते हैं । उसी की रोकथाम के लिये ये उपाय किये जा रहे हैं ।

समवाय अधिनियम का प्रवर्तन १९५६ में हुआ था । वास्तविक व्यवहार में हम ने देखा कि उसे लागू करने में कुछ कठिनाइयां पड़ती हैं । उन पर विचार करने के लिये ही, श्री विश्वनाथ शास्त्री के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई थी ।

मैं चाहता हूं कि समवाय विधि प्रशासन के प्रतिवेदनों में उन मसलों पर भी विचार व्यक्त किय जायें, जो संयुक्त समिति ने समवायों के कदाचारों के सम्बन्ध में उठाये हैं । तभी हमारे देश का वाणिज्य और उद्योग विकसित होगा और औद्योगिक नीति संकल्प को ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जा सकेगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि समवाय विधि प्रशासन के अधिकारियों को देश के महत्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्रों में स्वयं जा कर इन 'निगमित लुटेरों' के कारनामों का अध्ययन करना चाहिये ।

बड़े-बड़े समवायों के पास तो वैधानिक सलाहकारों और विशेषज्ञों की भरमार रहती है, लेकिन छोटे-छोटे समवायों को आवश्यक विवरण जुटाने में बड़ी कठिनाई पड़ती है । उन की सहायता की जानी चाहिये । अच्छा तो यह रहेगा कि समवाय विधि प्रशासन उन के लिये एक गुटका प्रकाशित कर दे, जिस में उन को सरलता से पता लग सके कि उन को कब क्या और किस ढंग से करना है ।

मैं तो समझता हूं कि खण्ड ७० के बाद, यही सब से उपयोगी खण्ड है । संयुक्त समिति ने इस खण्ड ७९ द्वारा धारा २५० को संशोधित करने की बड़ी अच्छी सिफारिश की है ।

मैं श्री मसानी के संशोधन संख्या १३ का समर्थन नहीं करता । वह सरकार के हाथों से शक्ति छीन कर शेयरधारियों को दे देना चाहता है ।

श्री सोमानी का संशोधन संख्या ९८ भी मेरी समझ में नहीं आया । श्री सोमानी नयी धारा २५०(१) में एक नया परन्तुक जोड़ना चाहते हैं कि यदि किसी समवाय की आम बैठक में दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित किया जाये कि सरकार धारा २५०(१) के अनुसरण में कार्य-वाही न करे, तो सरकार कार्यवाही नहीं करेगी । शायद उन का मंशा यह है कि यदि समवाय की आम बैठक यह तय कर दे कि शेयरों का हस्तांतरण किसी ग़लत उद्देश्य से नहीं किया गया है, तो सरकार कार्यवाही न करे । लेकिन उन के संशोधन से यह स्पष्ट नहीं होता ।

मैं चाहता हूं कि सभा इस खण्ड ७९ को स्वीकार करे ।

†**श्री सोमानी** (दौसा) : समवाय विधि का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि समवायों का कार्य उन के शेयरधारियों के बहुमत की इच्छा के अनुकूल चले। यह खण्ड शेयरधारियों के बहुमत के वैध अधिकारों में हस्तक्षेप करता है।

मैं जानता हूं कि सट्टेबाज किस ढंग से समवायों पर छा जाते हैं। सरकार की नीति यही होनी चाहिये कि समवायों का प्रबन्ध उन लोगों ही के हाथों में रहे जिन के पास समवाय के शेयरों का एक ठोस बहुमत हो। ऐसे प्रबन्धकों को सरकार के संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। संरक्षण की मांग वे ही करते हैं जिन के पास समवायों के केवल १०, १५ या २० प्रतिशत शेयर होते हैं।

इसीलिये मैं ने संशोधन रखा है कि यदि किसी समवाय के शेयरधारी अपने दो-तिहाई बहुमत से कोई निर्णय कर दें, तो फिर सरकार को उस के विरुद्ध जांच-पड़ताल करने या कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये।

मैं ऐसे कई समवायों, और काफी बड़े समवायों को जानता हूं, जिन के प्रबन्धकों के पास उन समवायों के २०-२५ प्रतिशत शेयर भी नहीं हैं। ऐसे प्रबन्धकों को समवायों के प्रबन्ध की अधिक चिन्ता नहीं रहती। इसलिये ऐसे प्रबन्धकों को बदल देना ही राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिये लाभदायक होगा।

प्रबन्धकों के बदलने का काम इतनी आसानी से नहीं होता। उस में कई पेचीदगियां रहती हैं, मुकदमे चलते हैं। एक बार जो लोग प्रबन्धक बन जाते हैं, वे हर तरह से कोशिश करते हैं कि इस प्रक्रिया को अधिक से अधिक लम्बा खींचा जाये। श्री मूंदड़ा ने जितने भी सौदे किये, वे अधिकांशतः समवायों के वर्तमान प्रबन्धकों के साथ सीधे सौदे कर के ही, उन की सहमति से किये थे, 'निगमित लुटेरों' की भाँति नहीं।

सरकार को ऐसे किन्हीं प्रबन्धकों को प्रोत्साहन या संरक्षण नहीं देना चाहिये जिन के पास समवाय के अधिकांश शेयर न हों।

मैं मानता हूं कि कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं, जिन में सरकार के लिये कार्यवाही करना ही अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे मामले बहुत थोड़े से होंगे। हो सकता है कि कोई सट्टेबाज अनुचित उपायों से किसी समवाय के निदेशक-बोर्ड में पहुंच जाये। वैसी हालत में सरकार निदेशक-बोर्ड को संरक्षण प्रदान कर सकती है। लेकिन सामान्यतया सरकार को शेयरधारियों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यदि कोई निदेशक-बोर्ड अपने समवाय के हितों की रक्षा में सावधानी नहीं रखता और शेयरों को आवांछित लोगों के हाथों में केन्द्रित होने देता है, तो फिर उसे सरकार क्यों संरक्षण दे ?

फिर भी यदि समवाय विधि प्रशासन किसी समवाय के निदेशक-बोर्ड को कुछ खास परिस्थितियों में संरक्षण देना चाहे, तो दे सकता है। उस में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन यदि उस समवाय के दो-तिहाई शेयरधारी प्रबन्धकों के परिवर्तन को ठीक समझें, तो सरकारी हस्तक्षेप अनुचित होगा।

मैं ने ऐसे भी एक-दो मामले देखे हैं, जिन में समवाय विधि प्रशासन ने पहले तो प्रबन्धकों के गठन में परिवर्तन ठीक नहीं माना, लेकिन बाद में समझौता हो जाने पर उस की अनुमति दे दी गई और उस परिवर्तन के फलस्वरूप समवायों की और अधिक उन्नति हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सोमानी]

मेरी शिकायत यही है कि जिन लोगों के पास वास्तव में किसी समवाय के अधिकांश शेयर हैं, पर जो फिर भी निदेशक-बोर्ड में नहीं पहुंच पाते, उन को वैधानिक अधिकारों से वंचित करना अनुचित होगा। ऐसी परिस्थिति में समवायों के प्रबन्धकों को संरक्षण देना गलत होगा। इसीलिये मैं कहता हूं कि सरकार को ऐसा हस्तक्षेप तभी करना चाहिये जब वह अत्यावश्यक हो, और सम्बन्धित समवाय के दो-तिहाई शेयरधारी उस के विरुद्ध न हों। सामान्यतया ऐसा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। माननीय मंत्री को चाहिये कि वे उन समवायों के मामलों का अध्ययन करें जिन के निदेशक-बोर्डों में परिवर्तन हुआ है और फिर उस के आधार पर ही स्वयं निर्णय करें कि परिवर्तन से कितने समवायों को वास्तव में लाभ और कितनों को हानि हुई है।

इसीलिये इस खण्ड पर एक बार फिर विचार करने की जरूरत है।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : श्री मुरारका ने इस खण्ड के वर्तमान स्वरूप के उपलक्षणों का बड़ा विशद विवेचन किया है। इस के लिये मैं उन का आभार मानता हूं। श्री मुरारका ने समवायों के अधिकांश शेयरों के चन्द लोगों के पास केन्द्रित हो जाने और निदेशक-बोर्डों के परिवर्तनों की रोक-थाम करने, उस का नियंत्रण करने के लिये जो तर्क दिये हैं, उन तर्कों को सुन कर ही मुझे और अधिक विश्वास हो गया है कि इस खण्ड में जिन शक्तियों की व्यवस्था की है, वे कोई अधिक कड़ी, या सख्त नहीं हैं।

श्री मुरारका ने बिल्कुल सही कहा है कि सारा विवाद इन दो शब्दों—"या अन्यथा"— को ले कर ही है। वास्तव में, यदि मोटे तौर पर कहा जाये तो इन दो शब्दों को जोड़ना ही इस में मुख्य संशोधन है, वैसे तो कुछ अन्य उप-खण्ड भी जोड़े गये हैं। लेकिन वे इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। जैसाकि श्री मुरारका ने बताया है, उप-खण्ड (२), जिस में शेयरों जैसे प्रकाम्य लिखित के मालिकाना अधिकार में हस्तक्षेप करने की व्यवस्था की गई है १९५६ के अधिनियम में ही नहीं, इंग्लैंड के अधिनियम में भी पहले से मौजूद था। अब प्रश्न है कि फिर "या अन्यथा" शब्द जोड़ कर इस खण्ड को अधिक व्यापक क्यों बनाया गया? धारा के वर्तमान स्वरूप के अनुसार, उस के अन्तर्गत कोई कार्यवाही तभी की जा सकती है जब धारा २४७, २४८ और २४९ तक के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू हो गई हो, उस के बिना नहीं। धारायें २४७, २४८ और २४९ शेयरों के स्वामित्व की जांच-पड़ताल के बारे में हैं। इस व्यापक शक्ति की व्यवस्था करने का कारण यह है कि धाराओं २४७, २४८ और २४९ के अन्तर्गत समवाय के शेयरों के वास्तविक स्वामित्व की जांच-पड़ताल की शक्तियों की व्यवस्था होते हुए भी, कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिन में उन शक्तियों का प्रयोग करने में काफी लम्बा समय लगता है। और धारा २४७ के अन्तर्गत कोई कार्यवाही होने से पहले ही कुछ गड़बड़ी की जा सकती है, क्योंकि उस के लिये काफी समय मिल जाता है।

अन्य देशों में ही नहीं, हमारे देश में भी ऐसा कई बार हो चुका है। बहुत थोड़े से समय में समवायों के अधिकांश शेयरों को हथिया लिया जाता है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़े समवाय के मामले में ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में २४ समवायों और फर्मों के जरिये उसके अधिकांश शेयर हथिया लिये गये थे। मैं मानता हूं कि ऐसा बहुत कभी कभी ही होता है। लेकिन सभा को यह नहीं भूलना चाहिये कि इस प्रकार की कार्यवाही अन्य देशों और हमारे देश में भी बहुत काफी चलती रही है। श्री मुरारका ने इसे 'निगमित लुटेरों' का हमला कहा है। उन्होंने बड़ा ही उपयक्त शब्द चना है। इसी कारण इंग्लैण्ड की सरकार ने भी वहां की वर्तमान विधि के

†मूल अंग्रेजी में

पुनरीक्षण के लिये एक आयोग नियुक्त करना ज्यादा अच्छा समझा। उस आयोग के निर्देश-पद बड़े व्यापक हैं। वह आयोग इंग्लैण्ड की विधि के विभिन्न पहलुओं की छानबीन करेगा। लेकिन सभी जानते हैं, समाचारपत्रों ने भी यही कहा है कि इस प्रकार की जांच पड़ताल इसीलिये अविलम्बनीय हो गई है कि वहां निगमित लुटेरों की सक्रियता बहुत बढ़ गई है।

श्री सोमानी ने आशंका प्रकट की है कि इन शक्तियों के बल पर अल्पसंख्यक शेयरधारियों का समर्थन पाने वाले प्रबन्धकगण शेयरधारियों के बहुमत की इच्छा के विरुद्ध भी जमे रहेंगे। ऐसी परिस्थिति भी सामने आ सकती है, मैं मानता हूं। लेकिन आखिर किसी एक को निर्णायक तो बनाना ही पड़ेगा।

†**श्री मुरारका** : न्यायालयों सम्बन्धी व्यवस्था भी तो है।

†**श्री कानुनगो** : वह तो केवल अन्तरिम शक्ति है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुमत की इच्छायें सदा ही लोकहित के अनुकूल नहीं होतीं। किसी समवाय के अधिकांश शेयर सामान्य रूप से भी तो कुछ दूसरे लोगों के पास पहुंच सकते हैं। वैसी सामान्य परिस्थिति में शेयरधारियों के बहुमत की इच्छा ही सर्वोपरि होनी चाहिये। लेकिन माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिये कि इस खण्ड विशेष का पूरा ढांचा, इसकी समूची व्यवस्था असामान्य परिस्थितियों के लिये ही की गई है, जहां कि असामान्य, अनुचित और अवांछनीय तरीकों से किसी किसी समवाय के अधिकांश शेयर हथिया लिये जाते हैं और उनको किसी सदाशय से, नेकनीयती से नहीं, बल्कि इस उद्देश्य से हथियाया जाता है कि समवाय पर कब्जा जमाया जाये। यह तो स्पष्ट ही अवांछनीय उद्देश्य है। श्री सोमानी और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि व्यवसाय की उन्नति के विचार से, सदाशयता के साथ भी तो कई समवाय आपस में वार्ता करके, समझौते करके और अपने शेयरों के हस्तांतरण द्वारा एक संयुक्त समवाय बना सकते हैं। यह सम्भव है, मैं मानता हूं। लेकिन किस मामले में सदाशयता से और किसमें दुराशयता से काम किया गया है—इसका निर्णय तो आखिर किसी को करना पड़ेगा। मैं श्री मसानी की बात से सहमत हूं कि न्यायालयों को ऐसा निर्णय करना चाहिये। इस खण्ड में भी ठीक यही व्यवस्था की गई है। इस खण्ड में इससे कुछ अधिक की व्यवस्था भी है—केवल इसकी कि सरकार एक सीमित काल के लिये कुछ निरोधात्मक उपाय कर सकेगी। सरकार की इन सीमित शक्तियों को भी न्यायालयों द्वारा किये जाने वाले रद्दोबदल और रूपभेदों के अधीन रखा गया है। न्यायालय सरकारी कार्यवाही का पुनरीक्षण कर सकेंगे। ऐसे मामलों में तुरन्त कार्यवाही करना जरूरी होता है, क्योंकि एक बार गड़बड़ी हो जाने पर फिर उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। प्रबन्धकों से सम्बन्धित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने में कुछ समय तो लग ही जाता है, लेकिन उसी बीच में 'निगमित लुटेरे' अपने हथियाये हुये शेयरों का पूरा लाभ उठा लेते हैं। जितना लाभ वे उठा चुकते हैं, उससे तो उनको वंचित नहीं किया जा सकता। इस विधेयक में भी इतनी ही व्यवस्था की गई है कि कुछ वर्ष तक उनको उस लूट से कोई लाभ न हो पाये। जाहिर है, कि उन शेयरधारियों के समूचे मालिकाना अधिकारों को सीमित कर दिया जायेगा। लेकिन वह समवाय और जनता दोनों के हित में रहेगा।

इससे अधिकार शेयरों और बोनस शेयरों का प्रश्न उत्पन्न होता है। पूछा जा रहा है कि शेयरों का विक्रय ठप्प कर देने के काल में शेयरधारियों को उन सम्पत्तियों से वंचित क्यों किया जा रहा है, जो सामान्यतया उनको मिल सकती थीं। यह व्यवस्था 'निगमित लुटेरों' को सम्पत्तियां हथियाने से रोकने के लिये की जा रही है। सम्भव है कि इसका असर कुछ सदाशयपूर्ण शेयरधारियों पर भी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

लेकिन उससे बचने का कोई और तरीका भी नहीं है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी समवाय अधिकार शेयर और बोनस शेयर जारी नहीं कर सकेगा। अधिकार शेयरों और बोनस शेयरों को जारी करने के बारे में अन्य व्यवस्थायें भी हैं, जिनके अन्तर्गत ऐसे शेयर जारी करने की अनुमति लेनी पड़ती है। और, इस धारा के लागू करने के बाद, सरकार उन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उसकी मंजूरी दे सकती है, और देगी।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सरकार जिन शेयरों का विक्रय ठप्प करे वे किसी दूसरे ही समवाय के हों, और उस समवाय को तो अधिकार शेयर जारी करने से रोका नहीं जा सकता, इसलिये तीन वर्ष बाद सरकार के सामने ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि जिस समवाय के शेयरों का विक्रय ठप्प किया गया था उसके पास शेयर बचे ही नहीं हों और इस प्रकार उसे अधिकार से वंचित कर दिया गया हो।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री कानुनगो** : यही तो मैं कह रहा हूं। ऐसी भी सम्भावना हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर ऐसी परिस्थिति उपस्थित होने की आशा नहीं है। इस खण्ड की व्यवस्थाओं को जान बूझ कर भयप्रद बनाया गया है, जिससे कि अवांछित ढंग से अधिकांश शेयर हथियाने और निदेशक-बोर्ड पर कब्जा जमाने की कोशिशों को कम से कम किया जा सके।

कुछ निर्दोष व्यक्ति भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसी भी सम्भावना है। लेकिन बहुत कम, इसलिये कि सरकार की मंजूरी लेकर अन्य किसी समवाय से पूछे बिना अधिकार शेयर और बोनस-शेयर जारी किये जा सकेंगे। मैंने भरसक चेष्टा की है यह बताने की कि इस खण्ड का सीमित प्रयोजन क्या है और इन शक्तियों को क्यों ग्रहण किया जा रहा है।

मैं श्री सोमानी की इस बात से सहमत नहीं कि निगमित लटेरों के ढंग से अधिकांश शेयरों को हथियाने और उनके निदेशक बोर्डों के गठन में परिवर्तन करने, उन पर नया कब्जा जमाने का परिणाम अच्छा ही हुआ है। सूती कपड़ा उद्योग की मुझे जानकारी है। श्री सोमानी ने कहा है कि ऐसे परिवर्तनों के बाद समवायों को और अधिक मुनाफा हुआ। हां, ऊपर से यही लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसे समवायों की आस्तियां बिलकुल नष्ट हो जाती हैं। मैं कई उदाहरण जानता हूं।

मैं श्री मसानी का भी कृतज्ञ हूं। इस लिये कि उन्होंने जो संशोधन रखे हैं, उनमें इस खण्ड की रचना और इसके प्रयोजन पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। ये दूसरी बात है कि वह इसके प्रयोजन से ही सहमत नहीं हैं। उनकी अपनी विचारधारा है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। उन्होंने लगातार यही कहा है कि सरकार को नियमों के मामलों में बिलकुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और सारा फैसला शेयर धारियों पर छोड़ देना चाहिये। लेकिन मैं निदेशक बोर्डों और प्रबन्धकों में इस तरह के अवांछित परिवर्तनों में कोई अच्छाई नहीं देखता। जो भी हो, यदि कुछ समवाय सदाशयपूर्ण ढंग से एक दूसरे में मिल जायें और कोई परिवर्तन करें, तो उनके संरक्षण की काफी गुंजायश इस में है। मैं बिलकुल निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि 'निगमित लुटेरे और अवांछनीय किस्म के व्यवसायी इस खण्ड की व्यवस्थाओं की कोई काट नहीं निकाल पायेंगे। मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा अनुरोध है कि इस खण्ड को, संयक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, स्वीकार किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३, ८६, ६५, ६६, ६७ और ६८ मतदान के लिये रख गये तथा अस्वीकृत हुए।

संशोधन संख्या ६८, ६० और ६१ सभा की अनुमति से, वापस लिये गय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ७६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ८० से ६८

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब खंड ८० से ६८ पर चर्चा होगी।

†**श्री कानूनगो** : खण्ड ६८ अलग से लिया जाना है ; इस पर सारे खंडों के बाद विचार किया जाये।

†**श्री मी० रु० मसानी** (राची पूर्व) : मेरा संशोधन संख्या १ जो नया खंड ५ (क) जोड़ने के बारे में है खंड ६८ पर विचार करने के बाद तक के लिये रोक दिया गया है इस लिये इसे खंड ६८ पर विचार होने तक स्थगित रखा जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं खंड ८० से ६७ तक मतदान के लिये रखता हूँ।

प्रश्न यह है

"कि खंड ८० से ६७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८० से ६७ विधेयक में जोड़ दिय गये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब खंड ६६ से १४७ पर विचार किया जायेगा। सब से पहले खंड ६६ लेंगे। इसके बारे में कुछ संशोधन हैं। क्या वे प्रस्तुत हुए समझे जायें।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं अपने संशोधन संख्या १५, १६ और १७ प्रस्तुत करता हूँ।

†**श्री तंगामणि** : मैं अपना संशोधन संख्या १०७ प्रस्तुत करता हूँ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक संशोधन संख्या ५४ और है। यह प्रस्तुत नहीं किया गया है :

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैंने अपने संशोधन संख्या १५, १६ और १७ प्रस्तुत किये हैं।

यह खंड अपने वर्तमान रूप में आपत्तिजनक है और यदि इसे इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया तो इससे बड़ी हानि होगी। हम देख रहे हैं कि सभी संशोधन कर्त्ताओं ने अपने संशोधनों का पूरा पूरा समर्थन किया है लेकिन सरकार ने किसी भी संशोधन का समर्थन नहीं किया है भले ही उससे विधेयक का सुधार क्यों न होता हो। यह खंड सरकार को किसी एक मात्र बिक्री एजेन्ट की नियुक्ति पर अप्रत्यक्ष रूप से वीटो प्रयोग करने का अधिकार देता है। ऐसा करना समवायों के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मी० रु० मसानी]

सामान्य कारबार में अनुचित हस्तक्षेप है। मैंने अपने संशोधन में यह व्यवस्था की है कि पहली बार किसी एक मात्र बिक्री एजेन्ट को नियुक्त करने की अवधि ५ वर्ष से बढ़ाकर १० वर्ष कर दी जानी चाहिये।

मेरे विचार से मैनेजिंग एजेंसी को छोड़ने तथा नये करार के अधीन बिक्री एजेन्ट के पद पर आने के बीच १ वर्ष का अन्तर्काल काफी होगा। तीन वर्ष का समय अधिक होगा।

मेरा तीसरा संशोधन खंड ९९ के उपखंड ५ से ८ निकालने के बारे में है।

मेरे तीनों संशोधन इस खंड की बुराई को दूर करने वाले हैं।

†**श्री तंगामणि** : मैंने अपना संशोधन संख्या १०७ प्रस्तुत किया है।

मेरे विचार में इस प्रथा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये कि मैनेजिंग एजेन्ट अपना पद त्याग कर पुनः बिक्री एजेन्ट के रूप में नियुक्ति के लिये प्रार्थना करें। समवाय विधि प्रशासन का यह विचार है कि मैनेजिंग एजेन्टों पर प्रतिबन्ध होना चाहिये। शास्त्री समिति ने भी इस बात को स्पष्ट किया है।

इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ दूसरा ही है। यह प्रस्ताव किया गया है कि कोई सोल सेलिंग एजेन्ट ५ वर्ष की अवधि से अधिक के लिये नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये। एक बात यह भी है कि अगर वह सोल सेलिंग एजेन्ट कोई संस्था है अथवा निगम निकाय है तो उसका विनियमन तो इस अधिनियम की धारा २०४ के अनुसार किया गया है। लेकिन किसी व्यक्ति के सोल सेलिंग एजेन्ट बनाने के बारे में उसकी क्या अवधि होगी इस सम्बन्ध में इस अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसी कारण समिति में हमने कहा था कि उसकी पदावधि भी निश्चित की जाये। और यह कार्य खंड ९९ में संशोधन करने से पूरा हो सकता है। पहली बार में जितनी अवधि के लिये कोई एकमात्र बिक्री एजेन्ट नियुक्त किया जा सकता है उसे पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर देना चाहिये। इतनी अवधि काफ़ी होगी।

मुख्य अधिनियम की धारा ३७० की उपधारा (१) में शब्द 'सरकार की राय में' जोड़ दिये जायें ताकि ऋण देने वाले समवाय, अथवा उसी प्रबन्ध वाले समवाय के बारे में जो भ्रम है वह दूर हो सके। ऐसा करने से सेलिंग एजेन्ट पर काफी नियंत्रण भी होगा और अंशधारियों में विश्वास की भावना भी बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं खंड ९९ का समर्थन करता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं श्री मसानी के इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हूं कि समवायों को इस बात का पूर्ण अधिकार है कि वे जैसे चाहें अपने समवायों का प्रबन्ध करें और सरकार को उनके मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। मेरे विचार से यह खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहां तक बिक्री एजेन्टों का सम्बन्ध है यह मूल अधिनियमों की कसर पूरी कर देता है। मैनेजिंग एजेन्ट एकमात्र बिक्री एजेन्ट का रूप धारण कर कम काम करने पर भी अधिक मुनाफा कमा लेते थे।

खंड ९९ में निहित धारा ५(क) का क्षेत्र व्यापक है इसके लिये बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिये। समवाय विधि प्रशासन को यह हिदायत दी जानी चाहिये कि प्रशासनिक नीति के

---

†मूल अंग्रेजी में

रूप में छोटे क्षेत्रों में बिक्री एजेन्टों को कार्य करने देना चाहिये और उन पर धारा (४) को लागू नहीं करना चाहिये ।

कोई भी समवाय किसी फर्म को कठिन परिस्थिति में डालने अथवा उस पर नियंत्रण करने के प्रयोजनों को छोड़कर कभी अन्तर्निगम विनियोजन का उपयोग नहीं करता । अन्तर्समवाय विनियोजनों में किसी प्रतिशत का तो सवाल ही नहीं उठता चाहे कोई प्रतिबंध हो या नहीं । इसलिये खंड १३६ को उसके विद्यमान रूप में ही स्वीकार कर लेना चाहिये ।

†**श्री मुरारका** : श्री तंगामणि ने कहा है कि खंड ९९ जिस रूप में संयुक्त समिति से आया है उसे नरम बना दिया गया है । मेरे विचार से यह कहना ठीक नहीं है । वास्तव में उसके क्षेत्र को और भी व्यापक बना दिया गया है ।

सरकार मैनेजिंग एजेन्सी पद्धति को हतोत्साहित करना चाहती है और समवाय विधि प्रशासन द्वारा दिये गये आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि वह इच्छा पूर्ण हो गई है । मुख्य बात यह थी कि जो व्यक्ति मैनेजिंग एजेन्ट है वह साथ ही साथ बिक्री एजेन्ट न हो । लेकिन वह यदि मैनेजिंग एजेन्सी से त्यागपत्र देकर बिक्री एजेन्ट होना चाहे तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है । मैनेजिंग एजेन्सी का विरोध पारिश्रमिक के आधार पर ही नहीं किया गया था बल्कि इसकी अन्य बुराइयों के कारण भी किया गया था । लेकिन यह बात नहीं है कि एक व्यक्ति जो मैनेजिंग एजेन्सी से त्यागपत्र दे देता है वह बिक्री एजेन्ट नहीं हो सकता अथवा उसके लिये अनुपयुक्त हो जाता है ।

शास्त्री समिति ने यह देखा कि मैनेजिंग एजेन्ट बिक्री एजेन्ट बनने के लिये इच्छुक हैं । इसीलिये उन्होंने सुझाव दिया कि जो लोग मैनेजिंग एजेन्सी से त्यागपत्र दे चुके हैं उन्हें अमुक अवधि तक बिक्री एजेन्ट बनने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये । इस अवधि का समय ३ वर्ष सुझाया गया था । शास्त्री समिति और संयुक्त समिति दोनों इस बात से सहमत थीं कि मैनेजिंग एजेन्ट तीन वर्ष की अवधि के बाद एक मात्र बिक्री एजेन्ट बन सकता है, लेकिन यदि वह उससे पहले ही बनना चाहे तो उसे सरकार का अनुमोदन लेना होगा । सरकार ने बिक्री एजेन्सी सम्बन्धी करारों की छानबीन करने सम्बन्धी शक्तियां भी अपने हाथ में ले ली हैं । श्री तंगामणि का संशोधन भी इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता बिक्री एजेन्ट नियुक्त होते ही शुरू में कुछ धन खर्च करता है । अतः जब तक उसे कम से कम ५ वर्ष का समय नहीं मिलेगा तब तक यह कैसे आशा की जा सकती है कि वह कुछ लाभ उठा सकेगा । अतः बिक्री एजेन्सी की नियुक्ति की अवधि को ५ वर्ष से घटाकर ३ वर्ष कर देना व्यवहार्य नहीं है ।

सरकार को यह भी अधिकार लेने चाहिये कि वह उचित मामलों में यह अवधि १० वर्ष तक भी बढ़ा सके । यह सुविधा सामान्य रूप से सभी समवायों को तो नहीं दी जानी चाहिये । ऐसे विशेष समवायों को ही दी जानी चाहिये जिसमें बिक्री के लिये अधिक समय की आवश्यकता हो । अतः मेरे विचार से खंड ९९ जिस रूप में यह उपस्थित है उसी रूप में बिल्कुल ठीक है, और श्री तंगामणि तथा श्री मसानी ने जो सुझाव दिये हैं उनसे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा ।

†**श्री सोमानी** : आरम्भ में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं प्रबन्धकों के अधिकार पारिश्रमिक में वृद्धि किये जाने की अनुमति न देने का और निदेशक बोर्ड के अधिकारों पर नियंत्रण लगाने का विरोधी नहीं हूं । मैं खण्ड ९९ के उप खण्ड (५) और (६) का विरोध करता हूं जिसके अधीन सरकार सेलिंग एजेंसी समझौते की शर्तों आदि के बारे में सारी सूचना नहीं मांग सकती

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सोमानी]

है अपितु, यदि उसको कुछ ऐसा आभास हो कि समवाय के हितों के लिए वह शर्तें लाभदायक नहीं है, तो उनमें संशोधन करा सकती है। मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार को ऐसे अधिकार नहीं लेने चाहिए।

मैं वस्त्र उद्योग का एक उदाहरण देता हूं। सभी जानते हैं कि वस्त्र उद्योग में मिलें कितने ही प्रकार का कपड़ा बनाती हैं और इसी लिए हर प्रकार के कपड़े के लिए सैलिंग एजेन्सियों से अलग अलग शर्तें की जाती हैं। इसके अतिरिक्त दो मिलें एक ही प्रकार का कपड़ा अलग अलग कमीशन पर अपनी सैलिंग एजेन्सियों को देती है। ऐसा संभव हो सकता है कि जब मिल सैलिंग एजेन्सियां नियुक्त करने वाली हो उस समय कितने ही व्यक्ति मिल के प्रबन्धकों के पास आयें और मिल के प्रबन्धक उनमें से किसी एक को अपना सैलिंग एजेन्ट नियुक्त कर दें तब यह भी संभव हो सकता है कि जिन व्यक्तियों को सैलिंग एजेन्ट नहीं बनाया गया है वह सरकार के पास शिकायतें भेजें कि मिल ने जिन शर्तों पर सैलिंग एजेन्ट नियुक्त किया है वह मिल के लिए लाभदायक नहीं है।

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रत्येक मिल के अपना माल बेचने के तरीके अलग अलग होते हैं और यदि इस प्रकार हम उनके तरीकों में हस्तक्षेप करेंगे तो वह समवाय के हितों में नहीं होगा। यह मामले तो समवाय के आंतरिक मामले हैं और इनकी छानबीन और इनमें हस्तक्षेप करने के अधिकारों की व्यवस्था करना समवाय विधि विभाग को कठिनाई में डालना है।

श्री मुरारका ने अभी शास्त्री समिति का हवाला दिया और बताया है कि वह समिति भी ऐसा करने के पक्ष में नहीं थी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे और समवाय विधि विभाग को यह अधिकार नहीं दिलायेंगे।

†**श्री कानूनगो :** श्रीमान्, मैंने यह समझा था कि इस खण्ड पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसा कि श्री मुरारका ने बताया इस खण्ड पर संयुक्त समिति में भी बहुत अच्छी तरह से विचार हुआ था और तब इसको इस रूप में रखा गया था। मैं बताना चाहता हूं कि यह खण्ड किस प्रकार बनाया गया। अधिनियम की मूलधारा २९४ में केवल इतना बताया गया था कि समवाय किस प्रक्रिया के अनुसार सैलिंग एजेन्ट नियुक्त कर सकती है। इस धारा में बताया गया था कि अंशधारियों को समय की सूचना आदि देने के बाद एक सामान्य बैठक में सैलिंग एजेन्ट नियुक्त किया जाना चाहिए। इस का यह अर्थ हुआ कि निदेशक बोर्ड अथवा प्रबन्ध अभिकर्त्ता अंशधारियों को बिना बताये सैलिंग एजेन्ट नियुक्त नहीं कर सकते। जहां तक मैं समझता हूं इस खण्ड को विधेयक में रखने का कारण यह था कि युद्ध के बाद के कमी वाले दिनों में सैलिंग एजेन्सियों से काफ़ी फ़ायदा होने लगा था। बाजार में वस्तुओं की बिक्री के लिए बिना कुछ किये इन सैलिंग एजेन्सियों को पैसा मिल रहा था। संभव है कि व्यापार की आरंभिक स्थिति में सैलिंग एजेन्टों को अधिक काम करना पड़ा हो इसलिये उस समय जनता का ध्यान मैनेजिंग एजेन्सियों और सैलिंग एजेन्सियों की ओर आकर्षित किया गया और धारा २९४ में इसके बारे में उपबन्ध किये गये।

श्री मुरारका ने ठीक ही कहा है कि १९५६ के अधिनियम का उद्देश्य यह था कि धीरे धीरे प्रबन्ध अभिकर्ताओं की पद्धति समाप्त कर दी जाये। अनुभवों से पता लगा कि कुछ हद तक उद्देश्य में सफलता मिली है। परन्तु एक दूसरी प्रकार की बाधा सामने आ गई है और वह थी सैलिंग ऐजेंसियों की।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मसानी ने अवधि की आवश्यकता को स्वीकार तो किया है परन्तु वह इसको एक वर्ष की अवधि करना चाहते हैं। मैं उनकी बात स्वीकार तो करता हूं परन्तु आज समाज की हालत ऐसी नहीं है कि इस को एक वर्ष रखा जाये और इसीलिये हमने इसको तीन वर्ष रखा है। विभिन्न समवायों का अध्ययन करने के बाद यह पता लगा है कि कुछ सैलिंग एजेंसियों को मैनेजिंग एजेंसियों से भी अधिक पारिश्रमिक मिला है और हम उन से यह धन ले भी नहीं सकते हैं जब कि प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं से ले सकते थे।

मैं यह मान सकता हूं कि विशेष प्रकार की वस्तुओं के विक्रय के लिये सोल-सैलिंग-एजेंट बनाये जाये। सभवतया भारी मशीन कारखाने में आवश्यक है कि अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये समवाय सैलिंग एजेंट नियुक्त करें। और इसीलिये हमने विधेयक में पहले व्यवस्था की थी कि ऐसे ठेके सरकार की अनुमति से किये जायेंगे। परन्तु संयुक्त समिति ने काफी विचार के बाद यह निर्णय किया कि कुछ समय तक हम देखें और तब तक के लिये सरकार को यह अधिकार न दें जो कि मूल विधेयक के अन्तर्गत उसे मिल रहे थे।

वर्तमान खण्ड में सरकार को केवल इतना अधिकार दिया गया है कि वह समझौते को देखने के लिये मंगा सकती है। सिर्फ इतना ही है। यदि सरकार उस में कोई बात समवाय की क्षमता के अनुकूल नहीं पाती है तो वह उस को बदलवा सकती है। श्री मसानी की आपत्ति उन के विचारों के अनुसार ही है कि अंशधारियों की ओर ध्यान न दिया जाये। परन्तु मैं बताना जाहता हूं कि इसी बीच इस प्रकार की घटनायें हो सकती हैं जिनको सुधारा नही जा सकता।

यद्यपि इस खण्ड के उपबन्ध अधिकांशतः प्रक्रिया से संबन्धित हैं। सारांश में इसका यह अर्थ है कि प्रबन्ध अभिकर्त्ता को सैलिंग एजेंट बनने की अवधि के लिये थोड़ा समय मिलना चाहिये जिससे जिस समवाय और निगम का वह प्रबन्ध अभिकर्त्ता है उस में सामन्जस्य हो जाये। सच्चे मामलों में इस अवधि को कम भी किया जा सकता है। अन्य मामलों में जिन में समवाय सोल-सैलिंग-एजेंट नियुक्त कर सकते हैं वह वैसा कर सकते हैं। अंशधारियों को पूरा अधिकार है कि वह सतर्क रहें। सरकार हमेशा जन हित का ध्यान रखती है। जब भी वह कोई गलती देखेगी तभी समझौता मंगा कर देखेगी और उसमें परिवर्तन के आदेश दे देगी।

मैं श्री भरूचा की बात पूरी तरह समझता हूं। यह एकदम ठीक है कि सरकारी संगठन कितना भी कार्यपटु क्यों न हो वह हजारों वस्तुओं की बिक्री आदि के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता है। इस लिये मैं श्री भरूचा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम नियमों में ऐसी व्यवस्था अवश्य करेंगे जिस से इस धारा के उपबन्धों का उपयोग समवाय को मदद देने की दृष्टि से ही होगा। मैं आशा करता हूं कि इस धारा के विधेयक में रहने के बाद व्यक्ति जो समवाय से धन हड़पना चाहते हैं जाते रहेंगे। जिन समवायों के प्रबन्ध उत्तम हैं उनको डरने की कोई बात नहीं है। मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति में जो खण्ड (ख) है सभा उसे स्वीकार कर लेगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०७, १५, १६, और १७ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ९९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १०० से ११९ विधेयक में जोड़ दिय गये।

---

†मूल अंग्रजी में

खण्ड १२० (धारा ३३२ का संशोधन)

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं अपना संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत करता हूं ।

अधिनियम की धारा ३३२ में, एक प्रबन्ध अभिकर्त्ता जितनी समवायों का प्रबन्ध कर सकता है उस की सीमा के बारे में व्यवस्था है । अब इस खण्ड में यह व्यवस्था है कि एक व्यक्ति दो प्रबन्ध अभिकरण समवायों का सदस्य नहीं हो सकता है । इस में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के एक लोकसमवाय में १० प्रतिशत तथा असार्वजनिक समवाय में ५ प्रतिशत मताधिकार हैं तो वह दूसरे समवाय का अंशधारी नहीं हो सकता है । मैं इस खण्ड को एकदम बेकार समझता हूं क्योंकि इस से समवाय के सामान्य कार्यों में हस्तक्षेप होता है ।

मैं यह तो ठीक समझता हूं कि दो प्रबन्ध अभिकरणों में एक ही निदेशक बोर्ड की अधिकता न रहे और इसीलिये मैंने यह संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत किया है कि एक प्रबन्ध अभिकरण के निदेशक बोर्ड के सदस्यों की अधिकता दूसरे प्रबन्ध अभिकरण में नहीं होगी ।

†**श्री कानूनगो** : इस खण्ड पर आपत्ति करने का उद्देश्य यह मालूम होता है कि कई समवायों पर अधिकार प्राप्त करने की प्रवृति का माप दण्ड क्या हो । विभिन्न समवायों में मताधिकार १० प्रतिशत हों अथवा ५ प्रतिशत । चाहे जो भी प्रतिशतता हो परन्तु यह संभव हो सकता है कि वह किसी और व्यक्ति के आदेशों के अनुसार काम कर रहा हो । हमने दो समवायों पर एक साथ नियंत्रण को रोकने का प्रयत्न किया है ।

मैं तो यह समझता हूं कि यदि श्री मसानी के कहने के अनुसार, इसे यों ही छोड़ दिया जाये तो अधिक खतरनाक होगा । इस समय ऐसी व्यवस्था है कि कुछ व्यक्ति २०, ३० अथवा ४० समवायों तक पर नियंत्रण रख रहे हैं, यद्यपि जाहिर में एक समवाय प्रबन्ध अभिकरण के १० प्रतिशत पर ही नियंत्रण करती है परन्तु उस समवाय पर भी किसी और व्यक्ति का नियंत्रण होता है । इसी लिये हम आशा करते हैं कि इस उपबन्ध से हम कुछ सीमा तक इस प्रकार की गड़बड़ी को रोक सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १२० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १२० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२१ से १२४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १२५ (धारा ३४६ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १२५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १२५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२६ से १३२ विधेयक में जोड़ दिए गए ।

---

†मूल अंग्रजी में

खण्ड १३३ (धारा ३७० का संशोधन)

†श्री तंगामणि : मैं अपना संशोधन संख्या ७३ प्रस्तुत करता हूं।

सभा जानती है कि धारा ३६९ और ३७० ऋण के बारे में हैं। धारा ३६९ में सीधे प्रबन्ध अभिकर्ता को ऋण देने की व्यवस्था है और धारा ३७० में एक ही प्रबन्ध के अधीन समवायों को ऋण देने की व्यवस्था है।

धारा ३७० की कार्यवाही पर समवाय विधि प्रशासन और शास्त्री समिति दोनों ने पूरी तरह से विचार किया था और तब उसको उस रूप में स्वीकार किया था परन्तु अब जो खण्ड प्रस्तुत किया गया है उसमें मैं समझता हूं कि यदि मेरा संशोधन नहीं रखा गया तो निरर्थक मुकदमे बाजी होगी।

मैं सभा को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि पहले जब मूल विधेयक के खण्ड १३६ की व्याख्या की गई थी, उस समय हमें बताया गया था कि इस से एक ही वर्ग के अधीन समवाय, शब्दों की विस्तृत परिभाषा हो जायेगी। परन्तु बाद में अनुभवों से हमें पता लगा कि धारा ३७० का कार्यवहन ठीक नहीं हो रहा है और इसी लिये और संशोधन किये गये। परन्तु अब संयुक्त समिति ने यह उचित समझा कि धारा ३७० भागीदारी संस्था पर भी लागू होगी और इसीलिये विधेयक में यह नई बात जोड़ दी गई है।

समिति ने यह भी ठीक समझा कि प्रत्येक उधार देने वाले समवाय को रजिस्टर रखना चाहिये जिसमें ऋण आदि के बारे में सभी बातें लिखी जानी चाहिये, जिससे समवाय के सदस्य उनका निरीक्षण कर सकें। रजिस्टर न रखने पर दण्ड की व्यवस्था है। परन्तु इसमें ऋण देने वाली समवाय का स्तर नहीं बताया गया है। इस लिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

†श्री मुरारका : मैं समझता हूं कि श्री तंगामणि का संशोधन धारा ३७० से संगत नहीं है।

धारा ३७० एक ही प्रबन्ध के अधीन समवायों को ऋण आदि देने के बारे में है। ऐसा पाया गया है कि एक ही प्रबन्ध के अधीन समवायों को ऋण नहीं दिया जाता। बल्कि उन साथों को दिया जाता है जिनमें एक ही प्रबन्ध के अधीन कोई समवाय भागीदार होती है। ऐसे साथों को भी धारा ३७० के अधीन लाने के लिये यह संशोधन किया गया है। इस के साथ ही समवाय द्वारा रजिस्टर रखने की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं कि श्री तंगामणि का संशोधन कुछ गलतफहमी के कारण प्रस्तुत किया गया है।

†श्री कानूनगो : मैं संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७३ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १३३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†मूल अंग्रजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३४ और १३५ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १३४ और १३५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १३६ (धारा ३७२ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

†श्री चे० रा० पट्टाभिरमन (कुम्बक णम्) : मैं अपना संशोधन संख्या ८३ प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ७८, पंक्ति २१ में "Purchase (क्रय) शब्द के बाद निम्नलिखित रख दिया जाय :—

("Whether by it self, or by ary individual or association of individuals in trust for it or for its benefit or on its account.")
(चाहे अपने आप अथवा किसी व्यक्ति, अथवा-व्यक्तियों के संघ द्वारा जो इसका न्यासधारी हो अथवा उसके लाभ के लिये अथवा उसके खाते में) "

†श्री मी० रु० मसानी : मैं अपने संशोधन संख्या १९, २० और २१ प्रस्तुत करता हूं।

इस खण्ड का सम्बन्ध विनियोजन करने वाले उन समवायों से है जो दूसरे समवायों में धन लगाते हैं। मेरे विचार में यह एक ऐसा वर्ग है जिसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तथा उन्हें सुविधायें दी जानी चाहिये। क्योंकि हम समझते हैं और सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि औद्योगिक उपक्रमों में अधिक धन लगाना आवश्यक है।

मेरे विचार से यह वर्तमान खण्ड विनियोजन करने वाले वास्तविक निगमों तथा समवायों पर प्रतिबन्ध लगाता है अतः यह पूर्णतः आवश्यक है। यह भी देखने में आया है कि ये प्रतिबन्ध भूतलक्षी प्रभावी हैं।

मैंने जो अपने तीन संशोधन रखे हैं उनसे इन खण्डों की विषमता तो कम हो ही जाती है लेकिन पूरी तरह नहीं। यदि ये संशोधन स्वीकार कर लिये तो इनसे केन्द्रीय सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप भी कम हो जायेगा तथा दूसरी ओर इनका भूतलक्षी प्रभाव भी कार्यकारी नहीं हो सकेगा। साथ ही समवायों को अपना काम करने के लिये कुछ राहत भी मिलेगी। वर्ना इस खण्ड का कोई लाभ नहीं होगा।

†श्री च० रा० पट्टाभिरमन : धारा ३७२ का सम्बन्ध किसी एक समवाय द्वारा इसी वर्ग के दूसरे समवाय के अंशों के क्रय के बारे में है। इस वर्तमान खंड १३६ में जो धारा ३७२ का स्थान ले रही कुछ कमियां हैं। अतः इस खंड में ऐसा संशोधन किया जाना चाहिये ताकि कोई समवाय धारा ३७२ में दिये गये प्रतिबन्धों से बच न सके।

†श्री नथवानी (सोरठ): खंड १३६ ने मूल अधिनियम की धारा ३७२ का क्षेत्र और भी व्यापक बना दिया है क्योंकि इसमें एक समवाय द्वारा दूसरे समवायों में, चाहे वे उसी प्रबन्ध के अधीन हो या नहीं, पूंजी लगने पर रोक लगा दी है लेकिन इस प्रतिबन्ध से विनियोजन में बाधा

†मूल अंग्रेजी में

पड़ने की संभावना नहीं है और उस आशय की आशंकाएं भ्रांतिपूर्ण हैं। अतः यह नया खंड किसी प्रकार का अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाता।

†**श्री मुरारका :** खंड १३६ में जिस संशोधन का सुझाव दिया गया है उससे कुछ भी लाभ होने की संभावना नहीं है क्योंकि अधिनियम में अन्य धाराएं भी हैं जो समवायों द्वारा ऋण दिये जाने अथवा विनियोजन किये जाने की स्थिति में लागू होंगी। लेकिन अन्य समवायों में लगायी जा सकने वाली पूंजी की सीमा ३० प्रतिशत सीमित कर देना संयुक्त स्कन्ध उपक्रम के लिये असुविधाजनक होगा। सरकार असार्वजनिक समवायों को भी इसके क्षेत्र से मुक्त कर रही है। इसलिये सरकार को इस मसले पर विचार कर कार्यवाही करनी चाहिये।

†**श्री सोमानी :** मेरे विचार से खंड १३६ के अधीन प्रस्तावित उपबंध देश के औद्योगिक विकास में बाधक होंगे। यदि आप पिछले कुछ वर्षों पर दृष्टिपात करें तो आपको ज्ञात हो जायेगा कि औद्योगिक विकास के इतिहास में निगमित विनियोजन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः मेरा सुझाव है कि उसे अपनी भूमिका निर्वाह का अब भी अवसर दिया जाना चाहिये। क्योंकि आजकल इसकी बड़ी आवश्यकता है। मुख्य बात तो यह है कि कुछ उद्योग में विनियोजन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। अतिरिक्त धन का उपयोग करने के मसले पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिये। जहां तक कि किसी उद्योग विशेष में धन लगाने की बात है मुझे उस के बारे में कोई शिकायत नहीं है। मेरे विचार से अन्तर्समवाय विनियोजन की कुछ अवांछनीय बातों को कुचलने के लिये सरकार के पास अन्य उपचार उपलब्ध हैं। अतः मेरा निवेदन है कि हमें इन सब बातों पर पूरा विचार करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि अधिक प्रतिबंध तो नहीं लगाये जा रहे हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा :** अन्तर्समवाय विनियोजन पर प्रतिबंध लगाने से सम्भव है कि औद्योगीकरण की प्रगति की गति को कम कर दे। अतः मेरा विचार है कि प्रस्तावित धारा ३७२ में जो प्रतिबंध लगाये गये हैं वे देश के उद्योग की प्रगति के लिये किसी भी तरह से लाभदायक नहीं होंगे। मेरा विचार है कि लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि यदि कोई औद्योगिक संस्थान प्रगति कर रहा है तो केन्द्रीय सरकार उसको इन्कार कर देती है। कोई भी समवाय किसी फर्म को कठिन परिस्थिति में डालने अथवा उस पर नियंत्रण करने के प्रयोजन को छोड़ कर कभी अन्तर्निगम विनियोजन का उपयोग नहीं करता। अन्तर्समवाय विनियोजनों में किसी प्रतिशत का तो सवाल ही नहीं उठता चाहे कोई प्रतिबंध हो या नहीं। इसलिये खंड १३६ को उसके विद्यमान रूप में ही स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**श्री कानूनगो :** जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनमें से मैं संशोधन संख्या ८३ को जो श्री चे० रा० पट्टाभिरमन ने स्तुत किया है स्वीकार करता हूं।

यह खंड दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं में सन्तुलन करने वाला है। क्योंकि यह बात मान ली गई है कि समवायों को अपने ग्रुप के भीतर ही अथवा बाहर भी अपने विस्तार करने के लिये विनियोजन करने से रोकना नहीं चाहिये। साथ ही कठिन स्थिति में डालने अथवा इंटरलाकिंग की प्रवृत्ति को भी रोका जाना चाहिये।

[श्री जगन्नाथराव पीठासीन हुए]

पिछले तीन वर्षों में देश के मुख्य केन्द्रों में पंजीयन किये गये समवायों के १५ लाख या उससे अधिक की आस्तियों का सर्वेक्षण किया गया था। उन आंकड़ों से पता चलता है कि निगम नये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

स्थापित किये जाने वाले समवायों में पूंजी लगाने के लिये न उत्सुक है और न इच्छुक । इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि नये समवायों में पूंजी निगमों अथवा निगम निकायों द्वारा नहीं लगायी जाती है वरन् अधिक करके व्यक्तियों अथवा अन्य साधनों से लगायी जाती है । पिछले कई वर्षों से यह जो हौवा खड़ा किया जा रहा है कि इस प्रकार के प्रतिबंध देश की औद्योगिक प्रगति और आर्थिक उन्नति में बाधक होंगे वह उचित नहीं है ।

यह खंड वर्तमान धारा की अपेक्षा उदार है । पहली धारा उसी ग्रुप के अन्तर्समवायों द्वारा किये जाने वाले विनियोजन की देखभाल करता है । उसकी मात्रा बढ़ा दी गई है और शायद वह ३० प्रतिशत है । यह अपने ग्रुप तथा उसके बाहर दोनों पर ही लागू होता है । इसलिये उस ग्रुप अथवा उसके बाहर उत्पादनशील उपक्रमों के अतिरिक्त धन को लगाने की अनुमति दे दी गई है ।

श्री भरूचा ने बताया है कि यदि अंशधारी इस आशय का संकल्प स्वीकार करें और उस पर सरकारी अनुमति मिल जाये तो ३० प्रतिशत की सीमा को भी लांघा जा सकता है ।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि संशोधन ८३ को मान लेने के बाद संशोधित खंड को स्वीकार कर लिया जाये ।

†**सभापति महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या १९, २० और २१ एक साथ मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या १९, २० और २१ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय** : अब मैं संशोधन सख्या ८३ मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७८, पंक्ति २१ में "purchase" (क्रय) शब्द के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये :—

(whether by itself, or by any individual or association of individuals in trust for it or for its benefit or on its account) (चाहे अपने आप अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संघ द्वारा जो इसका न्यासधारी हो अथवा उसके लाभ के लिये अथवा उसके खाते में)"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १३६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १३६, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १३७ से १४७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नया खंड १४७ क

†श्री वे० रा० पट्टाभिरमन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ८३,

पंक्ति १३ के बाद यह रख दिया जाये :—

"147 A. Omission of Section 389, Section 389 of the Principal Act shall be omitted".

[("१४७ क. धारा ३८९ का लोप : मुख्य अधिनियम की धारा ३८९ का लोप कर दिया जायेगा ।")]

मूल अधिनियम की धारा ३८९ को निकाल देना चाहिये क्योंकि यह भारतीय समवायों पर विदेशी समवायों अथवा अन्य संगठनों से ऐसे करार करने पर प्रतिबंध लगाती है जिनमें विदेशी मध्यस्थ निकायों द्वारा मध्यस्थता की व्यवस्था की गई हो । यह संशोधन इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि भारत ने भी विदेशी मध्यस्थों के पंचाटों को मान्यता देने और लागू करने सम्बन्धी न्यूयार्क समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और सरकार उसका अनुसमर्थन कर चुकी है । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगी ।

†श्री कानूनगो : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ८३,

पंक्ति १३ के बाद यह रख दिया जाये :—

"147A. Omission of Section 389, Section 389 of the Principal Act shall be omitted".

[१४७ क धारा ३८९ का लोप : मुख्य अधिनियम की धारा ३८९ का लोप कर दिया जायेगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १४७ क विधेयक में जोड़ा जाये ।".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १४क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १४८ से १५० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†सभापति महोदय : क्या श्री मसानी अपना संशोधन संख्या २२ प्रस्तुत कर रहे हैं ।

†श्री मी० व० मसानी : इस बात को देखते हुए कि खंड ७९ से सम्बन्धित मेरे संशोधन अस्वीकृत हो गये हैं अतः मैं अपने इस संशोधन पर बल नहीं दे रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १५१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १५१ विधेयक म जोड़ दिया गया ।

खंड १५२—(धारा ४०८ का संशोधन)

†श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या ११९ और १२० प्रस्तुत करता हूं ।

मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार खंड १५२ के अधीन जो दो निदेशक नियुक्त करे उन में से एक निदेशक अल्पसंख्यक अंशधारियों में से होना चाहिये । यदि कोई बाहरी व्यक्ति नियुक्त किया जायेगा तो उसको न तो उतनी दिलचस्पी होगी और न ही उसे समवाय के कुप्रबन्ध के तथ्यों के बारे में जानकारी ही होगी । अल्पसंख्यक अंशधारी, पीड़ित पक्ष हैं और वे अपने हित का समुचित प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ।

दूसरे यद्यपि सिद्धान्त की दृष्टि से यह ठीक है कि सरकार को अपने द्वारा नियुक्त अतिरिक्त निदेशकों को हटाने का अधिकार होना चाहिये, या इस अधिकार पर कुछ रोक होनी चाहिये, अन्यथा कोई भी सम्मानित व्यक्ति नियुक्त होने के लिये राजी न होगा । अतः जब तक ऐसा न हो कि जिन उद्देश्यों के लिये उसे नियुक्त किया गया है, उनकी पूर्ति के लिये वह काम नहीं कर रहा हो, या जिन कारणों से उसे नियुक्त किया गया हो, उसे हटाया नहीं जाना चाहिये ।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि सभा मेरे इन संशोधनों को स्वीकार करे ।

†श्री आचार (मंगलौर) : मैं श्री झुनझुनवाला के संशोधनों का समर्थन करता हूं । किसी हित का प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति की न्यूनतम अर्हता यह होनी चाहिये कि उसे उसका ज्ञान हो और वह उस समूह या संस्था से सम्बद्ध हो । अतः अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिये दो में से एक सदस्य अंशधारियों में से होना चाहिये । इसका अर्थ यह है कि उसे सरकार की इच्छा मात्र से हटाया नहीं जाना चाहिये ।

†श्री कानूनगो : मूल अधिनियम के कार्यकाल में यह विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई थी कि अंशधारियों में से जिस व्यक्ति को सरकार ने नियुक्त किया था वह बोर्ड में अपना स्थान नहीं ले सका । हालांकि इस मामले का अन्तिम फैसला उच्चतम न्यायालय ने कर दिया था । सभी आकस्मिक परिस्थितियों के बारे में कानून बनाना सम्भव नहीं होता । इसीलिये सरकार ने किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह अंशधारी हो या न हो, नियुक्त करने के अधिकार ले लिये हैं । प्रयोजन यह है कि पद को फिलहाल अधिकार में रखा जाये । । इस अधिनियम की पूरी व्यवस्था ही इसीलिये है कि अंशधारी अपने आप अपना प्रबन्ध करे और अल्पमत उत्पीड़न की बहुत कम गुंजाइश रह जाये । यह बात भी याद रखनी चाहिये कि कभी कभी बहुसंख्यकों को भी संरक्षण की आवश्यकता पड़ जाती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार किसी के पक्ष में नहीं झुकेगी । मुख्य बात यही ध्यान में रखी जायेगी कि सब का भला हो । अतः मैं निवेदन करूंगा कि इस खंड को इसी रूप में जिसमें कि यह संयुक्त समिति से आई है स्वीकार किया जाये और श्री झुनझुनवाला के संशोधन के बिना उसे पारित करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†सभापति महोदय : अब मैं संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या ११९ और १२० मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १५२ विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १५२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १५३ (धारा ४०९ का संशोधन)

†श्री मुरारका : खण्ड १५३ धारा ४०९ में संशोधन करता है। चूंकि खण्ड ७९ में, जिसे हम स्वीकार कर चुके हैं, धारा ४०९ की सभी बात आ चुकी हैं इसलिये उस धारा के पुनः रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा ४०९ में हम जो उपबंध कर रहे हैं वह धारा २५० में विस्तृत रूप में आ चुका है।

फिर जहां तक धारा ४०९ के संचालन का प्रश्न है मंत्रणा आयोग ने एक बार यह प्रश्न किया था कि क्या ३० प्रतिशत प्रंशधारियों द्वारा पारित संकल्प को ठीक माना जा सकता है ? मेरा निवेदन है कि उसके अन्तर्गत पारित प्रत्येक संकल्प को ठीक माना जाना चाहिए चाहे उसके पारित किये जाते समय कितने भी प्रंशधारी उपस्थित रहे हों क्योंकि सभा में वे भी जब हम कोई कानून पास करते हैं तो समस्त सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं।

†श्री कानूनगो : माननीय सदस्य ने सभा की जो उपमा दी है उससे मैं सर्वथा असहमत हूं। संसद सदस्यों के अधिकारों तथा जिम्मेदारियों की अन्य संगठनों के सदस्यों से तुलना करना अवांछनीय है। जहां तक मंत्रणा आयोग की आपत्ति का सम्बन्ध है, मैं उसके बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हूं क्योंकि आयोग को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि यह धारा अनावश्यक है। यह अधिकार प्रबन्धकवर्ग के सदस्यों को दिया गया है। इस संशोधन द्वारा हम इसका विस्तार अन्य प्रकार के प्रबन्धक वर्गों में कर रहे हैं। जो मूल विधेयक में सम्मिलित नहीं है। धारा २५० अंशधारियों और सरकार को कार्यवाही करने का अधिकार देती है, प्रबन्धकवर्ग को नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि उसको हटा देना उचित नहीं होगा क्योंकि उसे काफी वाद-विवाद के उपरान्त सम्मिलित किया गया था ताकि प्रबंधक वर्ग के गुट भी सरकार की जानकारी में कोई बात ला सकें। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह खण्ड संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिये।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १५३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १५३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १५४ (धारा ४११ का संशोधन)

†श्री मी० र० मसानी : मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं। अधिनियम की धारा ४११ में मंत्रणा आयोग को कुछ धाराओं के अन्तर्गत सरकार को दिये गये प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में उसे परामर्श

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मी० रु० मसानी]

देने का कार्य सौंपा गया है। मेरा निवेदन है कि आयोग की शक्तियों को कम करना ठीक नहीं होगा। जब आयोग का निर्माण किया गया है तो उसे पूर्ण विश्वास भी मिलना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि मूल धारा ४११ इस धारा से अधिक अच्छी है। इसलिये मैं इस खण्ड का समर्थन नहीं कर सकता हूं।

†श्री नौशीर भरूचा : संयुक्त समिति में यह समझौता हुआ था कि सरकार मंत्रणा आयोग से परामर्श किये बिना अन्तिम आदेश जारी नहीं करेगी। साथ ही यह भी तय हुआ था कि यदि आयोग कोई सदस्य का किसी प्रार्थनापत्र के पेश किये जाने की मांग करे तो सरकार को वैसा करना होगा। यह उपबन्ध इसलिये रखा गया था कि ऐसा हो सकता है कि सरकार को वह साधारण मालूम पड़े परन्तु कोई सदस्य उसे महत्वपूर्ण समझता हो। मैं आशा करता हूं कि आयोग के सदस्य इस विशेषाधिकार का प्रयोग यदा कदा ही करेंगे।

मुझे कुछ समितियों का अनुभव है। उदाहरण के लिये बम्बई विद्युत संभरण तथा परिवहन समिति को ले लीजिये। हमें इतने अधिक प्रार्थनापत्र प्राप्त होते हैं कि उन सबकी जांच करना असंभव हो जाता है। अतः हमने जनरल मैनेजर को उन में से कुछ प्रार्थनापत्र चुनकर भेजने का अधिकार दे दिया है। साथ ही यदि कोई सदस्य किसी प्रार्थनापत्र के पेश किये जाने की मांग करता है तो वैसा किया जाता है। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार की कोई युक्ति यहां भी की जानी चाहिये क्योंकि उससे श्री मसानी की यह आपत्ति भी खत्म हो जायेगी कि आयोग की शक्ति कम की जा रही है और साधारण प्रार्थनापत्रों पर विचार न करने से आयोग का समय भी नष्ट नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार खण्ड को उसके वर्तमान रूप में ही स्वीकार करेगी।

†श्री कानूनगो : मैं श्री भरूचा का ध्यान परन्तुक के अन्तिम भाग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि सरकार ऐसे प्रार्थनापत्र पर मंत्रणा आयोग द्वारा दी गई सलाह पर विचार करने के पश्चात् ही कोई अन्तिम आदेश देगी। इस प्रकार अन्तिम प्राधिकारी आयोग ही है। अमहत्वपूर्ण प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में सीमित दृष्टिकोण एक अस्थायी मामला है। आयोग कोई भी कागजात मंगा सकेगा क्योंकि वे मामले उसके सामने अवश्य ही रखे जायेंगे। उनको देखने से उसे कोई रोक नहीं सकता है।

†श्री नौशीर भरुचा : संभवतः माननीय मंत्री कुछ गलत समझ रहे हैं। अमहत्वपूर्ण प्रार्थनापत्रों को तो सचिवालयिक कर्मचारी ही निपटा देंगे। आप जो कुछ कह रहे हैं वह तो केवल ऐसे मामलों में लागू होता है जो आप आयोग के समक्ष पेश करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यदि कोई सदस्य सचिवालियक कर्मचारियों द्वारा निपटान किए जा चुके प्रार्थनापत्र की भी जांच करने के लिये कहता है तो वैसा किया जाना चाहिये ताकि कोई यह न कह सके कि आयोग की शक्ति कम हो रही है।

†श्री कानूनगो : पहले परन्तुक में यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार के लिये धारा ४०८ अथवा ४०९ के अन्तर्गत दिये गये किसी ऐसे प्रार्थना पत्र को, जो उसकी राय से महत्वपूर्ण न हो, मंत्रणा आयोग को निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं होगा। फिर हमने यह उपबन्ध किया है कि आयोग को निर्दिष्ट किये गये प्रार्थनापत्र भी केन्द्रीय सरकार सरकार अन्तरिम आदेश दे सकेगी परन्तु अन्तिम आदेश आयोग द्वारा दी गई सलाह पर विचार करने के पश्चात् ही जा सकेगा। इसका

†मूल अंग्रेजी में।

मतलब यह है कि केवल महत्वपूर्ण मामले ही आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगे परन्तु श्री भरूचा चाहते हैं कि अमहत्वपूर्ण समझे जाने वाले मामलों में भी प्रार्थी को आयोग द्वारा विचार किये जाने के लिये कहने अथवा आयोग को ऐसे प्रार्थनापत्र मंगाने का अधिकार होना चाहिये। मैं इसे कानून में लिखने के लिये तैयार नहीं हूं ।

†श्री नौशीर भरूचा : कानून में लिखा जाना आवश्यक नहीं है, इस प्रकार की परम्परा बन जाना ही पर्याप्त है ।

†श्री कानूनगो : वास्तव में हम आयोग की सलाह के बिना कोई कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं । मने कुछ खण्डों पर विचार के समय यह कहा था कि जहां कोई मामला आयोग को निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं होगा वहां भी हम सामान्यतः उसे आयोग को निर्दिष्ट करेंगे । इसलिए सभा को यह मान लेना चाहिये कि हम आयोग के साथ मंत्रणा करेंगे और उसकी सलाह के अनुसार ऐसी प्रशासकीय युक्ति निकालेंगे जिसके द्वारा कार्यवाही कर सकें ।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १५४ विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १५४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १५५ से १८० विधेयक में जोड़ दिए गए ।

(खण्ड १८१ (धारा ५३० का संशोधन)

†श्री नौशीर भरूचा : मैं अपना संशोधन संख्या ७४ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री तंगामणि : मैं अपना संशोधन संख्या ४५ प्रस्तुत करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि श्रमिकों को देय प्रतिकर की सीमा १००० रुपये से बढ़ा कर २५०० रुपये कर देनी चाहिए । विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि इस सम्बन्ध में एकमत हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस संशोधन का वास्तविक प्रयोजन क्या है और खण्ड १८१ का प्रयोजन क्या है । मूलतः यह खण्ड १७९ था । पुराना खण्ड १७९ और नया खण्ड १८१ प्रायः समान ही है । वास्तव में खण्ड १७९ में जो दुरुहता थी उसे ही खण्ड १८१ में दूर किया गया है । अतः खण्ड १८१ खण्ड १७९ का सुधरा हुआ रूप कहा जा सकता है ।

यदि किसी समवाय का समायन होता है तो वह श्रमिकों की किसी गलती के कारण नहीं होता है क्योंकि उसके प्रबन्ध में उनकी तो कोई सुनवाई नहीं होती । मूल अधिनियम में यह उपबन्ध था कि यदि कोई समवाय बन्द किया जाता है तो मजदूरों को जो राशि मिलनी चाहिए उसके देने में प्राथमिकता दी जाए । उस राशि में मजूरी, मंहगाई भत्ता, बोनस वगैरह सम्मिलित थे और वह रकम एक हजार ठहरायी गई थी । लेकिन उस समय उपदान या छंटनी प्रतिकर का सवाल नहीं था । अब उसमें छंटनी प्रतिकर और कामबन्दी की रकम को भी जोड़ा गया है और उसको

मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगमणि]

प्राथमिकता दी जानी है । इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा के अनुसार जो छंटनी प्रतिकर और कामबन्दी की रकम श्रमिकों को मिलनी चाहिए उसे भी संयुक्त समिति ने खण्ड १८१ में सम्मिलित किया है । परन्तु कुल रकम १००० रुपए ही रखी गई है जो कि उस समय थी जब कि छंटनी प्रतिकर और कामबन्दी की रकम का सवाल नहीं था । यह ठीक नहीं है क्योंकि जब तक इस राशि को बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक श्रमिकों को कोई लाभ नहीं होगा । इसीलिए मैंने उसे १००० पए से बढ़ाकर २५०० रुपए कर देने का संशोधन रखा है । मुझे आशा है कि इस संबंध में समस्त श्रमिक संगठनों के एकमत को देखते हुए सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि किसी समवाय का समायन होने की अवस्था में यदि श्रमिकों की मजूरी बाकी होगी तो प्राथमिकतायें केवल चार महीने की अवधि के संबंध में ही लागू हो सकेंगी । मैं चाहता हूं कि इस अवधि को बढ़ाकर बारह महीने कर दिया जाये ताकि छोटे से छोटे श्रमिक की हित रक्षा हो सके ।

वास्तव में ऐसा होता है कि अनेक मामलों में न केवल छंटनी प्रतिकर का भुगतान ही नहीं किया जाता है वरन् नियोजकों द्वारा भविष्य निधि भी हड़प ली जाती है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा ही हुआ था । जब एक औद्योगिक उपक्रम बन्द हुआ तो नियोजक भविष्य निधि की राशि भी हड़प गया । फिर भी उसके विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही नहीं की गई । इसलिए श्रमिकों के अधिकारों को लिपिवद्ध करते हुए हमें तनिक उदारता से काम लेना चाहिए ।

जहां तक शेष वितरण का संबंध है, यदि वह प्राथमिकता की श्रेणी में नहीं आता है, समवाय के समापन पर उसकी कोई आशा नहीं की जा सकती क्योंकि हमारा अनुभव है कि जब किसी समवाय का समापन किया जाता है तो उसकी आस्तियों को बहुत पहले ही बन्धक रख दिया जाता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : श्रीमान्, मूल धारा ५३० और वर्तमान क्लाज १८१ में मेरा एक छोटा सा संशोधन है कि उपखण्ड (२) में एक हजार रुपए के स्थान पर दो हजार रुपए कर दिए जाये । मैं यह मानता हूं और मेरा विश्वास है कि मेरा संशोधन हाउस को तो जंचेगा ही, मंत्री महोदय को भी जंचेगा क्योंकि वह न्याय संगत है । मैं समझता हूं कि ज्वाइंट कमेटी ने असावधानी के कारण ही जो एक हजार की रकम मूल ऐक्ट में थी उसी को इसमें भी वैसा ही रख दिया है । मूल एक्ट में यह प्रावीजन था कि अगर कोई कारखाना वाइंड अप किया जाता है तो मजदूरों की जो रकम है उसके देने में प्राथमिकता दी जाए । उस रकम में वेजज, डिअरनेस एलाउंस, बोनस को छोड़ सभी प्रकार की रकम शामिल थी और वह रकम एक हजार तक ठहरायी गयी थी । लेकिन उस वक्त ग्रेच्युइटी या रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन या ले आफ का सवाल नहीं था । ज्वाइंट कमेटी ने बड़ी समझदारी के साथ उस में रिट्रचमेंट कम्पेन्सेशन और ले आफ की रकम को भी जोड़ा है और उसको प्राथमिकता देने की बात कही है । इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा ५ के अनुसार जो रिट्रचमेंट कम्पेसेशन और ले आफ की रकम मजदूरों को मिलनी चाहिए वह भी ज्वाइंट कमेटी ने अपने क्लाज १८१ में शामिल की है । लेकिन उन्होंने कुल रकम १००० ही रखी है जो कि पहले ही थी जब उसमें रिट्रचमेंट कम्पेसेन्शन और ले आफ का सवाल नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तो इसका मतलब क्या निकला। इसका मतलब तो यही होगा कि पृथ्वी गोल है और हम घूम कर वहीं आ गये जहां से चले थे। मैं पांच फीट २ इंच का आदमी हूं और मुझ से कहा जाए कि १० फीट के ऊपर ५०,००० की थैली टंगी है और बिना हिले झुके उसको ले लो तो यह कैसे सम्भव हो सकता है। ज्वाइंट कमेटी ने उसमें रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन और लेआफ की रकम को तो जोड़ दिया है लेकिन उस रकम को नहीं बढ़ाया है। इसका कोई मतलब नहीं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज बहुत से उद्योगों में ग्रेच्युइटी के सिद्धान्त को एग्रीमेंट से मान लिया गया है और ट्राइबुनल और इंडस्ट्रियल कोर्ट के फैसलों में भी उसको मान्यता दी गयी है, तथा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान्यता दी है। अब आप देखें कि उसमें एक वरकर की एवरेज सरविस २०—२५ साल की मानी है, उसकी रकम कितनी होगी। मान लीजिए कि कोई कारखाना चल रहा है और उसको बंद किया जाता है। तो उसमें कुछ की सरविस एक साल की होगी कुछ की दो, चार साल की, कुछ की १५,२० साल की और कुछ की ३० साल की सरविस होगी। एवरेज सरविस करीब २० और २५ साल के बीच में आती है। आज एक वरकर की टैक्सटाइल मिल में वेज, डिअरनेस एलाउंस आदि मिलाकर ११० रुपए की एवरेज होती है। कानून के अनुसार उनको मंहगाई भता और मूल वेतन का आधा रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए उनकी सरविस के हिसाब से। आप देखें कि एक महीने के वेतन आदि को आधा प्रति साल की सरविस के लिये दिया जाए तो एवरेज कम्पेन्सेशन की रकम ११०० रुपए होगी। इसको ट्राइबुनल ने, इंडस्ट्रियल कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। तो ११०० तो रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन होगा और आप ने रखा है केवल वही १००० रुपया जो कि पहले सन् १९४६ के मूल कानून में था जब कि उसमें रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन नहीं था।

श्रीमान्, यह तो वही हालत हो गई कि लेने गये पूत, खो आये खसम। जो वह सारी रकम मिलने वाली थी उससे भी कम हो गई। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अनुसार रिट्रेंचमेंट कम्पेंसेशन का ११०० रुपये वैसे ही हो जाता है। ११०० रुपया हर मजदूर लेने का अधिकारी है। लेकिन कम्पनी ऐक्ट में हम १००० की रकम छोड़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री को इस बारे में विचार करना चाहिए कि जो ज्वाइंट कमेटी ने उस में रक्खा है उसके द्वारा आप मजदूरों को क्या दे रहे हैं? मैं मानता हूं कि यह जो हमारे वकील लोग हैं यह कुछ इस तरह के पेंच खड़े कर देते हैं कि हमारे अनपढ़े मजदूर पहुंच नहीं पाते और उनका नुक्सान हो जाता है। वह कहेंगे कि कम्पनी ऐक्ट के अन्दर कुल मिलाकर १००० रुपये की रकम है और रिट्रेंचमेंट कम्पेंसेशन और वेजेज वगैरह की वह सारी रकम १००० रुपये की है। लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अनुसार जो प्रति मजदूर ११०० रुपये टेक्सटाइल में लेने का अधिकारी हो जाता है तो रिट्रेंचमेंट कम्पेंसेशन जो इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट में जो पहले ही है वह सारा का सारा चला जाता है और उसे ११०० रुपये के बजाय भी वही १००० रुपये जो रिट्रेंचमेंट कम्पेसेशन शरीक करने पर मिलता था। मिलते हैं। यह टेक्सटाइल की बात है। हमारे इंजीनियरिंग कारखानों के अन्दर जहां लगभग १३० रुपया प्रति श्रमिक का एवरेज पड़ता है, उन्हें क्या मिलना है?

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस बारे में माननीय मंत्री विचार करेंगे। मैं ने कोई ज्यादा राशि नहीं रक्खी है। १००० रुपया तो आपने पहले मूल में रिट्रेंचमेंट कम्पेंसेशन का रक्खा है और एवरेज हम मान लें कि ११०० या १२०० रुपया होगा तो मैं ने तो घटा कर १००० रुपया ही रक्खा है। मैं चाहता हूं कि १००० की जगह २००० रुपये कर दिये जायें और यही मेरा अमेंडमेंट है।

†श्री काशी नाथ पांडे (हाता): मैं श्री रामसिंह भाई का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरी मान्यता का समर्थन किया है। प्रतिकर के लिए १००० रुपये की राशि १९५६ में निश्चित की गई थी। तब से प्रत्येक उद्योग में मजूरी बढ़ गई है। यदि उन्हें जोड़ा जाये तो योग १००० रुपये से अधिक आयेगा। इसलिए यह राशि बढ़ाई जानी चाहिए। अन्यथा श्रमिकों को बहुत कष्ट होगा। पहले छंटनी प्रतिकर नहीं दिया जाता था। उसे अब सम्मिलित कर लिया गया है परन्तु राशि उतनी ही रहने दी गई है। मैं आशा करता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री इसको बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार करेंगे।

†श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम्) : मैं श्री तंगामणि, श्री नौशीर भरूचा और श्री रामसिंह भाई वर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का समर्थन करता हूं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में ५०० रुपये तक के वेतन वाले सभी श्रमिक आ जाते हैं। मूलत: वह केवल २०० रुपये तक के वेतन वाले श्रेमिकों पर लागू होता था परन्तु बाद में उसे बढ़ा कर ५०० रुपये तक के वेतन वाले श्रमिकों पर लागू कर दिया गया। इसका कारण यह था कि बीच के समय में परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। बढ़ती हुई मंहगाई और बदली हुई परिस्थितियों के कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम में ही नहीं वरन् श्रमिक प्रतिकर अधिनियम और मजूरी भुगतान अधिनियम में भी अपेक्षित संशोधन कर दिये गये हैं।

इसलिए जब हम मजूरी अथवा प्रतिकर के भुगतान के प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमें अधिकतम सीमा का ध्यान रखना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि योजना की १९५८–५९ की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अनेक समवायों ने बहुत सा भुगतान नहीं किया है। अत: आयुक्त ने सरकार से उसके भुगतान को प्राथमिकता देने के प्रश्न पर विचार करने की सिफारिश की है। इसलिए जब हम १००० रुपये की सीमा को बढ़ा कर २५०० रुपये करना चाहते हैं तो उसका विशेष कारण है। मैं संयुक्त समिति के इस संशोधन का स्वागत करता हूं कि छंटनी प्रतिकर को भी अधिमान भुगतान समझा जाना चाहिए।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करने वाले हैं या कुछ समय और लेंगे ?

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मैं कुछ समय और लूंगा।

†उपाध्यक्ष महोदय : तो माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

नालागढ़ समिति*

†उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में आधे घंटे की चर्चा होगी।

†श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : श्रीमान्, कृषि प्रशासन समिति ने अक्तूबर १९५८ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तब से अब तक लगभग २।। वर्ष बीत चुके हैं परन्तु इसके बारे में कुछ नहीं किया गया। १५ नवम्बर, १९६० को अतारांकित प्रश्न संख्या १४ का

---

*आधे घ टे की चर्चा

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर देते हुए यह बताया गया था कि इस समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए केवल पंजाब सरकार ने प्रस्ताव भेजे हैं तथा अन्य राज्यों से प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए यद्यपि प्रविधिकता का भी महत्व होता है परन्तु कृषि संगठन के प्रशासन का भी इस में कुछ कम योग नहीं होता है। इसीलिए जब तक कृषि प्रशासन में लगे हुए कर्मचारी संतुष्ट नहीं रहेंगे तब तक उनमें काम करने का उत्साह न होगा।

समिति ने अपने प्रतिवेदन में कृषि सेवाओं के कम वेतन क्रमों की ओर ध्यान दिलाया है। और बताया है कि इसी कारण इस विभाग में अच्छे योग्य कर्मचारी भरती नहीं होते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सभी राज्य सरकारों पर अपना प्रभाव डालें जिससे वह इन सिफारिशों को लागू कर दें।

समिति ने दूसरी सिफारिश यह की है कि एक अखिल भारतीय कृषि सेवा बनाई जाये। इस सेवा का निर्माण करना या न करना केन्द्रीय सरकार पर ही है। आप जानते हैं कि हमारे देश में कृषि सेवाओं को हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इनका स्तर उठाने के लिए केन्द्र अतिशीघ्र समिति की इस सिफारिश को क्रियान्वित करे।

समिति ने एक सिफारिश यह की है कि कृषि के गवेषणा, शिक्षा और विस्तार कार्यक्रमों में समन्वय किया जाये। यह बड़ी महत्वपूर्ण सिफ़ारिश है। इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि इसको राज्यों के कृषि विभाग लागू करेंगे। लेकिन जब तक कर्मचारियों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, जब तक उन्हें इस समिति द्वारा सिफ़ारिश किये गये वेतन क्रम नहीं मिलेंगे और जब तक एक केन्द्रीय कृषि सेवा स्थापित नहीं हो जाती तब तक इस प्रकार की सिफ़ारिशों को लागू करना सम्भव नहीं होगा। यदि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार कृषि प्रशासन सेवा बना लें तो यह काम भी शीघ्रता से हो सकेगा। कृषि गवेषणा की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह ही कुछ सिफारिशें समिति ने की हैं परन्तु गत दो वर्षों से इनके बारे में कुछ नहीं किया गया है। १३ अप्रैल, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या १४७६ के उत्तर में यह बताया गया था कि केन्द्रीय सरकार ५० : ५० के आधार पर इन योजनाओं को रुपया देगी। इसके बाद २३ अगस्त, १९६० को अतारांकित प्रश्न संख्या १२९३ के उत्तर में यह बताया गया कि केवल पंजाब सरकार ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। और अब १५ नवम्बर को अतारांकित प्रश्न संख्या १०४ क उत्तर में बताया गया कि पंजाब सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है और किसी अन्य राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

श्रीमान्, मैं जानता हूं कि कृषि राज्य सरकार का विषय है। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार चाहे तो इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित करा सकती है। वह राज्य सरकारों से कह सकती है कि तीसरी योजना में इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में प्रस्ताव दिये जाने चाहियें। इसके अतिरिक्त इन सिफारिशों के प्रस्ताव आने पर केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों में इनकी क्रियान्विति के तरीके लगभग समान कर सकती है। इस प्रकार समानता रहेगी और समिति की सिफारिशें लागू हो जायेंगी।

अन्त में, मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार संघ क्षेत्रों में इन सिफारिशों को लागू करने के बारे में क्या विचार कर रही है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : आज देश के सामने सबसे विकट समस्या खाद्यान्नों के उत्पादन की ही है। १९५८ में हमने इस समिति को नियुक्त किया था और इसने १९५८ में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के बारे में सिफारिशें की थीं। परन्तु कितने खेद की बात है कि अब दो वर्षों के बाद भी सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं। किसी भी राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। यदि महत्वपूर्ण और गंभीर समस्याओं पर इस प्रकार कार्य होता है तो हम क्या आशा कर सकते हैं।

केन्द्र में हमारे मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि प्रथम योजना के बाद खाद्यान्नों में हम आत्म निर्भर हो जायेंगे। बाद में यही बात दूसरी योजना के बारे में कही गई थी और यही बात अब तीसरी योजना के बारे में कही गई है।

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन के मिलने के बाद राज्यों के खाद्य मंत्री दिल्ली में कई बार मिल चुके हैं तो क्या उन्होंने इस पर उस सम्मेलन में विचार किया था ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति में क्या आनाकानी थी और क्या कठिनाई थी ? वित्तीय कठिनाई क्या थी और क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण थे ? क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों से इसके बारे में बात की थी ? पंजाब ने किस प्रकार की योजना प्रस्तुत की है ? भारत सरकार समिति की किन सिफारिशों से सहमत है ?

†श्री ब्रज राज सिंह (फ़िरोज़ाबाद): क्या यह सच है कि भूतपूर्व खाद्य मंत्री, श्री जैन इस प्रतिवेदन को लागू करने के पक्ष में थे परन्तु योजना आयोग इसका विरोध कर रहा था ? क्या योजना आयोग अपने विचारों पर अभी भी दृढ़ है और यदि मंत्री महोदय अब भी उनको लागू करना चाहते हैं तो वह इस दिशा में क्या कर रहे हैं ?

†श्री अजित सिंह सरहदी (लुधियाना) : छोटे काश्तकारों को वर्तमान ऋण सुविधायें देने तथा नालागढ़ समिति के प्रतिवेदन की क्रियान्विति के लिए माननीय मंत्री क्या योजना बना रहे हैं ? वह १४७ करोड़ रुपये के आवंटन और ७५० करोड़ रुपये की आवश्यकताओं की असमानता को किस प्रकार दूर करना चाहते हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मैं माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा के अधिकांश सुझावों से सहमत हूं। कृषि की दिशा में उन्होंने और श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने जो रुचि दिखाई है उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि उनके सुझावों को, जहां जहां संभव होगा, शीघ्र ही कार्यान्वित करने की व्यवस्था की जायेगी। इस दिशा में जो कठिनाइयां हैं उनका मैं अभी हाल कुछ उल्लेख करूंगा।

माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा ने चार बातों कही हैं : प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने में देर क्यों हुई। और आगे देर न हो इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या इस दिशा में कई राज्यों की प्रस्थापनाओं में अन्तर है, यदि हां तो वह क्या है ? केन्द्रीय सरकार ने उन सिफारिशों को कार्यान्वित किया है जो कि उसके उत्तरदायित्व के अन्तर्गत आती हैं ?

देरी के सम्बन्ध में, जैसा स्वयं माननीय मित्र ने कहा है, कृषि राज्य का विषय है। केन्द्र इस मामले में केवल इतना ही कर सकता है कि राज्यों को समझा कर कार्यवाही करने के लिये कहे। हम उन्हें किसी काम के लिये बाध्य नहीं कर सकते और इस दिशा में हमें बहुत कठिनाई अनुभव हो रही है। यह काम तब ही सरल होता है जबकि सारे राज्य किसी काम को करने के लिये राजी हो जायं।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब तक राज्य कुछ काम करने के लिये अपना इरादा पक्का न करें तब तक कई बातें तुरन्त और समय पर नहीं हो सकतीं। इस सम्बन्ध में मैं पंजाब सरकार का आभार मानता हूं कि इस दिशा में उन्होंने कुछ किया है, जिसे कि अन्य राज्य करने में असफल रहे हैं।

यह समिति १९५७ में नियुक्त की गयी थी। इसे कृषि प्रशासन समिति अथवा इसके अध्यक्ष के नाम पर नालागढ़ समिति कहा गया था। इस समिति ने जो महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, उसके लिये मैं उसका धन्यवाद करता हूं। यदि इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया तो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम होंगे और प्रशासन व्यवस्था काफी सुधर जायेगी। समिति ने जो बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, उनमें है कृषि व्यवस्था में तुरन्त बड़े व्यापक परिवर्तन करने की विशेष रूप से राज्य स्तर पर आवश्यकता। दूसरे, वर्तमान कृषि प्रशासन हमारी राष्ट्रीय योजनाओं के कृषि कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में असमर्थ है। तीसरे, कृषि विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें बहुत ही शोचनीय हैं; उनके वेतन स्तरों में भी काफी अन्तर है।

नालागढ़ समिति की सिफारिशें दो प्रकार की हैं। एक सुधार सम्बन्धी है और दूसरी ऐसी जिनमें वित्तीय खर्च अपेक्षित है। जहां तक सुधार सम्बन्धी सिफारिशों का सम्बन्ध है, इस दिशा में राज्यों ने काफी कार्य किया है, परन्तु खर्च के प्रश्न में वे पीछे रह जाते हैं क्योंकि इस मामले में सब राज्यों में स्तर एक सा नहीं है। कृषि के बारे में ही नहीं अन्य सेवाओं में भी समानता नहीं है। इसलिये जो भी परिवर्तन होगा उसका सम्पूर्ण प्रशासन से सम्बन्ध होगा। इसीलिये कुछ राज्य पीछे रहे हैं। सुधार के सम्बन्ध में निवेदन है कि इस समिति की बहुत सी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है शक्तियों का प्रत्यायोजन बहुत से राज्यों में किया गया है। नियमों और विनियमों को संहिताबद्ध करने का काम हो रहा है; आय व्ययक प्रक्रिया भी काफी सरल बनाई जा रही है। ८ कृषि कालिजों के विस्तार का कार्य ८५ लाख के व्यय में से आरम्भ कर दिया गया है।

जिन सिफारिशों का सम्बन्ध वित्तीय मामलों से है विशेषतः कर्मचारियों के मामले में, उनमें राज्य पीछे हैं और वे भारत सरकार की सहायता चाहते हैं। अतः मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि भारत सरकार ने वादा कर लिया है कि जहां तक इन सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के खर्च का सवाल है वह आधा व्यय देगी। आधे व्यय की व्यवस्था राज्यों को स्वयं करनी होगी। इससे अधिक केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर सकती। उसे भी तो किसी साधन से धन प्राप्त करने की व्यवस्था करनी होगी। अक्टूबर, १९६० में मैंने खुद राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे थे जिसमें इन सिफारिशों के बारे में सरकार की नवीनतम नीति से उन्हें अवगत कराया गया था और कहा गया था कि वे इस मामले में खुद दिलचस्पी लें। प्रधान मन्त्री महोदय ने भी अपने पाक्षिक पत्रों में नालागढ़ समिति की कुछ खास सिफारिशों की बात उठाई थी। हमने उन्हें समझाने बुझाने का कार्य किया है। प्रधान मन्त्री के सुझावों को भी कार्यान्वित नहीं किया जाये तो हम क्या कर सकते हैं। कृषि के मामले में हम राज्यों को कोई निदेश नहीं दे सकते। इस दिशा में कोई ऐसा अवसर नहीं खोया जिसमें कि कुछ किया जा सकता था।

माननीय मित्र ने यह सुझाव दिया है और समिति के प्रतिवेदन में भी यह सुझाव है कि राज्य सरकारें कृषि के लिये एक अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करें। परन्तु मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि राज्य सरकारें इस सुझाव के विरुद्ध हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार कि वे वन सेवा इंजीनियरिंग तथा शिक्षा के लिये अखिल भारतीय सेवा बनाने के विरुद्ध हैं। अब इस तरह के मामले में भारत सरकार राज्यों के खिलाफ नहीं जा सकती। हमारी संवैधानिक स्थिति ही ऐसी है। तो इस तरह की सेवायें स्थापित की जानी चाहियें और हम उसकी कोशिश में हैं।

पंजाब सरकार ने इस मामले में वास्तव में बहुत कुछ किया है। उन्होंने कृषि विभाग की नौकरियां स्थायी कर दी हैं; "स्लैकशन ग्रेडों" की व्यवस्था कर दी गई है, कृषि विभाग में भूमि संरक्षण

[श्री स० क० पटेल]

सैल बनाये गये है; प्रत्येक जिले में दो विषय सम्बन्धी विशेषज्ञ रखे गये हैं; वर्तमान कर्मचारियों और नये कृषि स्नातकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है; डिप्टी डाइरेक्टरों के लिये स्टेनों टाइपिस्टों की व्यवस्था की है आदि-आदि इस सब पर उनका ५·७२ लाख रुपया सालाना खर्च आयेगा। अर्थात् यह खर्च ६ लाख के लगभग होगा। केन्द्रीय सरकार लगभग तीन लाख रुपये इसके लिये देगी। हम अपने सारे साधनों को लगा कर भी राज्यों की पूरी सहायता करना चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि कि वे इस दिशा में पीछे न रहें।

अब मैं कृषि ऋण, और सहकारी ऋण की बात लेता हूं। इस मामले की ओर मेरे माननीय मित्र श्री सरहदी ने ध्यान आकृष्ट करवाया है। सहकारी ऋण का खर्च २० करोड़ से बढ़ कर १०० करोड़ हो गया है और ऐसी सम्भावना है कि दूसरी योजना के अन्त तक यह राशि बढ़ कर २०० करोड़ रुपये हो जायेगी। तीसरी योजना में इस उद्देश्य के लिये ५३७ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इससे भी अधिक व्यवस्था हो सकती है परन्तु हमें अपने साधनों का भी तो ध्यान रखना है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो व्यवस्था की गयी है उसका भी लोग उपयोग नहीं कर रहे। त: हमें इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करना होगा कि जो कुछ उपलब्ध है उसका तो लाभ उठाया जाये।

भाण्डार सुविधाओं की भी व्यवस्था है। हमने ५० लाख टन अनाज का रक्षित स्टाक रखने की सदन से स्वीकृति प्राप्त की है, अत: इसके लिये उचित भाण्डार सुविधाओं का उपलब्ध होना जरूरी है। तीसरी योजना में ९५१ लाख रुपये की व्यवस्था भाण्डार सुविधाओं के लिये की गयी है। मैं स्वयं इस राशि से सन्तुष्ट नहीं और मैंने योजना आयोग से इस राशि को बढ़ाने के लिये कहा है। आशा है कि यह बढ़ जायेगी और कम स कम यह भाण्डार समस्या हल हो जायगी।

केवल कृषि में ही नहीं हम सभी मामलों में अखिल भ रतीय सेवा चाहते हैं। अत: अखिल भारतीय कृषि सेवा के सम्बन्ध में राज्यों से बातचीत चल रही है। मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश और पुराने बम्बई राज्य जैसे बड़े बड़े राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। इसके क्या कारण हैं यह बात उन्हीं को मालम होगी हमें तो यह बात समझ में नहीं आई। इस पर भी हमने इस दिशा में अपनी आशा नहीं छोड़ी है और जो कुछ हो सकता है वह किया जा रहा है।

जहां तक भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् और केन्द्रीय पण्य समिति का सम्बन्ध है, भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने राज्यों से प्रार्थना की है कि उन्हें ऐसे लोगों का एक अधिसंख्य संवर्ग बनाना चाहिये जो उन योजनाओं के अन्तर्गत जिनका परिषद् खर्च उठा रही है, कृषि के अनुसन्धान कार्य में लगे हैं। शक्तियों का प्रत्यायोजन भी किया गया है। आठ कृषि कालिजों में अतिरिक्त विभाग खोलने की स्वीकृति भी दी गयी है। शेष कृषि कालिजों और पशु चिकित्सा कालिजों में इसी प्रकार के अतिरिक्त विभागों के लिये २० लाख रुपये तक की राशि का प्रबन्ध तीसरी योजना में के अन्तर्गत किया गया है।

केन्द्रीय पण्य समितियों तथा केन्द्रीय संस्थाओं के कार्यक्रमों तथा उनकी नीतियों का परीक्षण करने के लिये पांच वर्ष में एक बार एक विशेष समिति नियुक्त की जाय, यह सुझाव बुरा नहीं, परन्तु सरकार ने यह सुझाव अभी स्वीकार नहीं किया। इसका कारण यह है कि सरकार के समक्ष इस समय कृषि आयोग के नियुक्त करने का प्रश्न है। इस आयोग का क्षेत्र काफी व्यापक होगा। और वह अन्य बातों के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति का परीक्षण करेगा। इस प्रकार के आयोग को नियुक्त करने का अभी उपयुक्त समय नहीं है; अभी हमारी कई योजनायें क्रियान्वित हो रही हैं; कुछ समय बीत जाने पर ही इसे नियुक्त करना लाभदायक होगा।

देश को खाद्य की दिशा में आत्म निर्भर बनाना मेरा ही नहीं सभी देशवासियों का कर्तव्य है। भारत कृषि प्रधान देश है इस लिये यह और भी जरूरी है कि वह आत्म निर्भर हो। जिस प्रकार का हमारा उत्पादन चल रहा है यही रहा तो इस दिशा में कमी की कोई सम्भावना नहीं रहेगी। बस हम खाने के बारे में कुछ आदतें बदल लें तो ठीक हो सकता है। यदि देखा जाय तो अन्य देशों की तुलना में हमारा उत्पादन कम नहीं है। अतः इस समय देश की सब से बड़ी सेवा यह है कि कृषि को प्रोत्साहन दिया जाय। इस कारण तो माननीय प्रधान मन्त्री गत दो तीन वर्षों से बराबर कह रहे हैं कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों का अपना अपना खाद्य तथा कृषि मंत्रालय स्वयं सम्भालना चाहिये। इसका तात्पर्य यही है कि सब लोग इस बात के महत्व को पहिचान और देश में कृषि उत्पादन के लिये उचित उत्साह का वातावरण निर्माण किया जाय।

समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का कार्य पूरी गति से चल रहा है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है वह इस कार्य में पीछे नहीं है। सरकार इस बात का भी पूरा प्रयत्न करेगी कि ये सिफारिशें संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित हों, ताकि अन्य राज्यों के समक्ष इस सम्बन्ध में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो सके।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २९ नवम्बर, १९६०/८ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बज तक के लिये स्थगित हुई।

सोमवार, २८ नवम्बर, १९६०
७ अग्रहायण, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. .	१२६१—८६
तारांकित प्रश्न संख्या		
४९३	सिन्धु घाटी जल सन्धि पर व्यय . .	१२६१–६२
४९४	पालम हवाई अड्डे का उपाहार-गृह . . .	१२६२—६५
४९५	दिल्ली की वृहद् योजना	१२६५—६८
४९६	हड़तालियों की सेवावधि में वृद्धि . . .	१२६८—७३
४९७	व्यास नदी पर बांध . . .	१२७४—७७
४९८	उड़ीसा में कैंसर अस्पताल . . .	१२७७–७८
४९९	टेलीफोन सेवायें . . .	१२७८–७९
५००	खाद्यान्न का राज्य व्यापार . . .	१२७९–८०
५१८	कृषिज य पदार्थों के न्यूनतम मूल्यों का निर्धारण .	१२८०—८५
५०१	प्रकाशस्तम्भों सम्ब धी विश्व-सम्मेलन	१२८५–८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	.	१२८७—१३४४
तारांकित प्रश्न संख्या		
५०२	केन्द्रीय बीज निगम . .	१२८७
५०३	बृहत्तर कलकत्ता में जल सम्भरण तथा निस्सारण	१२८७
५०४	बलहारशाह-विजयवाड़ा लाइन को दोहरा करना	१२८८
५०५	हल्दिया-खड़गपुर लाइन	१२८८
५०६	परिवार नियोजन . .	१२८८–८९
५०७	टिड्डियों का आक्रमण . . .	१२८९–९०
५०८	डीजल से चलने वाले रेलवे इंजनों का आयात . .	१२९०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

५०९	रेलवे के माल-डिब्बे	१२९०–९१
५१०	गन्ने का मूल्य	१२९१
५११	काफी बागान	१२९१
५१२	नई दिल्ली में सुपरमार्केट	१२९१–९२
५१३	संयुक्त राज्य अमरीका से गेहूं का आयात	१२९२
५१४	पाल वाले जहाजों का निर्माण	१२९२
५१५	वेतन आयोग की रिपोर्ट	१२९२–९३
५१६	बम्बई-नागपुर विमान-सेवा	१२९३
५१७	पीने के पानी के संभरण की योजनायें	१२९३–९४
५१९	गोदावरी और कृष्णा नदियों के जल का वितरण	१२९४
५२०	बाढ़ के कारण क्षति	१२९५
५२१	अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी केन्द्रीय प्रविधिक संस्था	१२९५
५२२	एयर इंडिया इन्टरनेशनल के कर्मचारियों की मांग	१२९६
५२३	कैंसर	१२९६
५२४	कोयला परियोजना	१२९७
५२५	सोवियत रूस से तापीय संयंत्र का उपहार	१२९७
५२६	जमाया हुआ तेल	१२९७–९८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८४५	भाखड़ा नंगल परियोजना के अधीन सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी निर्माण-कार्य	१२९८—१३०१
८४६	उत्तर रेलवे में चोरियां	१३०१
८४७	उत्तर रेलवे में रेलवे स्टेशनों की नई इमारतें	१३०१
८४८	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	१३०२–०३
८४९	खुराक सम्बन्धी आदतें	१३०३
८५०	पंजाब से खाद्यान्न का यातायात	१३०३–०४
८५१	परिवार नियोजन	१३०४—०६
८५२	रेलवे इंजन	१३०६
८५३	माल-डिब्बे	१३०७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८५४	सवारी डिब्बे	१३०७–०८
८५५	जहाज निर्माण . .	१३०८
८५६	परिवार नियोजन उपचार गृह	१३०८—१०
८५७	वन . . .	१३१०
८५८	रेलवे की फालतू भूमि	१३१०
८५९	मध्य रेलवे के स्वास्थ्य केन्द्र .	१३१०–११
८६०	बटाला स्टेशन के कुली .	१३११
८६१	उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	१३११
८६२	दिल्ली दूध योजना . .	१३११–१२
८६३	जम्मू और काश्मीर में कृषि विकास	१३१२
८६४	हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग नियंत्रण एकक	१३१२–१३
८६५	पर्यटक . . .	१३१३
८६६	पानी सूखने के सम्बन्ध में अनुसन्धान	१३१३
८६७	महिला यात्रियों को खतरा	१३१३–१४
८६८	दिल्ली में कोढ़ी .	१३१४–१५
८६९	पर्यटन विकास परिषद्	१३१५–१६
८७०	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	१३१६
८७१	दुर्गापुर तापीय बिजली घर	१३१६
८७२	रेलवे डिब्बे में लाश . .	१३१६
८७३	कांगो को खाद्यान्न की सप्लाई .	१३१७
८७४	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ	१३१७
८७५	व्याधिकी पंजीयन कार्यालय	१३१७
८७६	माल डिब्बों की कमी	१३१७–१८
८७७	उड़ीसा में विद्युत परियोजनायें	१३१८
८७८	दोहरी लाइन वाले स्टेशनों पर ऊपरी पुल .	१३१८–१९
८७९	दिल्ली के अस्पतालों के नाम बदलना	१३१९
८८०	कलकत्ता में हैजा अनुसन्धान केन्द्र .	१३१९
८८१	रेलवे समय सारिणी	१३२०
८८२	विश्राम-गृह	१३२०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		
८८३	नई दिल्ली की सड़कों के भारतीय नाम	१३२०–२१
८८४	रेलवे भूमि .	१३२१–२२
८८५	हैदराबाद को पानी की सप्लाई	१३२२
८८६	श्योराफूली स्टेशन	१३२२
८८७	नौवहन प्रशिक्षण .	१३२३–२४
८८८	परांबीकुलम् नदी का जल	१३२४
८८९	अकबरपुर-टांडा रेलवे लाइन	१३२४
८९०	भारत में बिजली	१३२५
८९१	स्थायी सिन्धु आयोग	१३२५
८९२	गुजरात के ग्रामों का विद्युतीकरण	१३२६
८९३	भिलाई में मार्शलिंग यार्ड की सुविधायें	१३२६–२७
८९४	जलाशयों से मिट्टी निकालने सम्बन्धी अनुसन्धान	१३२७–२८
८९५	अमरीकी चिकित्सा अर्हता परीक्षा	१३२८
८९६	कनाडा के अस्पतालों में भारतीय डाक्टर .	१३२८–२९
८९७	दामोदर के निचले भाग में पुनः खुदाई	१३२९
८९८	वंशधारा परियोजना	१३२९
८९९	सुन्दरवन नदी बेसिन से मिट्टी हटाना	१३३०
९००	लाहौल तथा स्पीती में जल विद्युत योजना	१३३०
९०१	लाहौल तथा स्पीती क्षेत्रों में रेडियो के लाइसेंस	१३३०
९०२	विहार को खाद्यान्न की सप्लाई .	१३३०–३१
९०३	कृष्णा और गोदावरी की परियोजनायें	१३३१
९०४	महाराष्ट्र में छोटे पत्तन	१३३१
९०५	दुर्गापुर स्टेशन . .	१३३२
९०६	धर्मनगर, त्रिपुरा में रामनगर को कृषि योग्य बनाने का प्रस्ताव	
९०७	नंगल टाउनशिप में पीने के पानी की सप्लाई	१३३२
९०८	शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक विकास	१३३३
९०९	दिल्ली में रेलवे की सिटी बुकिंग एजेन्सियां .	१३३३–३४
९१०	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था के लाइसेंस	१३३४
९११	डाक सेवायें	१३३४–३५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६१२	डी लक्स रेलगाड़ियां .	१३३५
६१३	चिकित्सा का एल० एम० पी० कोर्स	१३३५
६१५	उड़ीसा में पौधा संरक्षण	१३३५–३६
६१६	रेलवे दुर्घटनायें . .	१३३६
६१७	आंधी के ज़ोर को कम करने के लिये वृक्ष लगाना	१३३६–३७
६१८	कोबाल्ट रश्मि उपचार एकक . . .	१३३७
६१९	शिकोहाबाद में ऊपर/नीचे का पुल . . .	१३३७
६२०	केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्	१३३८
६२१	राष्ट्रीय सहकारी खेती बोर्ड	१३३८
६२२	फास्फेटिक उर्वरक .	१३३८–३९
६२३	राजस्थान नहर	१३३९
६२४	ट्रक और रेलगाड़ी की टक्कर .	१३३९
६२५	नगर और देहात आयोजन राज्य मंत्रियों का सम्मेलन	१३३९–४०
६२६	मनीपुर में मीनक्षेत्र	१३४०
६२७	सहकारी सप्ताह .	१३४०
६२८	रेलगाड़ियों का देर से चलना .	१३४०–४१
६२९	दक्षिण रेलवे में रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	१३४१
६३०	केसिन्गा स्टेशन पर रेल गाड़ियों की टक्कर	१३४२
६३१	अस्पतालों में कैन्सर वार्ड .	१३४२
६३२	सामुदायिक विकास के प्रशिक्षण केन्द्र	१३४२-४३
६३३	गोविन्दपुर स्टेशन .	१३४३
६३४	डाक तार विभाग को हानि	१३४३–४४
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१३४४

(१) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ८ अक्तूबर, १९६० की एस० ओ० २४४३ ;

विषय पृष्ठ

(दो) दिनांक ५ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १२९६ ।

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(३) मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को गेहूं और चावल के निर्यात के लिये की गई संशोधित व्यवस्था के बारे में किये गये निर्णयों के टिप्पण की एक प्रति ।

वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे) के बारे में विवरण १३४५

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने वर्ष १९६०–६१ के आयव्ययक (रेलवे) सम्बन्धी अनुदान की अनुपूरक मांग का एक विवरण उपस्थापित किया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १३४५—४८

(एक) श्री रघुनाथ सिंह ने स्टैंडर्ड वैकुअम रिफाइनिंग कम्पनी द्वारा शुल्क संरक्षण के अध्यर्पण की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया ।

खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(दो) श्री स० मो० बनर्जी ने बिजली की कमी के कारण कानपुर में युद्धास्त्र कारखानों के आंशिक रूप से बन्द हो जाने के समाचार की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक विचाराधीन . . . . . १३४८—७४

समवाय (संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खंडवार चर्चा जारी रही । खंडवार चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घन्टे की चर्चा . . . . . १३७४—७९

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा ने नालागढ़ समिति के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या १०४ के २५ नवम्बर, १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर चर्चा उठाई ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

मंगलवार, २९ नवम्बर, १९६०/८ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावली

समवाय (संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर खंडवार चर्चा और प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा ।

GMGIPMD—1454 (Ai) LSD—LSIII—21-12-60—115